उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल **बनाम** सुदेश	258
उत्तराखंड राज्य **बनाम** शमीम आलम खान	186
जम्मू और कश्मीर राज्य **बनाम** मोहम्मद अकरम सुलेमानी	253
धर्मेन्द्र **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	151
पसांग लेपचा **बनाम** सिक्किम राज्य	270
बंशीलाल **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)	230
मोहिन्दर पाल **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	285
राजेन्द्रन **बनाम** तमिलनाडु राज्य और एक अन्य	263
श्रीधरीयम आयुर्वेद मेडिसिन प्राइवेट लि., एर्नाकुलम और एक अन्य **बनाम** केरल राज्य	221
स्वपन राय **बनाम** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	193

संसद् के अधिनियम

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) – (16)

अगस्त, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 391 – अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन – परिवादी – परिधि – अपील न्यायालय मामले में उचित पाता है तो अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन का आदेश पारित कर सकता है परंतु शिकायतकर्ता या उसके अधिवक्ता को न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तब तक स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि विचारण चलाने के लिए उसे अनुज्ञात न किया जाए ।

उत्तराखंड राज्य बनाम **शमीम आलम खान** 186

संसद् के अधिनियम

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (16)

पृष्ठ संख्या 151 – 298 **(2014) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अगस्त, 2014 (पृष्ठ संख्या 151 – 298)

संपादक-मंडल

डा. संजय सिंह,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

प्रो. डा. वैभव गोयल,
सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
विधि विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

किशोर न्याय (बालक देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)

– धारा 68 [सपठित किशोर न्याय (बालक देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 – नियम 12] – किशोर की आयु का अवधारण – प्रवेश रजिस्टर – प्रवेश फार्म के प्रस्तुत न किए जाने, रजिस्टर पर माता-पिता के हस्ताक्षर का अभाव, अभियुक्त के प्रवेश संबंधी पृष्ठ पर संस्था के अध्यापक का हस्ताक्षर जैसे अति-तकनीकी आधारों पर किशोरता के दावे के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों की अस्वीकार्यता उचित नहीं है, अतः, अभियुक्त उक्त अधिनियम के अधीन विचारित होने का हकदार है ।

स्वपन राय बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 193

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 12 – घरेलू हिंसा – संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से घरेलू हिंसा की कोई रिपोर्ट अभिप्राप्त न होने पर भी मजिस्ट्रेट को व्यथित महिला को उचित और युक्तियुक्त अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता होगी, अतः पत्नी के पक्ष में पारित निवास आदेश अनुचित नहीं है ।

अनिल बनाम **सुदेश** 258

– धारा 12(1) – भूतलक्षी प्रभाव – जहां पत्नी उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के काफी पहले अर्थात् वर्ष 1999 से अपने पति से पृथक् होकर अपने माता-पिता के घर में रह रही थी, वहां उक्त अधिनियम के वर्ष 2008 से प्रवृत्त होने के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव का अभिवाक् मान्य नहीं होगा क्योंकि वह (पत्नी) भावी

पृष्ठ संख्या

अनुतोष की मांग कर रही है अतः अधिनियम के उपबंध के अधीन फाइल आवेदन संधार्य है ।

अनिल बनाम **सुदेश** 258

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 391 – अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन – परिवादी – परिधि – अपील न्यायालय मामले में उचित पाता है तो अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन का आदेश पारित कर सकता है परंतु शिकायतकर्ता या उसके अधिवक्ता को न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तब तक स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि विचारण चलाने के लिए उसे अनुज्ञात न किया जाए ।

उत्तराखंड राज्य बनाम **शमीम आलम खान** 186

– धारा 482 [सपठित ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 10 तथा ओषधि और चमत्कारिक (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम, 1955 का नियम 3] – उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता – ओषधि के संबंध में भ्रामक विज्ञापन करना – जहां ओषधि निरीक्षक को कतिपय ओषधियों के भ्रामक विज्ञापन की जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा परिसर की तलाशी ली गई और कतिपय ओषधियों और विज्ञापन दस्तावेज अभिगृहीत की गईं तथा न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल किया गया वहां ओषधि निरीक्षक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अवैध न होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर परिवाद को अभिखंडित किए जाने की अपेक्षा नहीं है ।

श्रीधरीयम आयुर्वेद मेडिसिन प्राइवेट लि., एर्नाकुलम और एक अन्य बनाम **केरल राज्य** 221

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106] – जहां अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् गंडासा जिससे हत्या कारित की गई थी, बरामद हुआ और न्यायालयिक रिपोर्ट के अनुसार यह रक्त-रंजित था तथा अभियुक्त ने यह नहीं बताया कि घर के भीतर उसकी पत्नी और दो वर्ष के पुत्र की हत्या कैसे हुई, वहां अभियुक्त को अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या के अपराध से दोषी ठहराया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

धर्मेन्द्र बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 151

– धारा 376, 511 और 342 – बलात्संग – पीड़िता लड़की का अप्राप्तवय होना – यदि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि पीड़िता बलात्संग का विरोध नहीं करती और पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो बलात्संग का कार्य पूरा हो जाता, अतः अभियुक्त के बारे में बलात्संग का अपराध किया जाना कहा जा सकता है न कि किसी स्त्री का शीलभंग किया जाना, इसलिए, दंड संहिता की धारा 376, 354 और 342 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

पसांग लेपचा बनाम **सिक्किम राज्य** 270

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)

– धारा 7, 13(1)(घ) और 20 – अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन हेतु धन की मांग की और स्वीकार किया जो अभियुक्त के विरुद्ध बिछाए गए जाल में धन लेते हुए पकड़े जाने से सिद्ध होता है, वहां

पृष्ठ संख्या

यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

बंशीलाल बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)** 230

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 22(5) और 32 [सपठित तमिलनाडु मादक तस्कर, ओषधि अपराधी, वन अपराधी, अनैतिक व्यापार अपराधी, रेत अपराधी, मलिन बस्ती कब्जाधारक और वीडियो चोर खतरनाक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 4] – बंदी प्रत्यक्षीकरण – निवारक निरोध – संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र संभव प्राधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन पर विचार किए जाने का अधिकार है, अतः निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने में 6 दिनों का विलंब होने पर निरोध दोषपूर्ण और असंवैधानिक होने के कारण निरुद्ध व्यक्ति निरोध से मुक्त होने का हकदार है ।

राजेन्द्रन बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य** 263

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 8 और 20 – विनिषिद्ध माल का कब्जा – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विनिषिद्ध माल के अभिग्रहण मेमो, विनिषिद्ध माल के मुहरबंद किए जाने और नमूने को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने में हेरफेर किए जाने के कारण यह साबित होता है कि विनिषिद्ध माल की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से नहीं की गई थी वहां अभियुक्त को उक्त अपराध से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम **मोहम्मद अकरम सुलेमानी** 253

पृष्ठ संख्या

– धारा 20 – चरस के ढेर की बरामदगी – यदि अभियोजन पक्षकथन को शासकीय साक्षियों के साक्ष्य से समर्थन नहीं मिलता हो और मामले में बड़े विभेद प्रकट हुए हों तो अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

मोहिन्दर पाल बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 285

धर्मेन्द्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 9 जनवरी, 2014

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति (सुश्री) सुनीता अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106] – जहां अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् गंडासा जिससे हत्या कारित की गई थी, बरामद हुआ और न्यायालयिक रिपोर्ट के अनुसार यह रक्त-रंजित था तथा अभियुक्त ने यह नहीं बताया कि घर के भीतर उसकी पत्नी और दो वर्ष के पुत्र की हत्या कैसे हुई, वहां अभियुक्त को अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या के अपराध से दोषी ठहराया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

मृतका के भाई पिन्टू द्वारा यह अभिकथन करते हुए इस घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि अपीलार्थी और मृतका कविता के बीच पूर्व रात्रि में झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी ने क्रोधित होकर तथा अपनी संवेदना को खोकर अपनी पत्नी कविता और अपने पुत्र सन्नी पर तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 5.00 बजे पूर्वाह्न हमला कर दिया । कविता की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और सन्नी क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था और उसे मौजूद व्यक्तियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया । पिन्टू ने तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 7.30 बजे पूर्वाह्न इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बिलारियागंज पर की थी जहां थाना भारसाधक अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने दंड संहिता की धारा 308/304 के अधीन अपराध सं. 789/2009 पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की थी । भारसाधक अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने चिक रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अन्य कागजात तैयार किए और घटनास्थल की ओर अर्थात् अपीलार्थी का मकान ग्राम करमैनी पर अग्रसर होने के लिए अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं जहां उसने इत्तिला देने वाले का कथन अभिलिखित किया था और घटनास्थल का निरीक्षण करके सादी मिट्टी और रक्त-रंजित कीचड़ को

एकत्रित किया था । अभियुक्त को उसी दिन उसी मकान के कमरे से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से रक्त-रंजित गंडासा बरामद किया गया । साक्षी नसीम और गयासुद्दीन के हस्ताक्षर तथा अपीलार्थी धर्मेन्द्र के हस्ताक्षर बरामदगी ज्ञापन लिए गए थे जिसे चिन्हित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने शव की मृत्यु समीक्षा की जिसे उप-निरीक्षक कमला यादव द्वारा किया गया था और इसके पश्चात् शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया । अपीलार्थी को इत्तिला देने वाले की बहन कविता और उसके पुत्र सन्नी की तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 5.00 बजे पूर्वाह्न हत्या किए जाने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था और इन आरोपों पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । पिन्टू ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके दामाद अपीलार्थी धर्मेन्द्र और उसकी पत्नी कविता जो इस साक्षी की बहन है के बीच तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को झगड़ा हुआ था । परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने क्रोधित होकर अपना आत्मसंयम खो दिया और उसकी बहन कविता और उसके पुत्र सन्नी पर गंडासा से हमला किया । इस सूचना को पाकर वह अपनी बहन के ससुराल गया था । उसने अपनी बहन को मृत पाया और उसके भान्जे सन्नी को गांववासियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था । वहां पर कई व्यक्ति एकत्रित हुए थे । उसने राज कुमार द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्राप्त की जिसे उसने उसी दिन 7.35 बजे पूर्वाह्न उस पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् रिपोर्ट पुलिस थाना बिलारियागंज को सौंप दी । उसके भान्जे की अपीलार्थी द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना नहीं देखना स्वीकार किया है परंतु रविन्द्र कविता के देवर से इस बारे में पता लगना बताया है । उसने यह भी कथन किया कि कविता का लगभग 10 वर्ष पूर्व अपीलार्थी धर्मेन्द्र से विवाह हुआ था । वर्तमान मामले में अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 3, आजमगढ़ द्वारा तारीख 19 फरवरी, 2012 को निर्णय और आदेश पारित करके अपीलार्थी धर्मेन्द्र को अपनी पत्नी श्रीमती कविता और दो वर्ष का पुत्र सन्नी की हत्या करने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मृत्यु दंड दिया गया था । अभियुक्त ने सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने आधारिक दलील यह दी थी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन इस बात का स्पष्टीकरण

देने के लिए अपीलार्थी पर कोई भार नहीं डाला जा सकता है कि दो मृतकों की उसके मकान में कैसे मृत्यु हुई थी क्योंकि बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 अपीलार्थी का पिता और फूल चन्द्र ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी अपने पिता बहादुर के साथ दूसरे मकान में सोया करता था जबकि मृतका कविता अपने मृतक पुत्र सन्नी के साथ दूसरे मकान में सोया करती थी । अपीलार्थी को उक्त भार को सिद्ध करने से मुक्त किया जाएगा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा दिया गया वृत्तांत संभव और स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है । तथापि, साक्ष्य और परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर हमारा यह मत है कि इन दो प्रतिरक्षा साक्षियों का परिसाक्ष्य तनिक भी सही प्रतीत नहीं होता है । बहादुर जो अपीलार्थी का पिता है वह स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र को फांसी के फन्दे से बचाने की कोशिश करने में हितबद्ध होगा । हमने इस वृत्तांत में कुछ अंतर्निहित अधिसंभाव्यताएं पाई हैं । सामान्यतया अपीलार्थी जिसकी आयु 28 वर्ष है उससे यह आशा की जाएगी कि वह उसी मकान में सोएगा जहां उसकी पत्नी कविता जो उसके स्वयं समकक्ष आयु की है तथा जो काफी सुंदर और आकर्षक भी है । उनके पास 2 वर्ष की आयु का बच्चा भी है जिसे उनके द्वारा संरक्षण दिया जाना जरूरी है । अभियोजन या प्रतिरक्षा मामला यह नहीं है कि दोनों पति-पत्नी के संबंध पूरी तरह से टूट चुके थे । बहादुर ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वे खाना अपने पुराने मकान पर ही बनाते थे जहां मृतका उसकी पुत्रवधु और उसका पोता निवास करता था और पूरा कुटुंब वहीं पर खाना खाता था । तथापि, बहादुर के अनुसार कि अपना खाना खाने के पश्चात् बहादुर और उसका पुत्र धर्मेन्द्र सोने के लिए अपने नए मकान पर जाते थे जो पुराने मकान से 75 कदम की दूरी पर था । बहादुर ने न्यायालय में अपनी प्रतिरक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि इस घटना से पूर्व उसकी पुत्रवधु और अपीलार्थी के बीच कोई झगड़ा हुआ था और उनके संबंध अनुकूल थे । यह भी स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी और अपने पुत्र जो इस मामले में मृतक हैं, मजदूरी का कार्य करके उनके खर्चों का वहन करता था । इन परिस्थितियों में, यह दावा किया जाना कि अपीलार्थी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ अपने स्वयं के मकान में सोता नहीं था और अपने पिता के मकान में सोता था, यह बात अविश्वसनीय है । यदि बहादुर का कथन कि उसकी पुत्रवधु के मकान पर आगन्तुक आया-जाया करते थे, सही है तो अपीलार्थी के लिए यह बड़ा कारण बनता है कि अपनी पत्नी के किसी आगन्तुक के साथ अवैध संबंध को रोकने के लिए

पुराने मकान में सोया करता । अपर जिला शासकीय काउंसेल द्वारा आगे प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा साक्षी 1 से यह प्रश्न पूछा गया जिसका उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका कि क्यों अपीलार्थी उक्त मकान में नहीं सोता था जिसमें उसकी पत्नी और पुत्र निवास करते थे । इस साक्षी को साधारणतया यह सुझाव दिया गया था कि श्रीमती कविता के अवैध संबंध होने के कारण उसकी हत्या की गई परंतु ऐसी कोई बात प्रकट नहीं हुई थी कि किसके साथ उसके अवैध संबंध थे । यद्यपि, उसे यह सुझाव दिया गया कि गांव के 2-4 लड़के जिनके साथ उसके अवैध संबंध रहे थे परंतु उनके नामों का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था । प्रतिरक्षा साक्षी 1 इस बारे में यह निष्कर्ष देने में समर्थ नहीं हुआ था कि किसने उसकी पुत्रवधु और पोते सन्नी की हत्या की थी । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषक अधिकारी को ऐसा कोई कथन भी नहीं किया था । इसी तरह फूल चन्द्र ने प्रतिरक्षा साक्षी 1 के कथन का समर्थन किया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुराने मकान पर हत्या हुई थी जहां मृतका कविता बिना अपीलार्थी के अपने पुत्र के साथ निवास करती थी । धर्मेन्द्र की पत्नी सुंदर और काफी आकर्षक थी और आगन्तुक उससे मिलने आया करते थे परंतु घटना की रात्रि को धर्मेन्द्र अपने पिता के नए मकान में सो रहा था । तथापि, उसने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि किसने मृतका की हत्या की परंतु यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी मृतका के बीच कोई विवाद नहीं था । वह यह बात कहने में भी समर्थ नहीं था कि क्या मृतका का अवैध संबंध होने के कारण हत्या की गई, परंतु उसने साधारण रूप से यह कथन किया है कि धर्मेन्द्र ने उसकी हत्या नहीं की । उसने यह भी कथन किया है कि धर्मेन्द्र के मकानों के बीच की दूरी 100 फीट थी परंतु उसका स्वयं का मकान धर्मेन्द्र के मकान से 200 फीट की दूरी पर था और धर्मेन्द्र ने उसे यह भी नहीं बताया कि वह अपने पिता के साथ सोता है । वह घटना के पश्चात् धर्मेन्द्र से नहीं मिला । उसने इस बात से इनकार किया है कि धर्मेन्द्र के नातेदार होने के कारण वह उसे बचाने की मिथ्या कोशिश कर रहा है । ऊपर उल्लिखित कारणों की बारीकी से संवीक्षा करने पर न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी के पिता बहादुर और नातेदार फूल चन्द्र अपीलार्थी को बचाने के प्रयोजन के लिए ही प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में हाजिर हुए हैं । उन्होंने ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया है जिससे यह इंगित होता हो कि अपीलार्थी अपने पिता के साथ नए मकान में क्यों सोता था और न कि उस मकान में जहां

उसकी पत्नी और 2 वर्ष का पुत्र सोया करते थे, जहां उनकी हत्या हुई । उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालने के सिवाय न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है कि वास्तव में अपीलार्थी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निवास करता था जिनकी उसी मकान में हत्या हुई थी । एक अन्य परिस्थिति जो अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाती है यह है कि यदि उसकी पत्नी का किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी तो अपीलार्थी धर्मेन्द्र को रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी या कम से कम अपने 2 वर्ष के बच्चे को बचाने के लिए अपने पिता के साथ अस्पताल जाना चाहिए था जो घटना में गंभीर रूप से आहत हुआ था और अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहा था । यद्यपि, बहादुर पुलिस के पास जा सका और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । यदि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया था तो वह ऐसा बताने में भी विफल रहा । जिन परिस्थितियों से केवल यह संकेत मिलता है कि वह अपीलार्थी था न कोई दूसरा जिसने दो हत्याएं की थीं । न्यायालय इस बात को भी समझता है कि यद्यपि इस बारे में थोड़ी बहुत असामान्य बात प्रकट हुई है कि अपीलार्थी को गंडासा के साथ उसके मकान से कैसे गिरफ्तार किया गया और वह घटना के पश्चात् तत्काल फरार नहीं हुआ था परंतु कुछ विनिश्चयों में यह कहा गया है कि ऐसी कोई सामान्य रीति नहीं है जिसमें किसी मानव द्वारा (चाहे अभियुक्त या कोई साक्षी) अपराध करने के पश्चात् ऐसा कार्य करेगा । वास्तव में यह संभव है कि अपीलार्थी ने अविवेकपूर्ण रूप से क्रोधित होकर उसने अपनी पत्नी कविता के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया होगा क्योंकि वह काम करने के लिए भिन्न-भिन्न लोगों के मकान पर जाया करती थी जैसाकि कविता की माता शारदा देवी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है जिस पर उसने अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या कर दी । परंतु संताप से अभिभूत होकर वह मनोव्यथित हो गया और घटनास्थल पर ठहर गया जहां उसे पुलिस द्वारा उसी दिन उसके मकान में पहुंचने पर गंडासा सहित उसे गिरफ्तार कर लिया गया जैसाकि अन्वेषक अधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया । अतः, न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई समस्या प्रकट नहीं हुई है यदि श्रीमती प्रभावती और श्रीमती शारदा देवी जो पड़ोसी हैं तथा एक ही जाति से संबंधित हैं या अपीलार्थियों को पहचानते हैं, अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने में विफल हुए हैं इसलिए, उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । धर्मेन्द्र का साक्ष्य, शारदा देवी जो मृतका कविता का भाई और माता हैं उन्होंने अपराध के हेतु को यथावत् रूप से सिद्ध किया है जो इस मामले की अन्य परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं और इस अपराध से अपीलार्थी को

संबंधित करने के लिए पर्याप्त रूप से सिद्ध की जा सके । परंतु अपीलार्थी के विरुद्ध मुख्य परिस्थिति यह थी कि यदि ऐसा वृत्तांत अपीलार्थी तथा प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा तदंतर किया गया है कि अपीलार्थी अपने पिता के मकान में सोया करता था जो बात असत्य थी और उसने विलंब से अन्यत्र उपस्थित होने का मिथ्या अभिवाक् किया था तथा वास्तविक रूप से वह उस प्रश्नगत रात्रि को अपने मकान में सोया था जहां वह और उसका पुत्र दोनों मृतक उसके साथ थे, तब साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन यह स्पष्टीकरण देने का भार अपीलार्थी पर है कि उस मकान में दो लोगों की कैसे हत्या हुई थी जो तथ्य उसके अनन्य जानकारी में था और जिस बारे में अभियोजन पक्ष के लिए अत्यधिक कठिनाई थी कि वह साक्ष्य को पेश करे । परंतु अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अपने विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन से इनकार किया है और उसने साधारण तौर पर यह कहा है कि वह निर्दोष था और अपने दूसरे मकान में सोता था । ऐसी मिथ्या प्रतिरक्षा और उक्त हत्याओं के बारे में किसी स्पष्टीकरण देने का अभाव विलुप्त कड़ी को भरने के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियां थीं जिससे यह अनुमान निकलता है कि केवल अपीलार्थी न कोई दूसरा व्यक्ति दो हत्याओं के लिए जिम्मेदार था । यदि कोई अपराध मकान के किसी एकांत भाग पर किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में जहां हमलावर के पास अपराध किए जाने के लिए षड्यंत्र करने का पूरा अवसर होता है और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के लिए यह अत्यधिक कठिन होगा कि अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य दें यदि पारिस्थितिक साक्ष्य के कठोर सिद्धांत जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है जिन पर न्यायालयों द्वारा बल दिया गया है । कोई भी न्यायाधीश केवल यह विचार करने के लिए आपराधिक विचारण का संचालन नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाए । न्यायाधीश यह विचार करने के लिए भी मामले का संचालन करता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न पाए । ये दोनों लोक कर्तव्य हैं । विधि अभियोजन पर ऐसा कर्तव्य नहीं थोपती है कि वह ऐसे चरित्र के बारे में साक्ष्य दें जिसके बारे में साक्ष्य देना अत्यधिक असंभव है या ऐसे साक्ष्य देने में अत्यधिक कठिनाई है । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा साक्ष्य दे जिसे देने में वह समर्थ हो जिस पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा । यहां पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसमें यह कहा गया है कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति की जानकारी में विशेष रूप से है तब उस तथ्य

को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है । उदाहरणार्थ इस धारा में संलग्न (ख) इस उपबंध की अंतर्वस्तु और परिधि पर कुछ प्रकाश डालता है और इसका परिशीलन करने पर (ख) एक व्यक्ति पर बिना टिकट के रेल की यात्रा करने का आरोप है । तब सबूत का भार उस पर है कि उसके पास टिकट था । जहां हत्या की भांति कोई अपराध मकान के अंदर एकांत भाग पर किया जाता है तब मामले को सिद्ध करने के लिए प्रारंभिक भार निःसंदेह अभियोजन पक्ष पर होता है परंतु साक्ष्य की प्रकृति और कोटि जिसे आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिया जाना है उसी मात्रा का नहीं हो सकता जैसाकि पारिस्थितिक साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित है और ऐसा भार तुलनात्मक रूप से हल्के लक्षण का होता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए कि मकान के निवासियों पर इस बारे में अकाट्य स्पष्टीकरण देने का समरूप भार होगा कि अपराध कैसे किया गया था । मकान के निवासी साधारण रूप से शांति बनाए रखने में अपने को अलग नहीं रख सकते और ऐसे आधार वाक्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण न दें कि अभियोजन मामलों को साबित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और अभियुक्त पर तनिक भी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं थोपा गया है कि वह कोई स्पष्टीकरण दें । एक दूसरा मामला है जिसमें पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और उसकी हत्या कर दी गई तब यह दर्शित करने का प्रयास किया गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । ऐसी प्रतिरक्षा असत्य पाई गई थी । उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया जो इस प्रकार है : यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में जहां कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है तब वहां पर यह सिद्धांत है कि जब अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति अभियुक्त के समक्ष रखी गई और उक्त अभियुक्त ने उस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया या कोई स्पष्टीकरण दिया भी तो वह असत्य पाया गया तब परिस्थितियों की शृंखला को उससे जोड़ने के लिए उसे पूरा किया जाना चाहिए । कुटुंब का कोई सदस्य भले ही वह अपराध का साक्षी हो कुटुंब के अन्य सदस्य के विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए अग्रसर नहीं होगा । पड़ोसी जिनका साक्ष्य कुछ सहायक हो सकता है, साधारणतया न्यायालय में यह साक्ष्य देने के अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वे दूर रहना चाहते हैं और पड़ोसी कुटुंब का विरोध करना नहीं चाहते । दुल्हन के माता-पिता या अन्य कुटुंब के सदस्य अपराध किए जाने के परिदृश्य से दूर रहते हैं और वह ऐसी स्थिति में नहीं होते कि प्रत्यक्ष साक्ष्य दें जिससे कि पैसे की

या दहेज की मांग और दुल्हन को परेशान किए जाने के सिवाय वास्तविक अभियुक्त को अपराध में फंसा सकें । परंतु इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि मकान के अंदर एकांत स्थान में किया गया अपराध को अदंडनीय रूप से छोड़ दिया जाए । इस मामले में अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या इस बारे में मिथ्या स्पष्टीकरण दिया है कि रक्त-रंजित गंडासा उससे कैसे बरामद किया गया और उसकी पत्नी तथा 2 वर्ष के बच्चे की उसके मकान में कैसे हत्या हुई और उसने मिथ्या प्रतिरक्षा दी है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घटना की रात्रि को मकान में मौजूद नहीं था और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन अपने पर डाले गए भार का निर्वहन करने में असफल हुआ है क्योंकि यह तथ्य अपीलार्थी के अनन्य जानकारी में थे और अभियोजन पक्ष के लिए यह अत्यधिक कठिन था कि वह इन तथ्यों के बारे में साक्ष्य पेश करे । यह एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो इस अपराध से अपीलार्थी को संबंधित करती है । (पैरा 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 35 और 36)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 452 : **संगीत** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	41
[2013]	(2013) 5 एस. सी. सी. 546 : **शंकर किसन राव खाडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	41
[2012]	(2012) 11 एस. सी. सी. 205 : **सुनील स्लिफोर्ड डैनियल** बनाम **पंजाब राज्य** ;	34
[2011]	(2011) 13 एस. सी. सी. 706 : **राकेश कुमार** बनाम **राज्य** मार्फत **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार** ;	19, 41
[2010]	(2010) 14 एस. सी. सी. 129 : **जान पांडियन** बनाम **राज्य** ;	29
[2008]	(2008) 5 एस. सी. सी. 697 : **दिनेश बोरठाकुर** बनाम **असम राज्य** ;	28
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 681 : **त्रिमुख मारोति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	35

[2002]	(2002) 4 एस. सी. सी. 679 : **धर्मेन्द्र सिन्हा** बनाम **गुजरात राज्य** ;	19, 41
[2002]	(2002) 8 एस. सी. सी. 125 : **बचित्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	27
[1996]	(1996) 2 एस. सी. सी. 175 : **राजीव** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	40
[1996]	(1996) 8 एस. सी. सी. 110 : **उमा शंकर पंडा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	40
[1988]	(1988) सप्ली. एस. सी. सी. 241 : **अप्पा भाई** बनाम **गुजरात राज्य** ;	30
[1983]	(1983) 3 एस. सी. सी. 50 : **अमृता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	40, 41
[1980]	(1980) 2 एस. सी. सी. 684 : **बचन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	41

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील (मृत्यु दंड मामला) सं. 378.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री राहुल मिश्रा और राधेश्याम मौर्य

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अखिलेश सिंह और आनन्द तिवारी, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अमर सरन ने दिया ।

न्या. सरन – वर्तमान मामले में अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 3, आजमगढ़ द्वारा तारीख 19 फरवरी, 2012 को निर्णय और आदेश पारित करके अपीलार्थी धर्मेन्द्र को अपनी पत्नी श्रीमती कविता और दो वर्ष का पुत्र सन्नी की हत्या करने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मृत्यु दंड दिया गया था ।

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री राहुल मिश्रा तथा राज्य की ओर से श्री अखिलेश सिंह, विद्वान् सरकारी अधिवक्ता जिनकी सहायता

श्री आनन्द तिवारी विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा की गई, को सुना ।

3. मृतका का भाई पिन्टू द्वारा यह अभिकथन करते हुए इस घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि अपीलार्थी और मृतका कविता के बीच पूर्व रात्रि में झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी ने क्रोधित होकर तथा अपनी संवेदना को खोकर अपनी पत्नी कविता और अपने पुत्र सन्नी पर तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 5.00 बजे पूर्वाह्न हमला कर दिया । कविता की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और सन्नी क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था और उसे मौजूद व्यक्तियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया ।

4. पिन्टू ने तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 7.30 बजे पूर्वाह्न इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बिलारियागंज पर की थी जहां थाना भारसाधक अधिकारी संतोष कुमार शर्मा (अभि. सा. 6) ने दंड संहिता की धारा 308/304 के अधीन अपराध सं. 789/2009 पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की थी । भारसाधक अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने चिक रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अन्य कागजात तैयार किए और घटनास्थल की ओर अर्थात् अपीलार्थी का मकान ग्राम करमैनी पर अग्रसर होने के लिए अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं जहां उसने इत्तिला देने वाले का कथन अभिलिखित किया था और घटनास्थल का निरीक्षण करके सादी और रक्त-रंजित कीचड़ को एकत्रित किया था । अभियुक्त को उसी दिन उसी मकान के कमरे से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से रक्त-रंजित गंडासा बरामद किया गया । साक्षी नसीम और गयासुद्दीन के हस्ताक्षर तथा अपीलार्थी धर्मेन्द्र के हस्ताक्षर बरामदगी ज्ञापन लिए गए थे जिसे प्रदर्श क-7 से चिह्नित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने शव की मृत्युसमीक्षा की जिसे उप-निरीक्षक कमला यादव द्वारा किया गया था और इसके पश्चात् शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया ।

5. डा. विमलेश कुमार (अभि. सा. 5) ने तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 2.50 बजे अपराह्न कविता जिसकी आयु लगभग 26 वर्ष थी के शव का शवपरीक्षण किया । मृतका औसत कद काठी की थी और उसके देह के दोनों ओर शव काठिन्य मौजूद था । उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व क्षतियां थीं :–

> "(1) मुंह के 3 से. मी. नीचे ठुड्डी के बाईं ओर 7 से. मी. x 2 से. मी. का छिन्न घाव जो अस्थि की गहराई तक था ।
>
> (2) क्षति सं. 1 के 1 से. मी. नीचे 10 से. मी. x 3 से. मी.

का छिन्न घाव जो मांसपेशी की गहराई तक था ।

(3) क्षति सं. 2 के 3 से. मी. नीचे 7 से. मी. x 1 से. मी. का छिन्न घाव जो गर्दन की गुहिका की गहराई तक था ।

(4) बाएं कंधे के शीर्ष पर 9 से. मी. x 1/2 से. मी. का रेखीय छिन्न घाव जो मांसपेशी की गहराई तक था ।

(5) बाएं कंधे के 10 से. मी. नीचे शीर्ष पर बाईं भुजा के पश्च पहलू पर 4 से. मी. x 1 से. मी. का छिन्न घाव जो मांसपेशी की गहराई तक है ।

(6) बाईं कलाई के संधि के 12 से. मी. ऊपर 1 से. मी. x 1/2 से. मी. का छिन्न घाव जो मांसपेशी की गहराई तक है ।

(7) बाईं कलाई संधि 6 से. मी. ऊपर 1 से. मी. x 2-1/2 से. मी. का छिन्न घाव जो मांसपेशी की गहराई तक है ।

(8) छोटी अंगुली के थोड़ा नजदीक 3 से. मी. x 1 से. मी. का छिन्न घाव जो मांसपेशी की गहराई तक है ।

(9) दाहिनी तर्जनी के नीचे 4 से. मी. x 2 से. मी. का छिन्न घाव जो अस्थि की गहराई तक है ।

(10) दाहिनी हथेली पर 6 से. मी. x 0.5 से. मी. का छिन्न घाव जो मांसपेशी की गहराई तक है ।

(11) गर्दन के पीछे की ओर जो सं. में 7 हैं 10 से. मी. x 10 से. मी. का छिन्न घाव जो अस्थि और मांसपेशी की गहराई तक है । सबसे छोटी क्षति का आकार जो 7 से. मी. x 1 से. मी. है तथा सबसे बड़ी क्षति जिसका आकार 10 से. मी. x 2 से. मी. है ।"

6. सन्नी जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष थी उसकी जिला अस्पताल आजमगढ़ में तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 5.00 बजे अपराह्न मृत्यु हुई थी, डा. राजेश सिन्हा (अभि. सा. 9) द्वारा तारीख 27 अक्तूबर, 2009 को 3.30 बजे अपराह्न उसका शवपरीक्षण किया गया था । उसके देह के दोनों ओर शव काठिन्य मौजूद था । निम्नलिखित मृत्युपूर्व क्षतियां उसके शरीर पर पाई गईं :–

"(1) चेहरे के बाईं ओर लगभग 6 से. मी. लम्बा एक सिला हुआ भाग, बाएं मुंह से 1 से. मी. दूर घाव का दाहिना छोर है । कान

से लगभग 2 से. मी. नीचे घाव का बायां छोर है । सिले हुए घाव को काटने पर यह हड्डी की गहराई तक है तथा जबड़े का अस्थिभंग हुआ है ।

(2) बाएं कान के सामने 2 से. मी. पर बाएं चेहरे की ओर लगभग 1 से. मी. लम्बा एक सिला हुआ घाव है, सिले हुए घाव को काटने पर इसे मांसपेशी की गहराई तक पाया गया ।

(3) मुंह के बाएं कोण के 2 से. मी. नीचे ठुड्डी के बाएं ओर लगभग 1.5 से. मी. लम्बा एक सिला हुआ घाव पाया गया, सिले हुए घाव को खोलने पर इसे मांसपेशी की गहराई तक पाया गया ।

(4) बाईं कलाई संधि के थोड़ा नीचे बाएं हाथ के पृष्ठ पर 5 से. मी. लम्बा एक सिला हुआ घाव पाया गया, सिले हुए घाव को खोलने पर यह अस्थि की गहराई तक पाया गया था । छोटी अनामिका की करभास्थि तथा मध्य अंगुली का अस्थिभंग पाया गया था ।

(5) क्षति सं. 1 के 3.5 से. मी. नीचे गर्दन के बाएं ओर सामने 3 से. मी. x 0.5 से. मी. का एक रेखीय छिन्न घाव जो त्वचा की गहराई तक था ।

(6) क्षति सं. 5 के 3 से. मी. नीचे 3 से. मी. x 0.5 से. मी. का रेखीय एक छिन्न घाव जो गर्दन के बाईं ओर सामने मांसपेशी की गहराई तक था ।

(7) वक्ष के बाईं ओर की अस्थि पर जो आकार में 1 से. मी. से 3 से. मी. है तथा क्षति सं. 6 के थोड़ा नीचे गर्दन के बाईं ओर 7.5 से. मी. x 4 से. मी. के क्षेत्र में कई रेखीय खरोंचें ।"

7. दोनों मृतकों की मृत्यु मृत्युपूर्व क्षतियों के कारण आघात और रक्तस्राव से हुई थीं और उस जगह की मिट्टी पूर्ण रूप से रक्त-रंजित थी । रक्त साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज कथारी तथा गंडासा के पूरे भाग पर दिखाई दे रहा था । ब्लाउज, कथारी और रक्त-रंजित मिट्टी पर मानव रक्त होने का पता चला । गंडासा को मृतका के साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज कपड़े सहित, अंगूठी और कथारी के साथ रक्त-रंजित मिट्टी और सादी मिट्टी को न्यायालयिक प्रयोगशाला, आगरा को भेजा गया था । जहां तक साड़ी, पेटीकोट और गंडासा का संबंध था वहां पर रक्त अपने मूल रूप से

विघटित था । उसका अवधारण नहीं किया जा सका ।

8. अपीलार्थी को इत्तिला देने वाले की बहन कविता और उसके पुत्र सन्नी की तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को 5.00 बजे पूर्वाह्न हत्या किए जाने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था और इन आरोपों पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

9. अभियोजन पक्ष ने तथ्य के साक्षियों के रूप में मृतका का भाई पिन्टू (अभि. सा. 1), मृतका की माता शारदा देवी (अभि. सा. 2), अपीलार्थियों के पड़ोसी प्रभावती (अभि. सा. 3) और भिखारी (अभि. सा. 4) की परीक्षा की ।

10. डा. विमिलेश कुमार (अभि. सा. 5) और डा. राजेश सिन्हा (अभि. सा. 9) जिन्होंने श्रीमती कविता और सन्नी के शव की शवपरीक्षा की जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, उप-निरीक्षक मोहम्मद इजराइल (अभि. सा. 7) जिन्होंने तारीख 27 अक्तूबर, 2009 को जिला अस्पताल, आजमगढ़ के शव गृह पर सन्नी के शव की मृत्युपरीक्षा की । थाना अधिकारी संतोष कुमार शर्मा (अभि. सा. 6) जिन्होंने दंड संहिता की धारा 308/304 के अधीन मामले को रजिस्ट्रीकृत किया और उपरोक्त रूप में अन्वेषण प्रारंभ किया था । उप-निरीक्षक राम सिंह (अभि. सा. 8) जो दूसरा अन्वेषक अधिकारी था जिन्होंने तारीख 1 दिसंबर, 2009 से अन्वेषण का जिम्मा लिया और रक्त-रंजित कीचड़ को न्यायालयिक प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया था तथा अन्य साक्षियों की मृत्युसमीक्षा के बारे में कथन अभिलिखित किए और तारीख 10 दिसंबर, 2009 को अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र पेश किया । अन्य साक्षी औपचारिक साक्षी हैं ।

11. पिन्टू (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके दामाद अपीलार्थी धर्मेन्द्र और उसकी पत्नी कविता जो इस साक्षी की बहन है, के बीच तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को झगड़ा हुआ था । परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने क्रोधित होकर अपना आत्मसंयम खो दिया और उसकी बहन कविता और उसके पुत्र सन्नी पर गंडासा से हमला किया । इस सूचना को पाकर वह अपनी बहन के ससुराल गया था । उसने अपनी बहन को मृत पाया और उसका भान्जा सन्नी को गांववासियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था । वहां पर कई व्यक्ति एकत्रित हुए थे । उसने राज कुमार द्वारा

लिखाई गई रिपोर्ट प्रदर्श क-1 प्राप्त की जिसे उसने उसी दिन 7.35 बजे पूर्वाह्न उस पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् रिपोर्ट पुलिस थाना बिलारियागंज को सौंप दी । उसके भान्जे की अपीलार्थी द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना नहीं देखना स्वीकार किया है परंतु रविन्द्र कविता के देवर से इस बारे में पता लगना बताया है । उसने यह भी कथन किया कि कविता का लगभग 10 वर्ष पूर्व अपीलार्थी धर्मेन्द्र से विवाह हुआ था ।

12. मृतका की माता श्रीमती शारदा देवी (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पिन्टू उसके पास आया था और उसने यह बताया कि उसके दामाद धर्मेन्द्र ने गंडासा से उसकी पुत्री कविता और अपने पुत्र सन्नी पर हमला कर दिया । इसके पश्चात् पिन्टू ग्राम करमैनी गया था । बाद में श्रीमती शारदा देवी कुछ अन्य गांववासियों के साथ करमैनी की ओर गई । जब वे गांव पहुंचे तो उसने देखा कि कविता मृत पड़ी हुई है और सन्नी को कविता के ससुर और धर्मेन्द्र की चाची द्वारा अस्पताल ले जाया गया था । दीपक और सरोज जो धर्मेन्द्र की चाची के पुत्र हैं उन्होंने उसे यह बताया कि धर्मेन्द्र ने कविता और सन्नी पर हमला किया था । कविता के ससुर बहादुर "ठेला" चलाया करते थे और धर्मेन्द्र कोई काम नहीं करता था । वह पूरे दिन घूमता रहता था । उसकी पुत्री कविता पैसा कमाने के लिए कुछ घरों में कपड़े धोती थी और कुछ काम करती थी । धर्मेन्द्र बार-बार मृतका से अपने घर से पैसा लाने के लिए कहा करता था और विवाह के पश्चात् से उसको परेशान किया करता था । जब कभी उसकी पुत्री अपने ससुराल जाया करती तब श्रीमती शारदा उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1000-1500 या 2000 रुपए दिया करती थी । घटना के एक मास पूर्व जब कविता अपने मायके पर पहुंची तब उसने अपनी माता को यह बताया था कि कविता भिन्न-भिन्न घरों पर कपड़े धोने या रसोईघर का काम (चूल्हा-बर्तन) के लिए जाया करती है । धर्मेन्द्र उसके चरित्र पर संदेह किया करता और उसे मारने की धमकी दी थी । धर्मेन्द्र उसे प्रायः पीटा करता था । दो मास पूर्व धर्मेन्द्र श्रीमती शारदा देवी (अभि. सा. 2) से मिला था जिसने इस बारे में उससे प्रश्न किया कि वह उसकी पुत्री को क्यों पीटा करता है परंतु धर्मेन्द्र ने तथ्य से इनकार किया । धर्मेन्द्र का कविता से 10 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था । धर्मेन्द्र के चाचा कन्हाई और सरोज ने यह बताया कि धर्मेन्द्र ने मृतका पर हमला किया था परंतु उन्होंने यह प्रकटीकरण सुनी-सुनाई बात के आधार पर किया है । उसने अपनी

प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या उसकी पुत्री ने पीटे जाने के कारण पूर्व में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज की थी ।

13. धर्मेन्द्र की पड़ोसिनी प्रभावती (अभि. सा. 3) ने घटना देखे जाने से इनकार किया है और यह दावा किया है कि वह शौच के लिए बाहर गई हुई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था और जिला सरकारी काउंसेल द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा करने पर उसने अन्वेषक अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कोई कथन किए जाने से इनकार किया । उसने धर्मेन्द्र से सांठ-गांठ होने वाली बात से भी इनकार किया है क्योंकि अपीलार्थी उसकी जाति का है ।

14. इसी भांति भिखारी (अभि. सा. 4) ने यह दावा किया है कि उसने केवल यह सुना है कि धर्मेन्द्र ने अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या की है । जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो पुलिस शव को ले गई थी और धर्मेन्द्र भी वहां पर मौजूद नहीं था । अगले दिन वह धर्मेन्द्र के पुत्र सन्नी को देखने के लिए अस्पताल पर गया तब सन्नी की मृत्यु हो चुकी थी । पुलिस द्वारा उसकी मौजूदगी में सन्नी की मृत्युसमीक्षा की गई थी और उसने मृत्युसमीक्षा कागजातों पर अपने हस्ताक्षर किए । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसका मकान धर्मेन्द्र के मकान से 1-1/2 मील की दूरी पर है । वह 8.00 बजे पूर्वाह्न धर्मेन्द्र के मकान पर पहुंचा । उसने पुलिस द्वारा उससे प्रश्न पूछे जाने की बात को स्वीकार किया परंतु उसने उन्हें यह बताए जाने का दावा किया है कि उसने कुछ भी नहीं देखा था । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया । जिला सरकारी काउंसेल (आपराधिक) द्वारा उसे यह सुझाव दिया गया था कि उसके धर्मेन्द्र के कुटुंब से अच्छे संबंध थे । परंतु उसने अच्छे संबंध होने के कारण अपने वृत्तांत को बदलने से इनकार किया है ।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन मामले की परिस्थितियों को अपीलार्थी के समक्ष रखा गया था जिस पर उसने इनकार किया । उसने यह दावा किया है कि वह निर्दोष है और वह अपने अन्य मकान में सोता था और उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । जब उससे विनिर्दिष्ट रूप से अत्यधिक पूछताछ की गई तो उसने यह उत्तर दिया, "नहीं मालूम" । (वह इसका उत्तर नहीं जानता है)

16. अपीलार्थी के पिता बहादुर की प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में परीक्षा

की गई । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि धर्मेन्द्र उसके मकान में उसके साथ सोया करता था जो उस मकान से 70-75 कदमों की दूरी पर है जहां मृतका, उसकी पुत्रवधु सोया करती थी । उसकी पुत्रवधु सुन्दर थी और कई व्यक्ति उसके पास आया करते थे । उसने अपनी पुत्रवधु को मना किया था कि कोई आगन्तुक उसके पास न आए, अन्यथा कोई घटना घट सकती है परंतु उसने कभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया । इन आगन्तुकों में से किसी के द्वारा कविता और उसके पुत्र सन्नी की हत्या किया जाना हो सकता है और सन्नी को इस घटना में क्षतियां पहुंची थीं जिस कारण उसकी मृत्यु हुई । न्यायालय द्वारा प्रश्न करने पर उसने यह स्वीकार किया है कि उसके पुत्र और पुत्रवधु के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था । अपीलार्थी जो उसका पुत्र है वह रोजाना रात्रि में उसके मकान पर सोया करता था । अपर जिला सरकारी काउंसेल द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की गई तब प्रतिरक्षा साक्षी 1 बहादुर ने यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी धर्मेन्द्र और उसकी पुत्रवधु के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ ।

17. फूल चन्द्र प्रतिरक्षा साक्षी 2 जो पड़ोसी था उसने भी प्रतिरक्षा साक्षी 1 के भांति साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी के पिता बहादुर के दो मकान थे । पुराने मकान में हत्या हुई थी जहां अपीलार्थी की पत्नी अपने दो वर्ष के पुत्र के साथ रहा करती थी । उसका रंग रूप आकर्षक था और वह गांव के अन्य मकानों में घरेलू कार्य करने के लिए जाया करती थी । गांववासी उसके पास आया करते थे । घटना की तारीख को धर्मेन्द्र अपने पिता के मकान पर रुका था । फूल चन्द्र (प्रतिरक्षा साक्षी 2) को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे घटना घटी थी । धर्मेन्द्र और उसकी पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं हुआ था और उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या धर्मेन्द्र की पत्नी का उसके बुरे चरित्र के कारण हत्या की गई थी परंतु उसने यह दावा किया है कि धर्मेन्द्र ने उसकी हत्या नहीं की थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना से एक सप्ताह पूर्व धर्मेन्द्र को देखा था और उसका मकान धर्मेन्द्र के दोनों मकानों से कम से कम 200 फीट की दूरी पर है ।

18. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और परिस्थितियां इस अपराध से अपीलार्थी को संबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि अपीलार्थी के पिता बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 और फूल चन्द्र प्रतिरक्षा साक्षी 2 ने यह साक्ष्य दिया है कि धर्मेन्द्र अपने दूसरे मकान में अपने पिता के साथ रात गुजारा

करता था और उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की इसलिए, यह स्पष्टीकरण देने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन अपीलार्थी पर कोई भार नहीं डाला जा सकता है कि उसके मकान में दो मृतकों की कैसे हत्या हुई थी । उन्होंने थाना अधिकारी संतोष कुमार शर्मा (अभि. सा. 6) जो प्रथम अन्वेषक अधिकारी है के साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि केस डायरी में की गई प्रविष्टियां उचित रूप से नहीं की गई थीं । अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को अन्वेषण प्रारंभ किए जाने का दावा किया है जब उसने प्रथम केस डायरी पर्चा लिखा था परंतु उसने उस समय का उल्लेख नहीं किया था जब उसने इसे समाप्त किया था । उसने उस समय का भी उल्लेख नहीं किया है जब उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । समय का उल्लेख किए जाने के अभाव में अन्वेषण की गुणता पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है । उसने यह भी दलील दी कि अपीलार्थी से गंडासा की बरामदगी संदेहपूर्ण है क्योंकि बरामदगी ज्ञापन में उल्लिखित बरामदगी के साक्षियों में से किसी साक्षी की यानी नसीम और गयासुद्दीन की परीक्षा नहीं की गई । अपीलार्थी के लिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह अपने पुराने मकान में रहे । जहां तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को घटना की तारीख को उसे गिरफ्तार किया गया था । यह भी अत्यधिक आश्चर्य में डालने वाली बात है कि अपीलार्थी ने उस समय रक्त-रंजित गंडासा को क्यों पकड़ रखा था । उसने यह भी दलील दी कि वास्तव में मृतका कविता के घर पर बाहरी लोग आया-जाया करते थे क्योंकि वह दुश्चरित्र थी और किसी ने उसकी हत्या की थी और अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसा दिया गया । दो पड़ोसी साक्षी श्रीमती प्रभावती (अभि. सा. 3) और भिखारी (अभि. सा. 4) को पक्षद्रोही घोषित किया गया जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । डा. राकेश सिन्हा (अभि. सा. 9) ने एक प्रक्रम पर अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि क्षतियां किसी धारदार आयुध से कारित किया जाना हो सकती हैं और यह आवश्यक नहीं है कि क्षतियां गंडासा से ही की गई हों ।

19. उन्होंने यह भी दलील दी कि यह ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें मृत्यु दंड देना समुचित हो क्योंकि अपीलार्थी मानसिक परेशानियों के कारण उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था । उसने **धर्मेन्द्र सिन्हा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] और **राकेश कुमार** बनाम **राज्य** मार्फत **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,**

---

[1] (2002) 4 एस. सी. सी. 679.

दिल्ली सरकार[1] वाले मामलों के विनिश्चयों का अवलंब लिया ।

20. दूसरी ओर विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी कि इस मामले की परिस्थितियां इस अपराध से अपीलार्थी को संबंधित करने के लिए पर्याप्त हैं । प्रतिरक्षा साक्षियों का कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता । बहादुर (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और फूल चन्द्र (प्रतिरक्षा साक्षी 2) जिन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में केवल अभिसाक्ष्य दिया है क्योंकि बहादुर उसका पिता है और फूल चन्द्र उसके कुटुंब का निकट का मित्र है क्योंकि प्रतिरक्षा साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि पति और पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं हुआ था । सामान्य परिस्थितियों में यह आशा की जाती है कि अपीलार्थी मृतका और अपने 2 वर्ष के पुत्र के साथ रह रहा होगा और अपीलार्थी पर यह भार है कि वह इस बात का स्पष्टीकरण दे कि मृतका कविता और उसके पुत्र सन्नी की कैसे हत्या हुई । अन्वेषक अधिकारी ने अपीलार्थी से बरामद किए गए रक्त-रंजित गंडासा को साबित किया है और यह बात अति तात्विक नहीं है कि अन्य साक्षी अपीलार्थी से आयुध की बरामदगी को साबित करने के लिए सामने नहीं आए । अपीलार्थी ने बरामदगी ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया था जिस बात को उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इनकार किया है । सभी साक्षियों के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे अभियोजन मामले का समर्थन करें । दो साक्षी श्रीमती प्रभावती (अभि. सा. 3) और भिखारी (अभि. सा. 4) को पक्षद्रोही घोषित किया जा सका परंतु पर्याप्त अन्य साक्ष्य भी हैं जिसमें अभि. सा. 1 पिन्टू और अभि. सा. 2 शारदा देवी का परिसाक्ष्य सम्मिलित है जिनके परिसाक्ष्य की अन्य परिस्थितियों से जैसे अपीलार्थी की गिरफ्तारी के समय पर उससे रक्त-रंजित गंडासा की बरामदगी, अपराध करने के लिए अपीलार्थी का हेतु, अपीलार्थी का उस घर पर अनुपस्थित होने के बारे में मिथ्या अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् और 10.00 बजे तक रात्रि में अपने पिता के मकान में रुका होना की बातों की संपुष्टि हुई थी । अपराध करने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई वह स्वभावगत प्रतिक्रिया है और अपीलार्थी घटना के पश्चात् घटनास्थल पर रहा था जहां उसे पुलिस द्वारा गंडासा सहित गिरफ्तार किया गया । अपीलार्थी का इस बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल होने पर कि मृतका की उस घर में कैसे मृत्यु हुई थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन अपीलार्थी पर उसके स्पष्टीकरण देने का भार है जो इस अपराध में अपीलार्थी को संबंधित करने

---

[1] (2011) 13 एस. सी. सी. 706.

के लिए महत्वपूर्ण परिस्थिति है । अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई कारण नहीं है । यदि किसी अन्य व्यक्तियों ने इस अपराध को किया था ।

21. विभत्स रूप से हमले किए जाने पर विचार करते हुए इस मामले में यह समुचित होगा जहां अपीलार्थी द्वारा पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र की हत्या की गई जिस पर विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत मृत्यु दंड की शास्ति पर बाधा नहीं डाली जानी चाहिए क्योंकि आजीवन कारावास का दंड अपर्याप्त होगा ।

22. **साक्ष्य और दलीलों का विश्लेषण**

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने आधारिक दलील यह दी थी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए अपीलार्थी पर कोई भार नहीं डाला जा सकता है कि दो मृतकों की उसके मकान में कैसे मृत्यु हुई थी क्योंकि बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 अपीलार्थी का पिता और फूल चन्द्र प्रतिरक्षा साक्षी 2 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी अपने पिता बहादुर के साथ दूसरे मकान में सोया करता था जबकि मृतका कविता अपने मृतक पुत्र सन्नी के साथ दूसरे मकान में सोया करती थी । अपीलार्थी को उक्त भार को सिद्ध करने से मुक्त किया जाएगा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा दिया गया वृत्तांत संभव और स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है ।

23. तथापि, साक्ष्य और परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर हमारा यह मत है कि इन दो प्रतिरक्षा साक्षियों का परिसाक्ष्य तनिक भी सही प्रतीत नहीं होता है । बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 जो अपीलार्थी का पिता है वह स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र को फांसी के फन्दे से बचाने की कोशिश करने में हितबद्ध होगा । हमने इस वृत्तांत में कुछ अंतर्निहित अधिसंभाव्यताएं पाई हैं । सामान्यतया अपीलार्थी जिसकी आयु 28 वर्ष है उससे यह आशा की जाएगी कि वह उसी मकान में सोएगा जहां उसकी पत्नी कविता जो उसके स्वयं समकक्ष आयु की है तथा जो काफी सुंदर और आकर्षक भी है । उनके पास 2 वर्ष की आयु का बच्चा भी है जिसे उनके द्वारा संरक्षण दिया जाना जरूरी है । अभियोजन या प्रतिरक्षा मामला यह नहीं है कि दोनों पति-पत्नी के संबंध पूरी तरह से टूट चुके थे । बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वे खाना अपने पुराने मकान पर ही बनाते थे जहां मृतका उसकी पुत्रवधु और

उसका पोता निवास करता था और पूरा कुटुंब वहीं पर खाना खाता था । तथापि, बहादुर के अनुसार कि अपना खाना खाने के पश्चात् बहादुर और उसका पुत्र धर्मेन्द्र सोने के लिए अपने नए मकान पर जाते थे जो पुराने मकान से 75 कदम की दूरी पर था । बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने न्यायालय में अपनी प्रतिरक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि इस घटना से पूर्व उसकी पुत्रवधु और अपीलार्थी के बीच कोई झगड़ा हुआ था और उनके संबंध अनुकूल थे । यह भी स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी और अपने पुत्र जो इस मामले में मृतक हैं, मजदूरी का कार्य करके उनके खर्चों का वहन करता था । इन परिस्थितियों में, यह दावा किया जाना कि अपीलार्थी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ अपने स्वयं के मकान में सोता नहीं था और अपने पिता के मकान में सोता था, यह बात अविश्वसनीय है । यदि बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 का कथन कि उसकी पुत्रवधु के मकान पर आगन्तुक आया-जाया करते थे, सही है तो अपीलार्थी के लिए यह बड़ा कारण बनता है कि अपनी पत्नी के किसी आगन्तुक के साथ अवैध संबंध को रोकने के लिए पुराने मकान में सोया करता । अपर जिला शासकीय काउंसेल द्वारा आगे प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा साक्षी 1 से यह प्रश्न पूछा गया जिसका उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका कि क्यों अपीलार्थी उक्त मकान में नहीं सोता था जिसमें उसकी पत्नी और पुत्र निवास करते थे । इस साक्षी को साधारणतया यह सुझाव दिया गया था कि श्रीमती कविता के अवैध संबंध होने के कारण उसकी हत्या की गई परंतु ऐसी कोई बात प्रकट नहीं हुई थी कि किसके साथ उसके अवैध संबंध थे । यद्यपि, उसे यह सुझाव दिया गया कि गांव के 2-4 लड़के जिनके साथ उसके अवैध संबंध रहे थे परंतु उनके नामों का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था । प्रतिरक्षा साक्षी 1 इस बारे में यह निष्कर्ष देने में समर्थ नहीं हुआ था कि किसने उसकी पुत्रवधु और पोता सन्नी की हत्या की थी । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषक अधिकारी को ऐसा कोई कथन भी नहीं किया था ।

24. इसी तरह प्रतिरक्षा साक्षी 2 फूल चन्द्र ने प्रतिरक्षा साक्षी 1 के कथन का समर्थन किया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुराने मकान पर हत्या हुई थी जहां मृतका कविता बिना अपीलार्थी के अपने पुत्र के साथ निवास करती थी । धर्मेन्द्र की पत्नी सुंदर और काफी आकर्षक थी और आगन्तुक उससे मिलने आया करते थे परंतु घटना की रात्रि को धर्मेन्द्र

अपने पिता के नए मकान में सो रहा था । तथापि, उसने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि किसने मृतका की हत्या की परंतु यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी मृतका के बीच कोई विवाद नहीं था । वह यह बात कहने में भी समर्थ नहीं था कि क्या मृतका की अवैध संबंध होने के कारण हत्या की गई, परंतु उसने साधारण रूप से यह कथन किया है कि धर्मेन्द्र ने उसकी हत्या नहीं की । उसने यह भी कथन किया है कि धर्मेन्द्र के मकानों के बीच की दूरी 100 फीट थी परंतु उसका स्वयं का मकान धर्मेन्द्र के मकान से 200 फीट की दूरी पर था और धर्मेन्द्र ने उसे यह भी नहीं बताया कि वह अपने पिता के साथ सोता है । वह घटना के पश्चात् धर्मेन्द्र से नहीं मिला । उसने इस बात से इनकार किया है कि धर्मेन्द्र के नातेदार होने के कारण वह उसे बचाने की मिथ्या कोशिश कर रहा है । ऊपर उल्लिखित कारणों की बारीकी से संवीक्षा करने पर हमारा यह मत है कि अपीलार्थी के पिता बहादुर और नातेदार फूल चन्द्र अपीलार्थी को बचाने के प्रयोजन के लिए ही प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में हाजिर हुए हैं । उन्होंने ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया है जिससे यह इंगित होता हो कि अपीलार्थी अपने पिता के साथ नए मकान में क्यों सोता था और न कि उस मकान में जहां उसकी पत्नी और 2 वर्ष का पुत्र सोया करते थे, जहां उनकी हत्या हुई । उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि वास्तव में अपीलार्थी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निवास करता था जिनकी उसी मकान में हत्या हुई थी ।

25. एक अन्य परिस्थिति जो अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाती है यह है कि यदि उसकी पत्नी का किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी तो अपीलार्थी धर्मेन्द्र को रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी या कम से कम अपने 2 वर्ष के बच्चे को बचाने के लिए अपने पिता के साथ अस्पताल जाना चाहिए था जो घटना में गंभीर रूप से आहत हुआ था और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था । यद्यपि, बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 पुलिस के पास जा सका और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । यदि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया था तो वह ऐसा बताने में भी विफल रहा । जिन परिस्थितियों से केवल यह संकेत मिलता है कि वह अपीलार्थी था न कि कोई दूसरा जिसने दो हत्याएं की थीं ।

26. हम इस बात को भी समझते हैं कि यद्यपि इस बारे में थोड़ी

बहुत असामान्य बात प्रकट हुई है कि अपीलार्थी को गंडासा के साथ उसके मकान से कैसे गिरफ्तार किया गया और वह घटना के पश्चात् तत्काल भी फरार नहीं हुआ था परंतु कुछ विनिश्चयों में यह कहा गया है कि ऐसी कोई सामान्य रीति नहीं है जिसमें किसी मानव द्वारा (चाहे अभियुक्त या कोई साक्षी) अपराध करने के पश्चात् ऐसा कार्य करेगा । वास्तव में यह संभव है कि अपीलार्थी ने अविवेकपूर्ण रूप से क्रोधित होकर उसने अपनी पत्नी कविता के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया होगा क्योंकि वह काम करने के लिए भिन्न-भिन्न लोगों के मकान पर जाया करती थी जैसाकि कविता की माता (अभि. सा. 2) शारदा देवी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है जिस पर उसने अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या कर दी । परंतु संताप से अभिभूत होकर वह मनोव्यथित हो गया और घटनास्थल पर ठहर गया जहां उसे पुलिस द्वारा उसी दिन उसके मकान में पहुंचने पर गंडासा सहित उसे गिरफ्तार कर लिया गया जैसाकि अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 6) संतोष कुमार शर्मा द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया ।

27. इस प्रकार, **बचित्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है (एस. सी. सी. पृष्ठ 135 पैरा 12) "12. मानव व्यवहार हर व्यक्ति का भिन्न हो सकता है । भिन्न-भिन्न लोगों का व्यवहार और प्रतिक्रिया विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न हो सकती है । मानव व्यवहार प्रत्येक वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर है कि किसी व्यक्ति को विशिष्ट स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए कभी भी पूर्वकथित नहीं हो सकता है ....."

28. पुनः **दिनेश बोरठाकुर** बनाम **असम राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पृष्ठ 707 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया :–

> "47. किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया के बारे में किसी कठोर नियम का सारभौम रूप से लागू होना वर्णित नहीं है । इस प्रकार ऐसा अधिकथित किया जा सकता है । कोई व्यक्ति अपने विवेक के संतुलन को खो सकता है परंतु कोई अन्य व्यक्ति चुपचाप मूक दर्शक तब तक बना रह सकता है जब तक कि वह स्वयं उसका समाधान करने के लिए अपने को समर्थ न बना सके और तब वह अपने स्वयं की रीति से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है । इस प्रकार,

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 125.

[2] (2008) 5 एस. सी. सी. 697.

अपीलार्थी अपनी पत्नी और पुत्र के शवों को देखकर रोया नहीं इससे उसकी दोषिता का आधार (यथामुद्रित अनुमान निकालना) नहीं माना जा सकता ।

वर्तमान मामले में यह भी सत्य है कि ग्यासुद्दीन और नसीम गंडासा की बरामदगी और तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को अपीलार्थी की गिरफ्तारी तथा बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-7) पर हस्ताक्षर किए जाने के लोकसाक्षी हैं जिनकी परीक्षा नहीं की गई । परंतु यह असामान्य बात है कि बाहरी साक्षी साक्ष्य देने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वे पुलिस से मिलने से बचना चाहते हैं । परंतु इस बात से स्वतः बरामदगी की विश्वसनीयता और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर संदेह करने का कारण नहीं हो सकता । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार **बनाम** सुनील [(2001) 1 एस. सी. सी. 652] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि ऐसी कोई आवश्यक विधि अध्यपेक्षा नहीं है कि बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी जिन्होंने बरामदगी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हों या प्रत्येक मामले में पेश हुए हों ऐसी उपधारणा करने का कोई कारण नहीं है कि पुलिस ने नियमित रीति में अपने शासकीय कार्य को पूरा नहीं किया है । ऊपर उल्लिखित विधि रिपोर्ट के पैरा 20 में विनिर्दिष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया गया है :

20. ..... परंतु यदि कोई साक्षी मौजूद नहीं था या कोई व्यक्ति दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ था तो यह अधिकथित करना कठिन है जैसाकि विधि की प्रतिपादना है कि पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा तैयार किया गया दस्तावेज को दूषित माना जाएगा और बरामदगी साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जाएगा । न्यायालय को अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य पर विचार करना चाहिए जिसने बरामदगी के तथ्य पर अभिसाक्ष्य दिया है और जो अभियुक्त के स्वयं कही गई बातों के कथन पर आधारित हैं ।

कश्मीर लाल **बनाम** हरियाणा राज्य [(2013) 6 एस. सी. सी. 595], मुंशी मुबार **बनाम** हरियाणा राज्य [(2012) 10 एस. सी. सी. 464] वाले मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोक्त विनिश्चय का अनुमोदन किया गया है ।"

29. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी से इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया कि उसके बताने पर कैसे रक्त-रंजित

गंडासा बरामद हुआ था । उसने साधारण तौर पर यह कथन किया कि ऐसा कैसे हुआ उसे पता नहीं, "नहीं मालूम" ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि रक्त-रंजित गंडासा उससे बरामद नहीं हुआ था बल्कि उसे उस पर अधिरोपित किया गया । ऐसी ही परिस्थितियों के बारे में **जान पांडियन** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया जो निम्न प्रकार है (एस. सी. सी. पृष्ठ 153 पैरा 57) :–

> "57. ..... बरामदगी विश्वसनीय प्रतीत होती है । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा यह स्वीकार किया गया है और हम इसे त्यक्त करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । इस तथ्य से अलग कि इस आयुध को न्यायालयिक प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया था और उस पर मानव रक्त पाया गया था । यद्यपि रक्त समूह का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सका क्योंकि परिणाम अनिश्चायक थे । अभियुक्त ने इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया था कि इस आयुध पर मानव रक्त कैसे लगा । उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया ऐसी बरामदगी अभियोजन पक्षकथन के लिए अति सकारात्मक होगी । महाराष्ट्र राज्य **बनाम** सुरेश [(2000) 1 एस. सी. सी. 471] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब अभियुक्त का ध्यान इन परिस्थितियों की ओर दिलाया गया कि अपराध किए जाने के संबंध में उसकी दोषिता और वह समुचित स्पष्टीकरण देने में विफल हुआ या उस बारे में मिथ्या उत्तर दिया । उक्त विफल होने पर परिस्थितियों की पूरी शृंखला की गायब कड़ी के रूप में विचार किया जा सकता है ।"

30. निःसंदेह पड़ोसी साक्षी प्रभावती (अभि. सा. 3) और अभि. सा. 4 भिखारी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और पहले ने अन्वेषक अधिकारी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने दिए गए कथन का खंडन किया है । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया क्योंकि उसने घटना की किसी भी जानकारी होने से इनकार किया था । इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि वह अपीलार्थी को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह उसकी जाति से संबंधित है तथा उसकी पड़ोसन है । भिखारी (अभि. सा. 4) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने यह सुना था कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र की हत्या कर दी थी परंतु उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन

---

[1] (2010) 14 एस. सी. सी. 129.

किया है कि अपर जिला सरकारी काउंसेल ने उसके कथन को लिखवाया था । उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया । उसने इस बात से इनकार किया है कि उसे इसलिए पक्षद्रोही घोषित किया गया था क्योंकि उसके धर्मेन्द्र और उसके कुटुंब के साथ अच्छे संबंध थे । यह मत व्यक्त किया गया कि प्रायः स्वतंत्र साक्षी मामलों में साक्ष्य देने के लिए अत्यधिक रूप से अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उनका प्रत्येक अपराध के बारे में यह विचार रहता है कि दो लड़ने-झगड़ने वाले पक्षकारों का निजी मामला है । इस कारण से न्यायालय अपने समक्ष स्वतंत्र साक्षियों को पेश किए जाने के लिए आग्रह नहीं करता है और उपलब्ध साक्षियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आधार पर दंडादेश पारित करता है । इस संदर्भ में **अप्पा भाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है :–

> "11. इन सिद्धांतों के प्रकाश में हम अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई प्रथम दलील पर विचार करेंगे । यह दलील अभियोजन पक्ष के विफल होने से संबंधित है जिसमें स्वंतत्र साक्षियों की परीक्षा कराई जानी थी । उच्च न्यायालय ने इस दलील की परीक्षा की परंतु अन्वेषण किए जाने में कोई दुर्बलता नहीं पाई गई । निःसंदेह यह बात सही है कि अभियोजन पक्ष घटना के बारे में किसी स्वतंत्र साक्षी को पेश करने में सफल नहीं हुआ जो घटना बस स्टैंड के पास घटी थी । वहां पर ऐसे कई साक्षी मौजूद होने चाहिए थे । परंतु अभियोजन पक्षकथन को केवल इस आधार पर हटाया नहीं जा सकता या उस पर संदेह नहीं किया जा सकता । अनुभव हमें यह स्मरण कराता है कि सभ्य लोग सामान्यतया असंवेदनशील हो जाते हैं जब उनकी मौजूदगी में कोई अपराध किया जाता है । वे आहत से तथा अपनी चौकसी बरतने से अपने को दूर कर लेते हैं । वे न्यायालय से अपने को दूर रखना चाहते हैं जब तक कि ऐसा करना अपरिहार्य न हो । वे सोचते हैं कि अपराध दो व्यक्तियों या पक्षकारों के बीच सिविल विवाद है और वे अपने को उसमें शामिल नहीं करना चाहते । साधारण लोगों की इस प्रकार की उदासीनता वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है परंतु ऐसा प्रत्येक जगह दिखाई देता है चाहे गांव का जीवन हो या कस्बों या शहरों का । कोई भी व्यक्ति ऐसी असुविधा

---

[1] (1988) सप्ली. एस. सी. सी. 241.

की उपेक्षा नहीं कर सकता है जिस पर अन्वेषण अभिकरण को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए । अतः न्यायालय स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में अभियोजन पक्ष पर संदेह करने के बजाय अभियोजन वृत्तांत के व्यापक वर्णक्रम पर विचार करना चाहिए ताकि अभियुक्त द्वारा सुझाई गई किसी बात की संभाव्यता के बारे में सच्चाई का पता लगा सकें । किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जाती है कि कुटुंब के सदस्य मामले में साक्ष्य देने के लिए आगे आएंगे जैसाकि प्रायः स्वतंत्र साक्षियों के बारे में सोचा जाता है कि मामला उनसे संबंधित नहीं होता परंतु साधारणतया नातेदार सदस्यों के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अभियुक्त के विरुद्ध अभिसाक्ष्य दें यदि वह अपराध में सम्मिलित नहीं था और वास्तविक अपराधी को छोड़ दें ....."

31. अतः, हमारे समक्ष ऐसी कोई समस्या प्रकट नहीं हुई है यदि श्रीमती प्रभावती (अभि. सा. 3) और श्रीमती शारदा देवी (अभि. सा. 4) जो पड़ोसी हैं तथा एक ही जाति से संबंधित हैं या अपीलार्थियों को पहचानते हैं, अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने में विफल हुए हैं इसलिए, उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । अभियोजन साक्षी 1 धर्मेन्द्र, अभि. सा. 2 शारदा देवी जो क्रमश: मृतका कविता का भाई और माता है उन्होंने अपराध के हेतु को यथावत रूप से सिद्ध किया है जो इस मामले की अन्य परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं और इस अपराध से अपीलार्थी को संबंधित करने के लिए पर्याप्त रूप से सिद्ध की जा सके ।

32. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया में कुछ दोष बताए गए हैं जहां तक थाना अधिकारी एस. के. शर्मा, प्रथम अन्वेषक अधिकारी ने दावा किया है उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि केस डायरी में की गई प्रविष्टियों पर उन्होंने समय का उल्लेख नहीं किया है जब उन्होंने तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को प्रथम पर्चा लिखा था और उन्होंने उस समय का भी उल्लेख नहीं किया है जब उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । हमने यह विचार किया है कि अन्वेषण प्रक्रिया में ऐसी छोटी-मोटी अनियमितताओं के कारण सम्पूर्ण साक्ष्य और अभियोजन पक्षकथन के आधार को त्यक्त नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अनियमितताओं के पहलू पर विधि की रूप रेखा का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् और साक्ष्य के निर्धारण में अन्वेषण की कमियों पर उच्चतम न्यायालय ने हेमा **बनाम** राज्य [(2013) 10 एस. सी. सी. 192 पृष्ठ 204] वाले मामले के नवीनतम विनिश्चय में यह अधिकथित किया है जो इस

प्रकार है :–

> 18. यह स्पष्ट है कि अन्वेषण में केवल कुछ त्रुटियों के कारण, अन्वेषक अधिकारी की ओर से की गई त्रुटि दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त यद्यपि अन्वेषक अभिकरण की ओर से असावधानी बरता जाना या किसी तरह की लोप आदि किए जाने पर न्यायालय की यह बाध्यता है कि अभियोजन साक्ष्य की संवीक्षा करें जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसी त्रुटियों को हटाया जाए कि उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं और क्या ऐसी त्रुटियां सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य को प्रभावित करता है ।

33. परंतु अपीलार्थी के विरुद्ध मुख्य परिस्थिति यह थी कि यदि ऐसा वृत्तांत अपीलार्थी तथा प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा किया गया है कि अपीलार्थी अपने पिता के मकान में सोया करता था जो बात असत्य थी और उसने विलंब से अन्यत्र उपस्थित होने का मिथ्या अभिवाक् किया था तथा वास्तविक रूप से वह उस प्रश्नगत रात्रि को अपने मकान में सोया था जहां वह और उसका पुत्र दोनों मृतक उसके साथ थे, तब साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन यह स्पष्टीकरण देने का भार अपीलार्थी पर है कि उस मकान में दो लोगों की कैसे हत्या हुई थी जो तथ्य उसके अनन्य जानकारी में था और जिस बारे में अभियोजन पक्ष के लिए अत्यधिक कठिनाई थी कि वह साक्ष्य को पेश करे । परंतु अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अपने विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन से इनकार किया है और उसने साधारण तौर पर यह कहा है कि वह निर्दोष था और अपने दूसरे मकान में सोता था । ऐसी मिथ्या प्रतिरक्षा और उक्त हत्याओं के बारे में किसी स्पष्टीकरण देने का अभाव विलुप्त कड़ी को भरने के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियां थीं जिससे यह अनुमान निकलता है कि केवल अपीलार्थी न कोई दूसरा व्यक्ति दो हत्याओं के लिए जिम्मेदार था ।

34. अभि. सा. 9 डा. राकेश सिन्हा द्वारा की गई इस स्वीकारोक्ति पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है कि क्षतियां किसी धारदार आयुध से कारित की जा सकती हैं न कि गंडासा द्वारा । यह केवल डाक्टर की राय थी । यह छिन्न क्षति कतिपय रूप से गंडासा या किसी अन्य धारदार आयुध से कारित की जा सकती है । इन सभी बातों को डाक्टर द्वारा स्वीकार किया गया । महत्वपूर्ण पहलू गंडासा आयुध था जो अपीलार्थी से बरामद किया गया था जिस पर रक्त लगा हुआ था जिससे अभियोजन वृत्तांत को यह आश्वासन मिलता है कि अपीलार्थी के बारे में इस गंडासा से अपनी पत्नी

और पुत्र की हत्या किया जाना प्रतीत होता है । जैसाकि **सुनील स्लिफोर्ड डैनियल** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट मात्र यह उल्लेख किए जाने के कारण थी कि गंडासा पर लगा हुआ रक्त विघटित था, इसलिए, इस रक्त के मूल स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सका इस पृष्ठभूमि में अपीलार्थी द्वारा इस बारे में अपने कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका कि यह रक्त-रंजित गंडासा अपीलार्थी से कैसे बरामद हुआ था "..... अभियुक्त को कोई फायदा नहीं दिया जा सकता है जिससे वह किसी फायदे का दावा करने में समर्थ हो और रक्त आदि के विघटित होने की रिपोर्ट को विलुप्त कड़ी की शब्दावली में नहीं रखा जा सकता है जिसके आधार पर परिस्थितियों की शृंखला के बारे में टूटे होने की उपधारणा की जा सकती हो ।" (सुनील स्लिफोर्ड पैरा 46)

35. **त्रिमुख मारोति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले में के पैराओं में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया जो इस प्रकार है :–

> 14. यदि कोई अपराध मकान के किसी एकांत भाग पर किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में जहां हमलावर के पास अपराध किए जाने के लिए षड्यंत्र करने का पूरा अवसर होता है और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के लिए यह अत्यधिक कठिन होगा कि अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य दें यदि पारिस्थितिक साक्ष्य के कठोर सिद्धांत जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है जिन पर न्यायालयों द्वारा बल दिया गया है । कोई भी न्यायाधीश केवल यह विचार करने के लिए आपराधिक विचारण का संचालन नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाए । न्यायाधीश यह विचार करने के लिए भी मामले का संचालन करता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न पाए । ये दोनों लोक कर्तव्य हैं [देखिए स्टिरलैंड **बनाम** डाइरेक्टर आफ पब्लिक प्रोसिक्यूसन, 1944 एस. सी. 315), पंजाब राज्य **बनाम** करनैल सिंह (2003) 11 एस. सी. सी. 271] वाले मामलों में न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत द्वारा अनुमोदन के साथ उपरोक्त बात उत्कथित की गई है । विधि अभियोजन पर ऐसा कर्तव्य नहीं थोपती है कि वह ऐसे चरित्र

---

[1] (2012) 11 एस. सी. सी. 205.

[2] (2006) 10 एस. सी. सी. 681.

के बारे में साक्ष्य दें जिसके बारे में साक्ष्य देना अत्यधिक असंभव है या ऐसे साक्ष्य देने में अत्यधिक कठिनाई है । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा साक्ष्य दे जिसे देने में वह समर्थ हो जिस पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा । यहां पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसमें यह कहा गया है कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति की जानकारी में विशेष रूप से है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है । उदाहरणार्थ इस धारा में संलग्न (ख) इस उपबंध की अंतर्वस्तु और परिधि पर कुछ प्रकाश डालता है और इसका परिशीलन करने पर (ख) एक व्यक्ति पर बिना टिकट के रेल की यात्रा करने का आरोप है । तब सबूत का भार उस पर है कि उसके पास टिकट था ।

15. जहां हत्या की भांति कोई अपराध मकान के अंदर एकांत भाग पर किया जाता है तब मामले को सिद्ध करने के लिए प्रारंभिक भार निःसंदेह अभियोजन पक्ष पर होता है परंतु साक्ष्य की प्रकृति और कोटि जिसे आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिया जाना है उसी मात्रा का नहीं हो सकता जैसाकि पारिस्थितिक साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित है और ऐसा भार तुलनात्मक रूप से हल्के लक्षण का होता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए कि मकान के निवासियों पर इस बारे में अकाट्य स्पष्टीकरण देने का समरूप भार होगा कि अपराध कैसे किया गया था । मकान के निवासी साधारण रूप से शांति बनाए रखने में अपने को अलग नहीं रख सकते और ऐसे आधार वाक्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण न दें कि अभियोजन मामलों को साबित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और अभियुक्त पर तनिक भी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं थोपा गया है कि वह कोई स्पष्टीकरण दे ।

रविराला लक्ष्मैया **बनाम** आन्ध्र प्रदेश राज्य [(2013) 9 एस. सी. सी. 283] जो एक दूसरा मामला है जिसमें पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और उसकी हत्या कर दी गई तब यह दर्शित करने का प्रयास किया गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । ऐसी प्रतिरक्षा असत्य पाई गई थी । उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया जो इस प्रकार है –

यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में जहां कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है तब वहां पर यह सिद्धांत है कि जब अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति अभियुक्त के समक्ष रखी गई और उक्त अभियुक्त ने उस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया या कोई स्पष्टीकरण दिया भी तो वह असत्य पाया गया तब परिस्थितियों की शृंखला को उससे जोड़ने के लिए उसे पूरा किया जाना चाहिए । (देखिए उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** डा. रविन्द्र प्रकाश मित्तल (ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2045); गुलाब चन्द **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1598); तमिलनाडु राज्य **बनाम** राजेन्द्रन ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3535; महाराष्ट्र राज्य **बनाम** सुरेश [(2000) 1 एस. सी. सी. 471] और गणेश लाल **बनाम** राजस्थान राज्य [(2002)1 एस. सी. सी. 731] ये विनिश्चय इस मामले के तथ्यों पर समान रूप से लागू होते हैं । कुटुंब का कोई सदस्य भले ही वह अपराध का साक्षी हो कुटुंब के अन्य सदस्य के विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए अग्रसर नहीं होगा । पड़ोसी जिनका साक्ष्य कुछ सहायक हो सकता है, साधारणतया न्यायालय में यह साक्ष्य देने के अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वे दूर रहना चाहते हैं और पड़ोसी कुटुंब का विरोध करना नहीं चाहते । दुल्हन के माता-पिता या अन्य कुटुंब के सदस्य अपराध किए जाने के परिदृश्य से दूर रहते हैं और वह ऐसी स्थिति में नहीं होते कि प्रत्यक्ष साक्ष्य दें जिससे कि पैसे की या दहेज की मांग और दुल्हन को परेशान किए जाने के सिवाय वास्तविक अभियुक्त को अपराध में फंसा सकें । परंतु इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि मकान के अंदर एकांत स्थान में किया गया अपराध को अदंडनीय रूप से छोड़ दिया जाए ।

36. इस मामले में अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या इस बारे में मिथ्या स्पष्टीकरण दिया है कि रक्त-रंजित गंडासा उससे कैसे बरामद किया गया और उसकी पत्नी तथा 2 वर्ष के बच्चे की उसके मकान में कैसे हत्या हुई और उसने मिथ्या प्रतिरक्षा दी है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घटना की रात्रि को मकान में मौजूद नहीं था और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन अपने पर डाले गए भार का निर्वहन करने में असफल हुआ है क्योंकि यह तथ्य अपीलार्थी के अनन्य जानकारी में थे और अभियोजन पक्ष के लिए यह अत्यधिक कठिन था कि वह इन तथ्यों के बारे में साक्ष्य पेश करे । यह एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण

परिस्थिति है जो इस अपराध से अपीलार्थी को संबंधित करती है ।

37. संक्षेप में हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि निम्नलिखित परिस्थितियां इस अपराध से अपीलार्थी को संबंधित करने के लिए पर्याप्त हैं :–

1. अपीलार्थी के पिता बहादुर प्रतिरक्षा साक्षी 1 और पड़ोसी फूल चन्द्र प्रतिरक्षा साक्षी 2 द्वारा दिया गया प्रतिरक्षा वृत्तांत यह है कि अपीलार्थी अपने पिता के नए मकान में सोया करता था जबकि उसकी पत्नी मृतका कविता और उसका 2 वर्ष का पुत्र सन्नी गांव के दूसरे मकान में रहा करते थे, ऊपर कथित कारणों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

2. अपीलार्थी को गिरफ्तार किए जाने पर उससे गंडासा बरामद किया गया था, न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार उसमें रक्त लगा हुआ था यद्यपि लगा हुआ रक्त अपने मूल रूप से विघटित था और उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता था । परंतु उपरोक्त प्रकट कारणों को बाद के पहलुओं से बदला नहीं जाता ।

3. अपीलार्थी के कहने पर रक्त-रंजित गंडासा की बरामदगी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए प्रश्न पर अपीलार्थी ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था परंतु उसने साधारण तौर पर यह कथन किया है कि वह यह नहीं जानता है कि उससे गंडासा कैसे बरामद किया गया । तथापि, उसने बरामदगी से इनकार नहीं किया है या अपने पर गढ़ी हुई बात से भी इनकार नहीं किया है ।

4. इसी तरह इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि दोनों मृतक (अर्थात् पत्नी और 2 वर्ष का पुत्र) जिनकी उसके मकान में मृत्यु हुई थी क्योंकि अभियुक्त का यह स्पष्टीकरण था कि वह उस समय अपने मकान से दूर था । उस बात को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन भार का निर्वहन करने में अपीलार्थी के विफल होने की पृष्ठभूमि कि कैसे मृतका और उसके 2 वर्ष के बालक की घर में हत्या हुई थी जहां वे अपीलार्थी के साथ रहते थे और जो तथ्य उसकी विशेष जानकारी में था यह अतिरिक्त महत्वपूर्ण परिस्थिति इस अपराध में अपीलार्थी को संबंधित करती है ।

5. प्रतिरक्षा में ऐसा कोई गुणागुण नहीं है जिससे यह इंगित होता हो कि अज्ञात आगन्तुकों द्वारा हत्याएं की जानी हो सकती हैं क्योंकि मृतका बुरे चरित्र की महिला थी । ऐसे किसी आगन्तुक का कोई नाम किसी भी प्रक्रम पर साक्ष्य में प्रकट नहीं हुआ है । इन अभिकथनों को अपीलार्थी द्वारा भी सिद्ध नहीं किया गया है और अपीलार्थी से रक्त-रंजित गंडासा की कैसे बरामदगी हुई यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया था ।

6. अपीलार्थी या उसके पिता प्रतिरक्षा साक्षी 1 बहादुर द्वारा यदि अपीलार्थी की पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र की किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हत्या की गई तो उनके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने के प्रयास का अभाव क्यों रहा । इससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिरक्षा मामले का कोई आधार नहीं था और वास्तव में अपीलार्थी ने इन दोनों की अकेले हत्या की थी ।

7. पुलिस द्वारा हेतु के ऐसे साक्ष्य को भी दिया गया है कि अपीलार्थी एक अच्छा व्यक्ति नहीं था जो अपनी पत्नी से उसके मायके वालों से पैसे लाने के लिए कहा करता था और अपनी पत्नी के चरित्र के संबंध में संदेह भी व्यक्त किया करता था क्योंकि वह कुछ लोगों के घरों में घर के कार्य करने के लिए जाया करती थी ।

8. यह बात कोई महत्व नहीं रखती है कि अन्वेषक अधिकारी प्रथम पर्चा को काटते समय इसका उल्लेख करने में या अपनी केस डायरी में अपीलार्थी की गिरफ्तारी के समय का उल्लेख करने में विफल हुआ था ।

9. इस तथ्य पर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि डाक्टर जिसने शवपरीक्षण किया था, अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मृतका को पहुंची क्षति किसी गंडासा या किसी अन्य धारदार आयुध से कारित हो सकती है ।

10. यह भी अति तात्विक नहीं है कि दो पड़ोसी साक्षी अभि. सा. 3 प्रभावती और अभि. सा. 4 भिखारी पक्षद्रोही घोषित हो गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था क्योंकि उनके अपीलार्थी या उसके पिता से घनिष्ठ संबंध थे । पिंटू (अभि. सा. 1) और श्रीमती शारदा देवी (अभि. सा. 2) मृतका का भाई और माता की हेतु के संबंध में साक्ष्य और अपीलार्थी और उसकी पत्नी

मृतका के बीच झगड़ा तथा अन्य परिस्थितियां जो इस अपराध में अपीलार्थी की सहापराधिता को दर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं ।

11. अपीलार्थी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया यदि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया था ।

38. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई भूल नहीं की है कि अपीलार्थी ने अपराध किया था जिसके लिए उसे आरोपित किया गया ।

39. तथापि, इस बारे में अंतिम प्रश्न पर विचार किया जाना है कि इस मामले में समुचित दंड क्या होना चाहिए और क्या मृत्यु दंड की पुष्टि किया जाना यहां पर समुचित होगा या क्या आजीवन कारावास का दंड अधिनिर्णीत करके दंड कम किए जाने के विकल्प को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

40. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने लिखित दलील फाइल करते हुए यह कहा है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी और छोटे बच्चे की क्रूरतापूर्वक हत्या का कार्य किया है । उसने अपनी पत्नी के साथ पत्नी के पवित्र संबंध तथा अपने पुत्र का पिता होने के संबंध को भारी क्षति पहुंचाई । इसलिए, विद्वान् सरकारी अधिवक्ता होने के अनुसार यह मामला विरल से विरलतम मामला है जहां मृत्यु दंड समुचित था । उन्होंने **उमा शंकर पंडा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], **राजीव** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] और **अमृता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामलों का अवलंब लिया । दूसरी ओर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यदि अभियोजन अभिकथन को स्वीकार कर लिया जाए तो इससे ऐसा मामला प्रकट होगा जहां अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में अत्यधिक संदेहास्पद हो गया था और क्रोध में आकर अपनी संवेदनाओं से नियंत्रण खोने के पश्चात् उसने अपनी पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र को बुरी तरह मारा जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष के पास यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी सुधरने लायक नहीं था । दंड को कम करने के लिए कम करने वाली परिस्थितियां हैं । उन्होंने इस प्रश्न पर कुछ निर्णयज विधि उद्धृत की

---

[1] (1996) 8 एस. सी. सी. 110.

[2] (1996) 2 एस. सी. सी. 175

[3] (1983) 3 एस. सी. सी. 50.

हैं जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

41. मामले पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि वर्तमान मामला विरल से विरलतम मामला नहीं है । यहां केवल मृत्यु दंड उचित था और कम दंड आजीवन कारावास का विकल्प इस मामले में वर्जित नहीं हुआ है । इन कारणों पर हमारा विचार यह है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी से अविवेकपूर्ण तरीके से क्रोधित हुआ था क्योंकि उसे उस पर संदेह था (यद्यपि इसका कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था) कि उसकी पत्नी बुरे चरित्र की थी और केवल इस कारण वह अलग-अलग मकानों में कार्य करने जाया करती थी । इस मामले में विद्वान् सरकारी अधिवक्ता द्वारा **अमृता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (उपरोक्त) वाला मामला उद्धृत किया गया है और अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा **धर्मेन्द्र सिन्हा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] और **राकेश कुमार** बनाम **राज्य** मार्फत **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार**[2] वाले मामले उद्धृत किए । उच्चतम न्यायालय ने ऐसे अपराधों के लिए मृत्यु दंड की शास्ति के विरुद्ध आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया जाना चुना जहां अभियुक्त (आधारित विवेकहीनता) अपनी परेशानी के कारण मानसिक रूप से तनावग्रस्त था जो अपनी पत्नी की पवित्रता और चरित्र पर संदेह किया करता था । वर्तमान मामले में यह महत्वपूर्ण है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में स्वतः यह उल्लेख हुआ है कि अपीलार्थी और मृतका के बीच झगड़ा हुआ था और क्रोधित होकर अपीलार्थी ने अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण खो दिया और अपनी पत्नी की हत्या करना प्रतीत हुआ तथा उसने अपने पुत्र को क्षतियां पहुंचाईं (जिसकी बाद में क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई) । इस मामले में दंड संहिता की धारा 308/304 के अधीन प्रारंभिक रूप से मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । हमने यह भी महसूस किया कि अपीलार्थी फरार नहीं हुआ था और उसे रक्त-रंजित गंडासा के साथ उसी दिन उसके घर से गिरफ्तार किया गया था कि इससे यह संकेत मिलता है कि अपीलार्थी को अपने आवेगशील अपराध के दोषी होने की कसक थी जो इस मामले में मृत्यु दंड को सभी कम करने वाली परिस्थितियां उसके संबंध में मौजूद हैं । अभियोजन पक्ष ने यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि अपीलार्थी किसी पूर्ववर्ती अपराध में शामिल था या वह सुधरने के योग्य नहीं था जिस संबंध में अभियोजन पक्ष

---

[1] (2002) 4 एस. सी. सी 679.

[2] (2011) 13 एस. सी. सी. 706.

द्वारा मृत्यु दंड अधिनिर्णीत करने के लिए मामले को विरल से विरलतम की कोटि में लाने हेतु साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक था । जहां तक **उमा शंकर पंडा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) और **राजीव** बनाम **राजस्थान राज्य** (उपरोक्त) वाले मामलों के विनिश्चय का प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उद्धृत किए जाने का संबंध है । ये मामले अपराधी की अपेक्षा अपराध की प्रकृति को अत्यधिक महत्व देते हैं । **संगीत** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] तथा **शंकर किसन राव खाडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले दो नवीनतम विनिश्चयों में **बचन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाले मामले के विनिश्चय में संवैधानिक न्यायपीठ का अवलंब लिया गया जिसमें केवल अपराध को असम्यक् महत्व को दिए जाने का दृष्टिकोण अपनाया गया और दंड को कम अधिनिर्णीत करने के लिए अपराधी के पक्ष में किसी विशेष परिस्थितियों की उपेक्षा करने की आलोचना की गई ।

42. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी यह राय है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं है और इसे कायम रखा जाता है । तथापि, हमारा यह मत है कि अपीलार्थी के लिए अधिनिर्णीत किया गया मृत्यु दंड को आजीवन कारावास के दंड से लघुकृत किया जाए ।

43. मृत्यु दंड के लिए पुष्टिकरण हेतु निर्देश अस्वीकार किया जाता है ।

44. उपरोक्त उपांतरणों सहित अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 452.
[2] (2013) 5 एस. सी. सी. 546.
[3] (1980) 2 एस. सी. सी. 684.

उत्तराखंड राज्य

बनाम

शमीम आलम खान

तारीख 15 मई, 2014

न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 391 – अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन – परिवादी – परिधि – अपील न्यायालय मामले में उचित पाता है तो अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन का आदेश पारित कर सकता है परंतु शिकायतकर्ता या उसके अधिवक्ता को न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तब तक स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि विचारण चलाने के लिए उसे अनुज्ञात न किया जाए ।

उक्त आवेदन के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि दोषमुक्ति का निर्णय कतिपय दस्तावेजों/कागजातों के अभाव में पारित किया गया था जो उत्तर प्रदेश बार काउंसेल, इलाहाबाद के कार्यालय में उपलब्ध थे । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उन कागजातों को मंगाने का प्रयास किया परंतु दुर्भाग्यवश ये प्रयास असफल रहे । इसलिए, निचला न्यायालय प्रत्यर्थी शमीम आलम खान की दोषमुक्ति के निर्णय को पारित करने के लिए विवश हुआ था । इत्तिला देने वाला श्री ओ. पी. सकलानी द्वारा उक्त मामला प्रारंभ किया गया था जो देहरादून बार में अधिवक्ता भी है । उसने इत्तिला देने वाले/शिकायतकर्ता की हैसियत से वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया । न्यायालय के समक्ष विचार किए जाने के लिए यह प्रश्न है जो उन सभी दस्तावेजों को महत्व देने के बारे में नहीं हैं । श्री ओ. पी. सकलानी की ओर से श्री लोकेन्द्र डोभाल, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्तमान आवेदन में जिनका उल्लेख किया गया है परंतु इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या श्री ओ. पी. सकलानी या उसके अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र डोभाल के पास इस आवेदन को पेश करने के लिए प्रमाणिकता है ? इस प्रकार, क्या विधि के अंतर्गत उसे न्यायालय के समक्ष ऐसे आवेदन को पेश करने के लिए अनुज्ञात किया गया है और क्या उस पर कार्य करने के लिए कहा गया है ? आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 की परिधि का जहां तक संबंध है यह अपील न्यायालय के विवेक के अंतर्गत है यदि वह मामलों की उपयुक्तता के बारे में समुचित रूप से निष्कर्ष निकालता है तब वह अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन आदेश पारित कर सकता है । इस प्रश्न को स्वतंत्रता के विस्तार पर नहीं छोड़ा जा सकता है । या तो शिकायतकर्ता/ इत्तिला देने वाला या उसके अधिवक्ता न्यायालय में ऐसे आवेदन को पेश कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन अपनी शक्तियों का अवलंब ले सकता है जब तक कि विचारण के संचालन के लिए अनुज्ञात न किया जाए । इस प्रकार, इसमें ऊपर जो कुछ भी चर्चा की गई उसे ध्यान में रखते हुए श्री लोकेन्द्र डोभाल, अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल श्री ओ. पी. सकलानी की ओर से पेश किया गया आवेदन सं. 1434/2013 खारिज किया जाता है । तथापि, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अपील की सुनवाई के प्रक्रम पर न्यायालय न्याय के हित में यह उपयुक्त पाता है तब वह यदि कोई अतिरिक्त साक्ष्य है तो उसके लिए समन करने हेतु समुचित आदेश पारित कर सकता है । (पैरा 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 3 एस. सी. सी. पृष्ठ 387 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 1320 : **सुदेवानंद** बनाम **राज्य** ;	8
[2005]	(2005) खंड (1) एस. सी. सी. 115 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 648 : **सत्यजीत बनर्जी** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	8
[2004]	(2004) एस. सी. सी. पृष्ठ 158 : **बेस्ट बेकरी** ;	8
[2004]	(2004) 4 एस. सी. सी. 158 पृष्ठ 999 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 2050 : **जाहिरा हबीबुल्लाह एच. शेख** बनाम **गुजरात राज्य** ;	6
[1999]	(1999) 2 जे. आई. सी. 695 : **शिव कुमार** बनाम **हुकुम चंद और एक अन्य** ।	12

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2013 का प्रकीर्ण आवेदन सं. 1434.

2000 के दांडिक मामला सं. 2965 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा तारीख 3 जुलाई, 2004 को पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय और आदेश को राज्य द्वारा उक्त अपील में चुनौती दी गई ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री बी. पी. नोटियाल, ज्येष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता लोकेन्द्र डोभाल, आर. के. शाह, उप-महाधिवक्ता (दांडिक) द्वारा की गई

प्रत्यर्थी की ओर से श्री विपुल शर्मा

न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया तथा 2013 के प्रकीर्ण आवेदन सं. 1434 में उस पर दर्ज किए गए आक्षेपों का परिशीलन किया गया ।

2. आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा लंबित सरकारी अपील सं. 305/2004 में तारीख 23 सितंबर, 2013 को उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत किया था । राज्य द्वारा उक्त अपील फाइल की गई थी जिसमें 2000 के दांडिक मामला सं. 2965 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा तारीख 3 जुलाई, 2004 को पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई ।

3. उक्त आवेदन के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि दोषमुक्ति का निर्णय कतिपय दस्तावेजों/कागजातों के अभाव में पारित किया गया था जो उत्तर प्रदेश बार काउंसेल, इलाहाबाद के कार्यालय में उपलब्ध थे । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उन कागजातों को मंगाने का प्रयास किया परंतु दुर्भाग्यवश ये प्रयास असफल रहे । इसलिए, निचला न्यायालय प्रत्यर्थी शमीम आलम खान की दोषमुक्ति के निर्णय को पारित करने के लिए विवश हुआ था ।

4. इत्तिला देने वाला श्री ओ. पी. सकलानी द्वारा उक्त मामला प्रारंभ किया गया था जो देहरादून बार में अधिवक्ता भी है । उसने इत्तिला देने वाले/शिकायतकर्ता की हैसियत से वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया ।

5. न्यायालय के समक्ष विचार किए जाने के लिए यह प्रश्न है जो उन सभी दस्तावेजों को महत्व देने के बारे में नहीं है । श्री ओ. पी. सकलानी की ओर से श्री लोकेन्द्र डोभाल, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्तमान

आवेदन में जिनका उल्लेख किया गया है परंतु इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या श्री ओ. पी. सकलानी या उसके अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र डोभाल के पास इस आवेदन को पेश करने के लिए प्रमाणिकता है ? इस प्रकार, क्या विधि के अंतर्गत उसे न्यायालय के समक्ष ऐसे आवेदन को पेश करने के लिए अनुज्ञात किया गया है और क्या उस पर कार्य करने के लिए कहा गया है ?

6. विद्वान् काउंसेल श्री लोकेन्द्र डोभाल ने **जाहिरा हबीबुल्लाह एच. शेख** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया ।

7. उपरोक्त उद्धृत मामला भयानक हत्या का मामला है जहां उच्चतम न्यायालय ने नए सिरे से विचारण करने का आदेश किया था । इस आदेश को पारित करने के पीछे आधारभूत कहानी यह थी कि सम्पूर्ण अभियोजन मशीनरी अभियुक्त व्यक्तियों को बचाने में लगी हुई थी । इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की धारा 142 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित किया था ।

8. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों का प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लेते हुए खंडन किया था ।

1. **सुदेवानंद** बनाम **राज्य**[2] वाला मामला ।

2. **सत्यजीत बनर्जी** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[3] वाला मामला ।

इन दो मामलों में **बेस्ट बेकरी**[4] वाले मामले का भी उल्लेख किया गया ।

9. उपरोक्त उल्लिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय ने मामले की विशिष्ट परिस्थिति में नए सिरे से विचारण किया जाना सुस्पष्ट है उच्चतम न्यायालय की भाषा निम्न प्रकार है :–

> "चूंकि बेस्ट बेकरी (गुजरात दंगों वाला मामला) का प्रबल रूप से अवलंब लिया गया और यह आवश्यक है कि सावधानी के टिप्पण को अभिलिखित करें । यह असाधारण मामला था जिसमें यह

---

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 158 पृष्ठ 999 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 2050.

[2] (2012) 3 एस. सी. सी. पृष्ठ 387 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 1320.

[3] (2005) खंड (1) एस. सी. सी. 115 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 648.

[4] (2004) एस. सी. सी. पृष्ठ 158.

न्यायालय इस बात से आश्वस्त था कि सम्पूर्ण अभियोजन मशीनरी अभियुक्तों अर्थात् दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर रही थी । यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि सम्पूर्ण विचारण ढोंग था । साक्षियों को न्यायालय से दूर रहने के लिए भयभीत तथा अभित्रस्त किया गया था । पूर्वोक्त असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय ने न केवल मामले के सम्पूर्ण विचारण करने के लिए नए सिरे से निदेश दिया था बल्कि पीड़ितों के साथ सम्यक् रूप से परामर्श करने के पश्चात् नए लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए भी निदेश दिया गया । पुनः विचारण रखे जाने का निदेश दिया गया था ।

पूर्वोक्त असाधारण परिस्थितियों पर बेस्ट बेकरी वाले मामले में विधि अधिकथित की गई है । आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध सभी मामलों में यह लागू नहीं हो सकता है । पुनः विचारण के लिए निदेश सभी या अलग-अलग मामलों में नहीं किया जाना चाहिए जहां अभियुक्त की दोषमुक्ति पर्याप्त या विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में हुई है । बेस्ट बेकरी वाले मामले में प्रथम विचारण में ढोंग पाया गया था और इसे 'नकली विचारण' के रूप में वर्णित किया गया है । इसलिए, पुनः विचारण के लिए निदेश वास्तव में वास्तविक विचारण किया जाना था । ऐसी असाधारण स्थिति में जैसाकि इस न्यायालय द्वारा बेस्ट बेकरी मामले में निदेशों को न्यायसंगत ठहराया जा सका ।"

10. श्री ओ. पी. सकलानी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय द्वारा तारीख 21 अप्रैल, 2005 को पारित किए गए आदेश की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसके द्वारा पेश किए गए आवेदन को इस शर्त के अध्यधीन मंजूर किया गया था कि उसे (शिकायतकर्ता) को कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । इस न्यायालय द्वारा आवेदन सं. 218/2005 पर उक्त आदेश पारित किया था जिसे श्री ओ. पी. सकलानी की ओर से श्री बी. पी. नोटियाल, ज्येष्ठ अधिवक्ता काउंसेल की ओर से पेश किया गया था जिसमें इस न्यायालय से इस अनुज्ञा के लिए अनुरोध किया गया था कि उसे शिकायतकर्ता के रूप में वर्तमान कार्यवाही में भाग लेने दें । इस प्रकार, उसे कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया गया था ।

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 की भाषा में यह परिकल्पित है कि निरीक्षक की पंक्ति से नीचे पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति

द्वारा अभियोजन का संचालन करना यानि विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष को इस बात के लिए अनुज्ञात कर सकता है कि किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या उप-निरीक्षक की भांति किसी पुलिस अधिकारी से जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे हो, अभियोजन को संचालित कराए; परंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना कार्य करने के लिए हकदार होगा । इससे यह अभिप्रेत है यदि लोक अभियोजक के भिन्न किसी व्यक्ति को अनुज्ञा प्रदान की जाती है तब वह वैयक्तिक रूप से या किसी अभिवक्ता द्वारा अभियोजन को संचालित करा सकता है जैसाकि धारा 302 की उपधारा (2) में उपबंधित किया गया है ।

12. अभियोजन का संचालन करना और अभियोजन में हिस्सा लेना दो अलग-अलग बातें हैं । भागीदारी से अभियोजन का संचालन करना अभिप्रेत नहीं है । श्री ओ. पी. सकलानी या उसके अधिवक्ता को अपील के अभियोजन में भागीदार करने के लिए इस न्यायालय द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई थी परंतु अपील का संचालन करने के लिए उन्हें अनुज्ञात नहीं किया गया था । **शिव कुमार** बनाम **हुकुम चंद और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस भिन्नता को स्पष्ट किया गया है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 225 की परिधि का निर्वचन किया गया था । उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित राय व्यक्त की :–

> "सेशन न्यायालय में अभियोजन लोक अभियोजक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है । यदि किसी प्राइवेट काउंसेल को अभियोजन चलाने के लिए स्वतंत्र रूप से इजाजत दी जाती है वह दोषसिद्धि के प्रकट हुए मामले पर ध्यान केन्द्रित करेगा । यद्यपि यह दोषसिद्ध किए जाने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है । यह एक कारण है क्यों संसद् में उस पर पांबदी लागू की गई है और लोक अभियोजक द्वारा दिए गए अनुदेशों का कड़ाई का पालन करते हुए उसे अपनी भूमिका निभानी होगी और उसका केवल सम्पूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं होगा जिस पर लोक अभियोजक से ऐसे मामलों में कर्तव्य पूरा करने की आशा की जाती है जब प्राइवेट रूप से नियुक्त किया गया काउंसेल उसकी ओर से

---

[1] (1999) 2 जे. आई. सी. 695.

कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । ऐसी स्थिति में प्राइवेट काउंसेल की भूमिका जो उसके द्वारा निभाई जा सकती है उसकी न्यायालय में उसके वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मामले का संचालन करने में कनिष्ठ अधिवक्ता से तुलना की जाती है । लोक अभियोजक की ओर से प्राइवेट काउंसेल कार्य करता है यद्यपि यह तथ्य कि उसे प्राइवेट पक्षकार द्वारा मामले में नियुक्त किया गया है । यदि लोक अभियोजक की भूमिका केवल पर्यवेक्षण भूमिका तक सीमित रखना अनुज्ञात किया जाता है तब प्राइवेट पक्षकार और अभियुक्त के बीच संघर्ष होगा जिसे संहिता की धारा 225 में विधायी आज्ञा के रूप में दिया गया है, अप्रचलित है ।"

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 की परिधि का जहां तक संबंध है यह अपील न्यायालय के विवेक के अंतर्गत है यदि वह मामलों की उपयुक्तता के बारे में समुचित रूप से निष्कर्ष निकालता है तब वह अतिरिक्त साक्ष्य के लिए समन आदेश पारित कर सकता है । इस प्रश्न को स्वतंत्रता के विस्तार पर नहीं छोड़ा जा सकता है । या तो शिकायतकर्ता/ इत्तिला देने वाला या उसके अधिवक्ता न्यायालय में ऐसे आवेदन को पेश कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन अपनी शक्तियों का अवलंब ले सकता है जब तक कि विचारण के संचालन के लिए अनुज्ञात न किया जाए ।

14. इस प्रकार, इसमें ऊपर जो कुछ भी चर्चा की गई उसे ध्यान में रखते हुए श्री लोकेन्द्र डोभाल, अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल श्री ओ. पी. सकलानी की ओर से पेश किया गया आवेदन सं. 1434/2013 खारिज किया जाता है । तथापि, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अपील की सुनवाई के प्रक्रम पर न्यायालय न्याय के हित में यह उपयुक्त पाता है तब वह यदि कोई अतिरिक्त साक्ष्य है तो उसके लिए समन करने हेतु समुचित आदेश पारित कर सकता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

स्वपन राय

बनाम

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

तारीख 11 दिसंबर, 2013

न्यायमूर्ति जोयामाल्या बागची

किशोर न्याय (बालक देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) – धारा 68 [सपठित किशोर न्याय (बालक देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 – नियम 12] – किशोर की आयु का अवधारण – प्रवेश रजिस्टर – प्रवेश फार्म के प्रस्तुत न किए जाने, रजिस्टर पर माता-पिता के हस्ताक्षर का अभाव, अभियुक्त के प्रवेश संबंधी पृष्ठ पर संस्था के अध्यापक का हस्ताक्षर जैसे अति-तकनीकी आधारों पर किशोरता के दावे के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों की अस्वीकार्यता उचित नहीं है, अतः, अभियुक्त उक्त अधिनियम के अधीन विचारित होने का हकदार है ।

याची के विरुद्ध अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि अभिकथित किया गया है, इस प्रकार है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जो एक राजनैतिक दल है, ने वर्ष 2009 के अंत में पश्चिमी मिदनापुर जिले के विभिन्न भागों में उनके कार्यकर्ताओं/समर्थकों, जो माओवादियों और पीपुल्स कमेटी अगेस्ट पुलिस एट्रोसिटीज (पी. सी. पी. ए.) के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई धमकियों के कारण अपने घरों से भाग गए थे, को आश्रय प्रदान किए जाने के बहाने के आधार पर शिविर लगाए । वर्ष 2010 में अबानी भूषण सिंघा, सुमेंदु मोंडल, तपन डे, अश्विनी चालक, जयदेव गिरी, घुल्लारा मोंडल, राथिन दंडापथ, नाबा गोपाल संकी, चंडी करन, मोहम्मद कलीलुद्धीन, अनुज पांडे, दलीम पांडे, जो सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता हैं, एक अपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित हुए और उस षड्यंत्र के अग्रसरण में राथिन दंडापत, जो पश्चिमी मिदनापुर के नेताई नामक स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का अन्य कार्यकर्ता है, के निवास पर एक शिविर स्थापित किया और इस शिविर की रक्षा के लिए अनेक सशस्त्र व्यक्तियों को नियोजित किया गया । किसी भी ग्रामीण को उक्त सशस्त्र व्यक्तियों की पहचान के बारे में जानकारी नहीं थी । अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि उक्त व्यक्तियों को पसुआबाद और

मुरार के निकटवर्ती ग्रामों से लाया गया था और उक्त शिविर की रक्षा के लिए अस्त्रों सहित नियोजित किया गया । आगे यह अभिकथित किया गया है कि ऐसा ही एक अन्य अवैध शिविर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अन्य कार्यकर्ता चंडी करन द्वारा ग्राम बिरकारड में इन्द्रजीत दास नामक व्यक्ति के घर पर जबरन कब्जा करके स्थापित किया गया और उसमें अनेक सशस्त्र व्यक्तियों के रहने का इंतजाम किया गया । नेताई में उपरोक्त शिविर स्थापित किए जाने के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को इन शिविरों में घरेलू कार्य करने और रात्रि के दौरान इनकी सुरक्षा करने के लिए विवश किया गया । षड्यंत्र के अग्रसरण में अबानी भूषण सिंघा, सुभेंदु मोंडल और अश्विनी चालक ने ग्रामीणों को सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी विवश किया । इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय ग्रामीणों को तारीख 6 अक्तूबर, 2011 को घोर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा गया । प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अनेक ग्रामीण बीमार पड़ गए । इसके बावजूद उनको सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया । स्थानीय ग्रामीणों ने उक्त अवैध प्रशिक्षण का विरोध किया और वे तारीख 7 जनवरी, 2011 को प्रातःकाल नेताई कैंप के सामने जमा हो गए । उन्होंने अबानी भूषण को अपनी अनिच्छा संसूचित कर दी जिसने ग्रामीणों को उत्तर दिया कि वह इस मामले को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जानकारी में लाएगा और उनके विनिश्चय की सूचना ग्रामीणों को देगा । जब ग्रामीण जबरन और अवैध सशस्त्र प्रशिक्षण के संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेताओं के विनिश्चय के लिए शिविर के समक्ष प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी बिरकारड शिविर के सशस्त्र लोग नेताई की ओर बढ़े और विरोध करने के लिए एकत्रित ग्रामीणों को भयग्रस्त करने के लिए हवा में गोलियां दागने लगे । छत से गोलियों की आवाज़ सुनकर नेताई शिविर से आरंभिकतः हवा में गोलियां दागी गईं और जब इस प्रकार से गोलियां चलाए जाने के बाद भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई, तो पिंटू राय और स्वपन राय, जो इस मामले में याची हैं, गनदीप बन राय, राजू राय, लाबा दुले, बनमाली दुबे, निरंजन कोटल, रूपचंद अहीर और अन्य व्यक्तियों द्वारा भीड़ पर अंधाधुंध गोली-बारी की गई जिसके कारण नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए । वर्तमान मामले में आरंभिकतः अन्वेषण पश्चिमी बंगाल के केन्द्रीय अन्वेषण विभाग द्वारा किया गया था । रिट अधिकारिता के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मतावलंबन में अन्वेषण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अंतरित

कर दिया गया था । इस मामले में अन्वेषण के परिणामस्वरूप याची और 19 अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 148, 149, 326, 307, 302, 374 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अभियुक्त तपन रे, जयदेव गिरी घुल्लारा मोंडल, चंडी करन, मोहम्मद कलीलुद्धीन, अनुज पांडे और दलीम पांडे, को अभियुक्त और फरार दर्शित करते हुए आरोप पत्र फाइल किया गया । मामला पश्चिमी मिदनापुर के सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और पश्चिमी मिदनापुर के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश पुनः पदाभिहित न्यायालय को अंतरित कर दिया गया । तत्पश्चात् तारीख 17 अगस्त, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना के मतावलंबन में कोलकाता के विचार भवन स्थित विद्वान् विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, न्यायालय संख्या 1 को मामला अंतरित किए जाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रार्थना की गई । आरंभिकतः, उक्त प्रार्थना इस न्यायालय द्वारा 2012 के सी. आर. आर. संख्या 2077 में तारीख 19 जून, 2012 के आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई और मामला कोलकाता के विचार भवन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, न्यायालय संख्या 1 के विद्वान् विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया गया । उक्त न्यायालय के समक्ष यह दावा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया कि याची और राजू राय नामक व्यक्ति किशोर थे । उक्त आवेदन तारीख 29 सितंबर, 2012 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । उक्त आदेश को 2012 के सी. आर. आर. संख्या 3324 में चुनौती दी गई है जो पश्चात्वर्ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निष्फल हो गया है । तारीख 13 मार्च, 2013 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने 2012 की रिट याचिका संख्या 17940 (पश्चिमी) में उक्त अधिसूचना को अभिखंडित कर दिया गया और मामले को पश्चिमी मिदनापुर के पुनः पदनामित न्यायालय, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित किए जाने हेतु निदेशित कर दिया । इस आदेश के मतावलंबन में मामला पश्चिमी मिदनापुर के पुनः पदनामित न्यायालय, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अंतरित कर दिया गया । याची और सह-अभियुक्त राजू राय की किशोरावस्था के दावे के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पश्चिमी मिदनापुर के पुनः पदनामित न्यायालय के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनः प्रार्थना की गई । तारीख 6 जून, 2013 को पारित आक्षेपित आदेश द्वारा याची का आवेदन उसका अस्थि विकास परीक्षण जो उसकी आयु का परीक्षण अर्थात् तारीख 7 जुलाई, 2012 को 20-21 वर्ष की आयु का

साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ नहीं किया गया के कारण, अस्वीकार कर दिया गया । इस आदेश को इस न्यायालय के समक्ष 2013 के सी. आर. आर. संख्या 2016 में चुनौती दी गई । इस न्यायालय द्वारा 2013 की सी. आर. आर. संख्या 2016 को तारीख 26 जुलाई, 2013 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया और याची को इजाजत दी गई कि वह अपने माता-पिता का परीक्षण साक्षियों के रूप में कराए और/या विधि अनुसार कोई अन्य या अतिरिक्त साक्ष्य पेश करें । विद्वान् विचारण न्यायाधीश को अभिलेख पर उपलब्ध समस्त अन्य साक्ष्यों के साथ उक्त अतिरिक्त साक्ष्य का परीक्षण करने और याची की आयु के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निदेशित किया गया । उक्त आदेश के मतावलंबन में याची के माता-पिता अर्थात् विजय राय और छाया राय और उसके मामा मृत्युंजय राय का परीक्षण किया गया और उनकी प्रति-परीक्षा की गई । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् तारीख 30 सितम्बर, 2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची के इस कथन को अस्वीकृत कर दिया कि उसका जन्म तारीख 14 जून, 1994 को हुआ था और वह अपराध करण के समय किशोर था । अतः वर्तमान याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय ने इसके बिल्कुल ही विपरीत कार्य किया । किसी भी पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि इस मामले में प्रदर्शित किया गया प्रवेश रजिस्टर कारबार के सामान्य अनुक्रम में तैयार नहीं किया गया या उसको विद्यालय द्वारा ही पेश नहीं किया गया । इन सब बातों के बाद भी न्यायालय ने प्रवेश रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टि की शुद्धता की जांच किए जाने के प्रयोजनार्थ भ्रमणकारी जांच की । यहां तक कि इस प्रकार की जांच के अनुक्रम के दौरान ऐसी सूचना के स्रोत और अभि. सा. 5 का साक्ष्य असुसंगत और तुच्छ सोच-विचार के आधार पर अर्थात् प्रवेश प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर और इस बाबत विवाद कि क्या अभि. सा. 5 ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे, अस्वीकृत कर दिया गया था । 2007 के नियम का नियम 12(3) (क) (ii) किसी आयु विनिर्धारण जांच में प्रवेश प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं करता और न ही कोई नियम/विनियम इस न्यायालय के समक्ष इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रतिपाल्य पिता-माता/संरक्षकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री डे द्वारा व्याकुलतापूर्वक किया

गया एक अन्य अभिवाक यह है कि सम्बद्ध विद्यालय जहां याची को कक्षा 3 में सर्वप्रथम प्रविष्ट किया गया था, शैक्षणिक संस्था नहीं था । विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं था और न ऐसी किसी दलील के समर्थन में कोई साक्ष्य कभी भी पेश किया गया । अभि. सा. 3, 4 और 5 अर्थात् प्रति-परीक्षा का सामना करने से इनकार करने वाले याची के पिता-माता और मामा को इस बाबत कोई सुझाव कभी नहीं दिया गया । इस तथ्य को विवादित करने के प्रयोजनार्थ कि सम्बद्ध विद्यालय ऐसी प्रथम शैक्षणिक संस्था नहीं था जिसमें याची द्वारा प्रवेश लिया गया, अभिलेख पर किसी सामग्री की अनुपस्थिति में न्यायालय सम्बद्ध विद्यालय के विद्यालय प्रमाणपत्र प्रवेश रजिस्टर पर विश्वास करने से मना करने के लिए अनिच्छुक है । विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त हितकारी विधि सिद्धांत का पूर्णतया अनदेखा किया है और विद्यालय प्रमाणपत्र/प्रवेश रजिस्टर को याची की आयु के सबूत के रूप में अवैध रूप से अस्वीकृत किया है और चिकित्सीय राय का अवलंब लिया है यद्यपि उक्त चिकित्सीय प्रमाणपत्र को नियम 12 को दृष्टि में रखते हुए चिकित्सीय राय को अधिमानता प्रदान की जानी चाहिए थी । इसके विपरीत न्यायालय के समक्ष उपस्थित मामले में प्रवेश रजिस्टर में ऐसी कोई असंगतता से ग्रस्त नहीं है । इसको सम्बद्ध विद्यालय द्वारा पेश किया गया है और अभि. सा. 1 द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया गया है । याची की जन्म की तारीख से संबंधित सुसंगत प्रविष्टि को 2006 के रजिस्टर, में जिसको किताब के रूप में तैयार किया गया है और जिसमें 2000 से 2010 तक के पृष्ठ समाविष्ट हैं में अभिलिखित किया गया है । उक्त रजिस्टर की प्रति को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है । इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव स्पष्टतः बेतुका है कि ऐसे शासकीय अभिलेख जिसको शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में बनाया गया है, एक बनाया गया, गढ़ा हुआ या छलयोजित दस्तावेज़ होता है । इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त रजिस्टर में की गई सुसंगत प्रविष्टि से संबंधित सूचना के स्रोत को भी अभि. सा. 5 जो याची का मामा है और जिसने याची को विद्यालय में प्रवेश दिलाया था, के मौखिक वृत्तांत द्वारा साबित किया गया है । उसके साक्ष्य का पुष्टिकरण अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य द्वारा किया गया है । निःसंदेह रूप से प्रस्तुत मामला एक घोर अपराध को चित्रित करता है जिसमें नौ लोगों की मृत्यु हो गई थी । फिर भी, किसी नौजवान अपराधी, जो अपराध के परिणामों के संबंध में किशोरवयता का दावा करता है, की मानसिक परिपक्वता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ न केवल अपराध की घोरता बल्कि उसकी सहभागिता को स्पष्ट करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए । इस मामले में याची अपर्याप्त अवसरों और अल्प सशक्तिकरण की दरिद्र ग्रामीण

पृष्ठभूमि से संबंधित है । इस द्वेषपूर्ण नाटक में वास्तविक खिलाड़ियों (जिनमें से अधिकांश फरार हैं,) ने उसकी अभागी सामाजिक आर्थिक दशाओं का लाभ लेकर उसको एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनी हिंसक लड़ाई में भर्ती किया । वह अपने "राजनैतिक स्वामियों" के हाथों में एक कठपुतली था और शायद योजना में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद से भी अधिक अनावश्यक । क्या याची, जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण पृष्ठभूमि का अति संवेदनशील किशोर था, उन परिस्थितियों, जिनको अभियोजन के पक्षकथन में चित्रित किया गया है, को वास्तव में उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के प्रभाव का निर्धारण किए जाने के प्रयोजनार्थ उसकी अपेक्षित परिपक्वता को विशेषित किया जा सकता है ? यह अभिकथित नहीं किया गया है कि उसने व्यक्तिगत वासना, लालच या बदले की भावना के साथ अपराध कारित किया है बल्कि यह अभिकथित किया है कि उसने अपराध अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनके आदेश मानने से इनकार करने पर उसकी जान भी जा सकती थी, के हाथों का अभिकर्ता बन कर कारित किया है । वह विवाहितों को गोद में जन्मा आनंद में डूबा हुआ नौजवान जिसने विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि और विधि के निर्लज्ज अनादर का घोर दुरुपयोग करते हुए अपराध का मार्ग चुन लिया हो, भी नहीं है । वह दृढ़निश्चयी भृतक सैनिक भी नहीं है जो लाभ के लिए किसी की हत्या करता है बल्कि वह एक नौजवान है जिसको अभिकथित रूप से उसकी अशक्त (कंगाल) पृष्ठभूमि और युवावस्था का लाभ लेकर बहकाने वाली ताकतों द्वारा अपराध में घसीट लिया गया है । इस मामले में तथ्यों पर उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए जिनके अंतर्गत किशोर आयु की सीमारेखा वाले अपचारी को अभिकथित रूप से हावी हो जाने वाली अपकारी ताकतों, जो उसके (किशोर अपचारी के) नियंत्रण के परे हैं, गरीबी की परिस्थितियों और सामाजिक सशक्तीकरण की कमी के कारण अपराध कारित करने के लिए विवश किया जाता है, उसको किशोर विधि का कल्याणकारी उपचार प्रदान किए जाने से इंकार किया जाना न्याय की त्रासदी होगा । (पैरा 17, 18, 23, 27, 29 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 83 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1020 : **अबूजर हुसैन** उर्फ **गुलाम हुसैन** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	10, 11, 22, 30

[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 594 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 553 : **अश्विनी कुमार सक्सेना** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	10, 16
[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 302 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3467 : **जरनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	10, 21
[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 686 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी 3746 : **सलिल बाली** बनाम **भारत संघ और एक अन्य** ;	28
[2012]	(2012) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 864 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3107 : **शाह नवाज़** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	10, 19
[2012]	(2012) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 666 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1608 : **ओम प्रकाश** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ;	11, 24, 26, 27
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 987 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2053 : **हरी राम** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ;	10, 15
[1982]	ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1297 : **जया माला** बनाम **गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर राज्य** ।	10

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की सी. आर. आर. संख्या 3741.

पश्चिमी मिदनापुर के पुनः पदाभिहित न्यायालय के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2013 को पारित आदेश के विरुद्ध रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री मिलन मुखर्जी और विश्वजीत मन्ना

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री हिमांशु डे और मृत्युंजय चटर्जी

न्यायमूर्ति जोयामाल्या बागची – प्रस्तुत मामले में कोलकाता के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पुनः पदाभिहित पश्चिमी मिदनापुर न्यायालय कोलकाता द्वारा पारित तारीख 30 सितम्बर, 2013 का आदेश, जिसके द्वारा याची को विधि संघर्ष किशोर घोषित किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल की गई याचिका अस्वीकृत कर दी गई, को चुनौती दी गई है ।

2. याची, जिसको वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया गया है, का दावा है कि उसका जन्म तारीख 14 जून, 1994 को हुआ था और इस प्रकार वह घटना की तारीख अर्थात् 7 जनवरी, 2011 को 18 वर्ष से कम आयु का था ।

3. याची के विरुद्ध अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि अभिकथित किया गया है, इस प्रकार है :–

> "भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जो एक राजनैतिक दल है, ने वर्ष 2009 के अंत में पश्चिमी मिदनापुर जिले के विभिन्न भागों में उनके कार्यकर्ताओं/समर्थकों जो माओवादियों और पीपुल्स कमेटी अगेस्ट पुलिस एट्रोसिटीज (पी. सी. पी. ए.) के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई धमकियों के कारण अपने घरों से भाग गए थे, को आश्रय प्रदान किए जाने के बहाने के आधार पर शिविर लगाए थे । वर्ष 2010 में अबानी भूषण सिंघा (ए-1.), सुमेंदु मोंडल (ए-2), तपन डे (ए-3), अश्विनी चालक (ए-4), जयदेव गिरी (ए-5), घुल्लारा मोंडल (ए-6), राठी डंडपथ (ए-7), नाबा गोपाल संकी (ए-8), चंडी करन (ए-9), मोहम्मद कलीलुद्धीन (ए-10), अनुज पांडे (ए-19), दलीम पांडे (ए-20), जो सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता हैं, एक अपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित हुए और उस षड्यंत्र के अग्रसरण में राथिन दंडापत (ए-7), जो पश्चिमी मिदनापुर के नेताई नामक स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का अन्य कार्यकर्ता है, के निवास पर एक शिविर स्थापित किया और इस शिविर की रक्षा के लिए अनेक सशस्त्र व्यक्तियों को परिनियोजित किया गया । किसी भी ग्रामीण को उक्त सशस्त्र व्यक्तियों की पहचान के बारे में जानकारी नहीं थी । फिर भी, अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि उक्त व्यक्तियों को पसुआबाद और मुरार के निकटवर्ती ग्रामों से नियोजित किया गया और उक्त शिविर की रक्षा

के लिए अस्त्रों सहित परिनियोजित किया गया । आगे यह अभिकथित किया गया है कि ऐसा ही एक अन्य अवैध शिविर चंडी करन (ए-9), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अन्य कार्यकर्ता द्वारा ग्राम बिरकारड में इन्द्रजीत दास नामक व्यक्ति के घर पर जबरन कब्जा करके स्थापित किया गया और उसमें अनेक सशस्त्र व्यक्तियों के रहने के इंतजाम किए गए थे । नेताई में उपरोक्त शिविर स्थापित किए जाने के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को इन शिविरों में घरेलू कार्य करने और रात्रि के दौरान इनकी सुरक्षा करने के लिए विवश किया गया था । षड्यंत्र के अग्रसरण में अबानी भूषण सिंघा (ए-1), सुभेंदु मोंडल (ए-2) और अश्विनी चालक (ए-4) ने ग्रामीणों को सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी विवश किया । इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय ग्रामीणों को तारीख 6 अक्तूबर, 2011 को घोर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा गया । प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अनेक ग्रामीण बीमार पड़ गए । इसके बावजूद उनको सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया । स्थानीय ग्रामीणों ने उक्त अवैध प्रशिक्षण को विरोध किया और वे तारीख 7 जनवरी, 2011 को प्रातःकाल नेताई में कैंप के सामने जमा हो गए । उन्होंने अबानी भूषण (ए-1) को अपनी अनिच्छा संसूचित कर दी जिसने ग्रामीणों को उत्तर दिया कि वह इस मामले को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जानकारी में लाएगा और उनके विनिश्चय की सूचना ग्रामीणों को देगा । जब ग्रामीण जबरन और अवैध सशस्त्र प्रशिक्षण के संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेताओं के विनिश्चय के लिए शिविर के समक्ष प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी बिरकारड शिविर के सशस्त्र लोग नेताई की ओर बढ़े और विरोध करने के लिए एकत्रित ग्रामीणों को भयग्रस्त करने के लिए हवा में गोलियां दागने लगे । छत से गोलियों की आवाज़ सुनकर नेताई शिविर से आरंभिकतः हवा में गोलियां दागी गईं और जब इस प्रकार से गोलियां चलाए जाने के बाद भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई, तो पिंटू राय (ए-11) और स्वपन राय (ए-12), जो इस मामले में याची हैं, गनदीप बन राय (ए-13), राजू राय (ए-14), लाबा दुले (ए-15), बनमाली दुबे (ए-16), निरंजन कोटल (ए-17), रूपचंद अहीर (ए-18) और अन्य व्यक्तियों द्वारा भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई जिसके कारण नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए ।"

4. वर्तमान मामले में आरंभिकतः अन्वेषण पश्चिमी बंगाल के केन्द्रीय अन्वेषण विभाग द्वारा किया गया था । रिट अधिकारिता के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मतावलंबन में अन्वेषण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अंतरित कर दिया गया था । इस मामले में अन्वेषण के परिणामस्वरूप याची और 19 अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 148, 149, 326, 307, 302, 374 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अभियुक्त तपन रे (ए-3), जयदेव गिरी (ए-5) घुल्लारा मोंडल (ए-6), चंडी करन (ए-9), मोहम्मद कलीलुद्धीन (ए-10), अनुज पांडे (ए-19) और दलीम पांडे (ए-20), को अभियुक्त और फरार दर्शित करते हुए आरोप पत्र फाइल किया गया ।

5. मामला पश्चिमी मिदनापुर के सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और पश्चिमी मिदनापुर के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश पुनः पदाभिहित न्यायालय को अंतरित कर दिया गया । तत्पश्चात् तारीख 17 अगस्त, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना के मतावलंबन में कोलकाता के विचार भवन स्थित विद्वान् विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, न्यायालय संख्या 1 को मामला अंतरित किए जाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रार्थना की गई । आरंभिकतः, उक्त प्रार्थना इस न्यायालय द्वारा 2012 के सी. आर. आर. संख्या 2077 में तारीख 19 जून, 2012 के आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई और मामला कोलकाता के विचार भवन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालय संख्या 1 के विद्वान् विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया गया । उक्त न्यायालय के समक्ष यह दावा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया कि याची और राजू राय नामक व्यक्ति किशोर थे । उक्त आवेदन तारीख 29 सितंबर, 2012 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । उक्त आदेश को 2012 के सी. आर. आर. संख्या 3324 में चुनौती दी गई है जो पश्चात्वर्ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निष्फल हो गया है ।

6. तारीख 13 मार्च, 2013 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने 2012 की रिट याचिका संख्या 17940 (पश्चिमी) में उक्त अधिसूचना को अभिखंडित कर दिया गया और मामले को पश्चिमी मिदनापुर के पुनः पदाभिहित न्यायालय, विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित किए जाने हेतु निदेशित कर दिया । इस आदेश के मतावलंबन में मामला पश्चिमी मिदनापुर के पुनः पदाभिहित न्यायालय, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अंतरित कर दिया गया ।

7. याची और सह-अभियुक्त राजू राय की किशोरावस्था के दावे के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पश्चिमी मिदनापुर के पुनः पदाभिहित न्यायालय के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनः प्रार्थना की गई । तारीख 6 जून, 2013 को पारित आक्षेपित आदेश द्वारा याची का आवेदन उसका अस्थि विकास परीक्षण जो उसकी आयु का परीक्षण अर्थात् तारीख 7 जुलाई, 2012 को 20-21 वर्ष की आयु का साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ नहीं किया गया के कारण, अस्वीकार कर दिया गया । इस आदेश को इस न्यायालय के समक्ष 2013 के सी. आर. आर. संख्या 2016 में चुनौती दी गई ।

8. इस न्यायालय द्वारा 2013 की सी. आर. आर. संख्या 2016 को तारीख 26 जुलाई, 2013 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया और याची को इजाजत दी गई कि वह अपने माता-पिता का परीक्षण साक्षियों के रूप में कराए और/या विधि अनुसार कोई अन्य या अतिरिक्त साक्ष्य पेश करें । विद्वान् विचारण न्यायाधीश को अभिलेख पर उपलब्ध समस्त अन्य साक्ष्यों के साथ उक्त अतिरिक्त साक्ष्य का परीक्षण करने और याची की आयु के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निदेशित किया गया ।

9. उक्त आदेश के मतावलंबन में याची के माता-पिता अर्थात् विजय राय (अभि. सा. 3) और छाया राय (अभि. सा. 4) और उसके मामा मृत्युंजय राय (अभि. सा. 5) का परीक्षण किया गया और उनकी प्रति-परीक्षा की गई । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् तारीख 30 सितम्बर, 2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची के इस कथन को अस्वीकृत कर दिया कि उसका जन्म तारीख 14 जून, 1994 को हुआ था और वह अपराध करण के समय किशोर था । अतः वर्तमान याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

10. याची की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री मुखर्जी ने आक्षेपित आदेश की आलोचना की और निवेदन किया कि विद्वान् न्यायाधीश 2007 के किशोर, न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम जिसको इसमें इसके पश्चात् 2007 के नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के नियम 12 के निबंधनों के अनुसार याची की आयु विनिर्धारित करने में असफल रहे । उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान् न्यायाधीश याची के पिता-माता और मामा के साक्ष्य पर तुच्छ आधारों पर अविश्वास किया और

प्रवेश रजिस्टर पर असंगत सोच-विचार के आधार पर अविश्वास किया । उन्होंने इस संबंध में **अश्विनी कुमार सक्सेना** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया । उन्होंने निवेदन किया कि **हरी राम** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि 2007 के नियम का नियम 12, 2000 के अधिनियम के अंतर्गत किसी किशोर की आयु विनिर्धारित किए जाने के मामले में आज्ञापक है और विद्वान् न्यायाधीश ने पूर्वोक्त प्रतिपादना का अनुसरण करने में विफल रह कर विधि की दृष्टि में त्रुटि की है । उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में **जरनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[3], **शाह नवाज़** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[4] और **अबूजर हुसैन** उर्फ **गुलाम हुसैन** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[5] वाले मामलों का भी अवलंब लिया । उन्होंने यह निवेदन भी किया कि विद्वान् न्यायाधीश ने 2007 के नियम के पूर्वोक्त नियम 12 में उपबंधित अधिमानिक श्रेणीकरण पर ध्यान दिए बिना याची की आयु के चिकित्सीय विनिर्धारण को अधिमानता प्रदान करके विधि की दृष्टि में त्रुटि कारित की । उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान् न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करके विधि की दृष्टि में त्रुटि कारित की कि याची की आयु के संबंध में चिकित्सीय राय आदर्श राय है और किसी भी पक्ष द्वारा दो वर्ष के फेरफार के अधीन नहीं है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जया माला** बनाम **गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर राज्य**[6] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है ।

11. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री डे ने निवेदन किया कि याची विधि-विरोध में किशोर नहीं है और विद्वान् न्यायाधीश ने प्रवेश रजिस्टर पर अविश्वास करके उसकी प्रार्थना को न्यायतः अस्वीकृत किया है और इस आदेश में अनेक दृष्टिकोणों से असंगतताएं हैं । उसने यह निवेदन भी किया कि आयु के संबंध में याची के पिता-माता और अन्य नातेदारों के पक्षकथन भी विश्वासोत्पादक नहीं हैं और तद्नुसार विद्वान् न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ

---

[1] (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 594 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 553.
[2] (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 987 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2053.
[3] (2013) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 302 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3467.
[4] (2012) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 864 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3107.
[5] (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 83 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1020.
[6] ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1297.

अस्थि विकास रिपोर्ट का अवलंब लिया कि याची की आयु अभिकथित घटना की तारीख पर 18 वर्ष से अधिक थी । तद्नुसार उसने आवेदन खारिज किए जाने की प्रार्थना की । उन्होंने **ओम प्रकाश** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] और **अबूजर हुसैन** उर्फ **गुलाम हुसैन** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2] वाले मामलों का अवलंब लिया ।

12. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया । आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि पिता-माता जो अभि. सा. 3 और 4 हैं, के साक्ष्य पर इस आधार पर अविश्वास किया गया कि वे अपनी पुत्री की सही जन्म तारीख नहीं बता सके यद्यपि उन्होंने अपने पुत्र, याची की सही जन्म तारीख बता दी थी । उनका स्पष्टीकरण कि उनको अपने पुत्र की जन्म तारीख याद थी चूंकि वे उसके जन्मदिन के अवसर पर समारोह किया करते थे और अपनी पुत्री के लिए इस प्रकार का कोई समारोह नहीं करते थे, पर इस कारणवश विश्वास नहीं किया गया कि पुत्र अपने मामा (अभि. सा. 5) के साथ रहता था । मेरा विचार है कि पिता-माता (अभि. सा. 3 और 4) के साक्ष्य में सत्यता है । अभि. सा. 3 और 4 दोनों ने सुस्पष्टतः अभिकथित किया है कि उनकी पुत्री का जन्म 1992 में हुआ था और पुत्र का जन्म 14 जून, 1994 को हुआ था । अभि. सा. 4 ने अभिकथित किया है कि उनको उनके पुत्र की जन्म की तारीख याद है चूंकि वे उसके जन्मदिन पर समारोह का आयोजन करते थे । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी न्यूनतम शिक्षित ग्रामीण पृष्ठभूमि को मस्तिष्क में रखा जाना अत्यधिक अधिसंभाव्य है कि वे पुत्र के जन्मदिन का समारोह आयोजित करते थे जबकि लैंगिक चिड़चिड़ाहट के कारण पुत्री के जन्मदिन पर ऐसे किसी समारोह का आयोजन नहीं होता था । इसके अतिरिक्त, ऐसे विशेष अवसरों पर इस बात की अत्यधिक अधिसंभाव्यता होती है कि याची अपने निवास पर गया था यद्यपि वह सामान्यतया अपनी शिक्षा जारी रखे जाने के प्रयोजनार्थ अपने मामा (अभि. सा. 5) के साथ रहता था । इसलिए, ऐसे विवाद्यकों पर याची की जन्म तारीख के संबंध में अभि. सा. 3, 4 और 5 के निरंतर पक्षकथन का अस्वीकार किया जाना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि नैसर्गिक घटनाक्रम के सामान्य अनुक्रम और मामले की व्यापक अधिसंभाव्यताओं के विपरीत है । याची के मामा (अभि. सा. 5) ने अपने परिसाक्ष्य में अभिकथित किया है कि उसने विद्यालय में याची का

---

[1] (2012) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 666 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1608.

[2] (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 83 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1020.

प्रवेश कराया था और प्रवेश रजिस्टर में उसी के पक्षकथन के आधार पर प्रविष्टि की गई थी । अभि. सा. 5 द्वारा दिए गए इस प्रकार के साक्ष्य को उस प्रवेश प्रपत्र के पेश न किए जाने, जिसको भरे जाने का दावा उसके द्वारा किया गया है, और प्रवेश रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर न होने के कारण, यद्यपि उसने प्रवेश रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने का दावा किया है, के आधार पर अस्वीकृत किया गया है । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभि. सा. 5 के साक्ष्य कि उसने याची का प्रवेश सम्बद्ध विद्यालय में कराया था, को चुनौती नहीं दी गई है । उसके द्वारा शपथपूर्वक अभिकथित की गई जन्म की तारीख भी प्रवेश रजिस्टर की प्रविष्टि की पुष्टि करती है । यह साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री पेश नहीं की गई है कि विद्यार्थी के संरक्षक/पिता-माता पर इस बात का दायित्व था कि छात्र के संबंध में उसमें की गई किसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते । ऐसे किसी अभिभावी नियम की अनुपस्थिति में इस बाबत असंगतता कि क्या अभि. सा. 5 ने प्रवेश रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किए थे या नहीं, उसके साक्ष्य को अस्वीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ सुसंगत विचार नहीं हो सकता । सम्बद्ध परिप्रेक्ष्य विद्यालय के विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे किसी प्रवेश की प्रति को भी प्रदर्शित किया गया है । 2007 के नियम का नियम 12(3)(ii) उस व्यक्ति जो विधि के टकराव में किशोर होने का दावा करता है, द्वारा उस शैक्षणिक संस्था का जहां उसका सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था, आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता को बल प्रदान करता है । अतः प्रवेश प्रपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण चूंकि उसको अभि. सा. 1 के पक्षकथनानुसार संरक्षित नहीं किया गया था, 2007 के नियम के नियम 12(3)(ii) के विपरीत नहीं कहा जा सकता और यह अभि. सा. 5 के पक्षकथन पर अविश्वास किए जाने के लिए अच्छा आधार है । अभि. सा. 1 द्वारा विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर पेश किया गया है और उसको साबित किया गया है । उसने प्रवेश रजिस्टर के निबंधनों के अनुसार जारी किए गए याची के आयु प्रमाणपत्र को भी साबित किया है । उसने शपथपूर्वक कथन किया है कि विद्यालय में प्रवेश रजिस्टर सामान्य अनुक्रम में वर्ष 2000 से 2010 की अवधि के लिए बनाया गया है । याची का नाम उक्त रजिस्टर में वर्ष 2006 में क्रम संख्या 3 पर दर्शित होता है । प्रवेश रजिस्टर पर इस आधार पर विश्वास किया गया है याची से संबंधित प्रविष्टि को समाविष्ट करने वाले पृष्ठ पर संस्था के तत्कालीन प्रधानाचार्य के एक हस्ताक्षर हैं जबकि अगले पृष्ठ पर प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर हैं

और रजिस्टर पर विद्यालय की मोहर नहीं लगी है । विद्यालय द्वारा प्रवेश रजिस्टर एक किताब के प्ररूप में रखा गया था । यह एक अधिकारिक अभिलेख है जहां विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में प्रविष्टियां की गईं हैं । उक्त प्रविष्टि के संबंध में कोई उपरलिखावट/अपमार्जन नहीं किया गया है । विद्वान् न्यायाधीश ने इस तथ्य का अनदेखा किया कि घटना 2011 में घटित हुई थी जबकि सुसंगत प्रविष्टि 2006 में उस पृष्ठ को सम्मिलित करते हुए, जिस पर सुसंगत प्रविष्टि है, की गई थी । यदि यह असंभव नहीं है तो यह अधिसंभाव्य भी नहीं है कि इस प्रविष्टि को बाद में कपटपूर्वक सम्मिलित किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त सम्बद्ध सर्किल के विद्यालयों के विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित उक्त रजिस्टर की किसी फोटोकापी को भी प्रदर्शित नहीं किया गया है ।

13. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत मामले में प्रदर्शित प्रवेश रजिस्टर एक बनावटी या जाली दस्तावेज है । यह अभिकथित घटना के पूर्व शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में 2000 से 2010 के दशक के लिए शासकीय अभिलेख के रूप में तैयार किया गया और बनाया गया था जिसकी फोटोकापी एक स्वतंत्र लोक सेवक, जो विद्यालय के मामलों से असम्बद्ध है, द्वारा प्रमाणित की गई है । पिता-माता (अभि. सा. 3 और 4) के साक्ष्य और अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से अभि. सा. 5 (मामा), जिसने याची की जन्म की तारीख से संबंधित सूचना विद्यालय प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई, के साक्ष्य का पुष्टिकरण विद्यालय रजिस्टर में इस प्रकार की प्रविष्टि द्वारा किया गया है । विद्वान् न्यायाधीश ने याची की आयु से संबंधित अभिलेख पर उपलब्ध इस प्रकार के संगत साक्ष्य, जिसको 2007 के नियम के नियम 12 को दृष्टि में रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के ऊपर वरीयता दी जानी चाहिए थी, को अवैध रूप से अस्वीकृत कर दिया ।

14. 2007 के नियम का नियम 12 उस प्रक्रिया को अधिकथित करता है जिसमें किशोर की आयु, जो विधि टकराव में है, का विनिर्धारण अधिनियम के अधीन किया जाना है जो इस प्रकार है :–

> "**12. आयु के विनिर्धारण में अनुसृत प्रक्रिया** –
>
> (1) विधि टकराव में किसी बालक या किशोर से संबंध रखने वाले प्रत्येक मामले में न्यायालय या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, इन

नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे किशोर या बालक या विधि टकराव में किसी किशोर की आयु का विनिर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर करेगा ।

(2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, किशोरवयता या किशोर या बालक जैसी भी स्थिति हो, विधि टकराव में किशोर, जैसा भी मामला हो, की शारीरिक बनावट या दस्तावेज़ों यदि उपलब्ध हों, के आधार पर प्रथमदृष्ट्या निर्णय करेगा और उसको संप्रेषण गृह या जेल भेज देगा ।

(3) विधि टकराव में किसी बालक या किशोर से सम्बद्ध प्रत्येक मामले में आयु विनिर्धारण जांच साक्ष्य की ईप्सा किए जाने के द्वारा या निम्नलिखित को अभिप्राप्त किए जाने के द्वारा न्यायालय या बोर्ड जैसी भी स्थिति हो, द्वारा संचालित की जाएगी –

(क)(i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों, और उनकी अनुपस्थिति में;

(ii) विद्यालय (खेलकूद विद्यालय को छोड़कर), जहां सर्वप्रथम प्रवेश लिया गया, से जन्म तारीख प्रमाणपत्र और उसकी अनुपस्थिति में;

(iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र ।

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) के (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में सम्यक् रूप से गठित चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सीय राय प्राप्त की जाएगी जो किशोर या बालक की आयु घोषित करेगा । यदि आयु के साक्ष्य का विनिर्धारण नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसी भी स्थिति हो, अभिलिखित कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझता है, बालक या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर उसकी आयु के निचले पक्ष पर विचार करते हुए लाभ प्रदान करेगा और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय उस साक्ष्य पर विचारोपरांत जो उपलब्ध हो या चिकित्सीय राय, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुए उसकी आयु के संबंध में

निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और जब तक ऐसा बालक या किशोर विधि टकराव में है, खण्ड (क) के (i), (ii) या (iii) में से किसी भी विनिर्दिष्ट किसी भी साक्ष्य या उसकी अनुपस्थिति में खण्ड (ख) आयु का निश्चायक सबूत होगा ।

(4) यदि अपराध की तारीख पर किशोर या बालक या विधि टकराव में किशोर की आयु उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट निश्चायक सबूत में से किसी के आधार पर 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो न्यायालय या बोर्ड या समिति जैसी भी स्थिति हो, लिखित में आयु अभिकथित करते हुए किशोरावस्था या अन्यथा की स्थिति घोषित करते हुए अधिनियम और नियम के प्रयोजनार्थ आदेश पारित करेगा और आदेश की एक प्रति उस किशोर या सम्बद्ध व्यक्ति को दी जाएगी ।

(5) सिवाय इसके जहां आगे जांच या अन्य कार्रवाई अपेक्षित है, अन्य बातों के साथ अधिनियम की धारा 7-क, 64 के निबंधनों और इन नियमों के अनुसार न्यायालय या बोर्ड द्वारा इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य अभिप्राप्त किए जाने और उसका परीक्षण किए जाने के उपरांत जांच संचालित की जाएगी ।

(6) इस नियम में समाविष्ट उपबंध उन निस्तारित मामलों जहां किशोरवयता की स्थिति उप-नियम (3) और अधिनियम में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार विधि टकराव में किशोर के हित में समुचित आदेश पारित किए जाने के प्रयोजनार्थ अधिनियम के अधीन दण्डादेश प्रदान किए जाने की अपेक्षा करते हुए विनिर्धारित की गई है, पर भी लागू होंगे ।"

15. **हरी राम** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नियम 12 का निर्वचन करते हुए अभिनिर्धारित किया कि केवल नियम 12 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में ही सम्यक् रूप से गठित किसी चिकित्सीय बोर्ड से प्राप्त चिकित्सीय राय पर विधि टकराव विरोध में किशोर की आयु के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है । सर्वोच्च न्यायालय ने जो

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 987 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2053.

अभिनिर्धारित किया, वह निम्नलिखित है :–

> "55. नियम 12 का उप-नियम (3) उपदर्शित करता है कि न्यायालय या बोर्ड द्वारा साक्ष्य मांगे जाने के द्वारा आयु विनिर्धारण किए जाने के प्रयोजनार्थ जांच निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती है;
>
> (i) मैट्रीकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्रों से, यदि उपलब्ध हों, और उनकी अनुपस्थिति में;
>
> (ii) उस विद्यालय से प्राप्त किए गए जन्म तारीख प्रमाणपत्र (क्रीडा विद्यालय को छोड़ कर) जिसमें सर्वप्रथम प्रवेश लिया हो; और उसकी अनुपस्थिति में;
>
> (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा प्रदान किया गया जन्म प्रमाणपत्र ।
>
> 56. नियम 12(3) का खण्ड (ब) उपबंधित करता है कि केवल ऐसे किसी दस्तावेज़ की अनुपस्थिति में ही किसी सम्यक् रूप से गठित चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सीय राय मंगाई जाएगी जो किशोर या बालक की आयु घोषित करेगा । यदि आयु का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता तो न्यायालय या बोर्ड या बाल कल्याण समिति जैसी भी स्थिति हो, अभिलिखित किए जाने वाले उन कारणों के आधार पर जिनको अभिलिखित किया जाना वह आवश्यक समझती है बालक या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर उसकी आयु के निचले स्तर पर विचार करते हुए लाभ प्रदान करेगा । (अधोरेखांकन पर बल दिया गया)

16. **अश्विनी कुमार सक्सेना** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय/बोर्ड कारबार के सामान्य अनुक्रम में रखे गए विद्यालय प्रमाणपत्र के परे किसी अन्य दस्तावेज़ पर विचार और उसमें समाविष्ट प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच नहीं करेगा । उक्त निर्णय के पैराग्राफ 34 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

---

[1] (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 594 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 553.

"34. किशोर न्याय अधिनियम और उसके अंतर्गत विरचित नियम के अंतर्गत अनुध्यात आयु विनिर्धारण जांच का अन्य विधानों के अंतर्गत होने वाली जांच, जैसे कि सेवा में प्रविष्टि, सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति इत्यादि से कोई संबंध नहीं होता । ऐसी भी स्थितियां, उत्पन्न हो सकती हैं जहां मैट्रीकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्रों, उस विद्यालय जहां सर्वप्रथम प्रवेश लिया, से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र और किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टि भी सही हो सकती है । किंतु न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कोई समिति से ऐसी कोई भ्रमणकारी जांच संचालित किए जाने और उन दस्तावेज़ों, जिन्हें कारबार के सामान्य अनुक्रम के दौरान तैयार किया गया है, की शुद्धता की जांच किए जाने के प्रयोजनार्थ उन प्रमाणपत्रों की जांच किए जाने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती । केवल उन मामलों जहां वे दस्तावेज़ या प्रमाणपत्र जाली या छल द्वारा बनाए गए पाए जाते हैं, न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ चिकित्सीय रिपोर्ट की ईप्सा करनी चाहिए । (अधोरेखांकन पर बल दिया गया)

17. हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय ने इसके बिल्कुल ही विपरीत कार्य किया । किसी भी पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि इस मामले में प्रदर्शित किया गया प्रवेश रजिस्टर कारबार के सामान्य अनुक्रम में तैयार नहीं किया गया या उसको विद्यालय द्वारा ही पेश नहीं किया गया । इन सब बातों के बाद भी न्यायालय ने प्रवेश रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टि की शुद्धता की जांच किए जाने के प्रयोजनार्थ भ्रमणकारी जांच की । यहां तक कि इस प्रकार की जांच के अनुक्रम के दौरान ऐसी सूचना के स्रोत और अभि. सा. 5 का साक्ष्य असुसंगत और तुच्छ सोच-विचार के आधार पर अर्थात् प्रवेश प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर और इस बाबत विवाद कि क्या अभि. सा. 5 ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे, अस्वीकृत कर दिया गया था । 2007 के नियम का नियम 12(3)(क)(ii) किसी आयु विनिर्धारण जांच में प्रवेश प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं करता और न ही कोई नियम/विनियम इस न्यायालय के समक्ष इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रतिपाल्य पिता-माता/संरक्षकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है ।

18. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री डे द्वारा

व्याकुलतापूर्वक किया गया एक अन्य अभिवाक् यह है कि सम्बद्ध विद्यालय जहां याची को कक्षा 3 में सर्वप्रथम प्रविष्ट किया गया था, शैक्षणिक संस्था नहीं था । विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं था और न ऐसी किसी दलील के समर्थन में कोई साक्ष्य कभी भी पेश किया गया । अभि. सा. 3, 4 और 5 अर्थात् प्रतिपरीक्षा का सामना करने से इनकार करने वाले याची के पिता-माता और मामा को इस बाबत कोई सुझाव कभी नहीं दिया गया । इस तथ्य को विवादित करने के प्रयोजनार्थ कि सम्बद्ध विद्यालय ऐसी प्रथम शैक्षणिक संस्था नहीं था जिसमें याची द्वारा प्रवेश लिया गया, अभिलेख पर किसी सामग्री की अनुपस्थिति में मैं सम्बद्ध विद्यालय के विद्यालय प्रमाणपत्र प्रवेश रजिस्टर पर विश्वास करने से मना करने के लिए अनिच्छुक हूं ।

19. सर्वोच्च न्यायालय ने **शाह नवाज़** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में एक पूर्ववर्ती निर्णयज विधि में उद्धृत रिपोर्ट के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :–

> "12. अरनित दास **बनाम** बिहार राज्य, (2005) 5 एस. सी. सी. 485 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3107 वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस बात का पता लगाए जाने के प्रयोजनार्थ कि क्या वह किशोर है या नहीं और इस अभिवाक् के समर्थन में कि वह किशोर है, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन किए जाते समय अनुमानिक दृष्टिकोण अंगीकृत नहीं किया जाना चाहिए और किसी अभियुक्त की आयु के विनिर्धारण के प्रश्न पर विचार करते हुए यदि एक ही साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों, तो न्यायालय को सीमारेखा वाले मामले में अभियुक्त के पक्ष में निर्णय पारित करना चाहिए और उसको किशोर अभिनिर्धारित करना चाहिए ।"

20. न्यायालय ने नियम 12 का निर्वचन निम्नलिखित तरीके से किया :–

> "26. हम इस बाबत भी संतुष्ट हैं कि नियम का नियम 12 जो अधिनियम के मतावलंबन में अधिनियमित किया गया है, चार कोटियों के साक्ष्य वर्णित करता है जो उपबंधित करते हैं कि चिकित्सीय रिपोर्ट

---

[1] (2012) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 864 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3107.

के मुकाबले विद्यालय प्रमाणपत्र को अधिमान क्यों प्रदान किया गया है ।"

21. **जरनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में न्यायालय ने अपराध के आहत की आयु विनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ नियम 12 को विस्तारित कर दिया । उक्त नियम में परिकल्पित अधिमानिक विवेचन व्यवस्था का निर्वचन करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "23. आयु विनिर्धारित करने के तरीके को निश्चायक रूप से ऊपर उद्धृत नियम 12 के उप-नियम (3) में अभिव्यक्त किया गया है । पूर्वोक्त उपबंध के अधीन किसी बालक की आयु प्रथम उपलब्ध आधार अंगीकृत किए जाने के द्वारा नियम 12(3) में अभिधारित अनेक विकल्पों के आधार पर अभिनिश्चित की जाती है । यदि नियम 12(3) के अधीन उपलब्ध विकल्पों की योजना के आधार पर किसी विकल्प को पूर्ववर्ती खण्ड में अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह पश्चात्वर्ती खण्ड में अभिव्यक्त विकल्प पर अध्यारोही प्रभाव रखेगा । उच्चतम मूल्यांकित विकल्प निश्चायक रूप से अवयस्क की आयु का विनिर्धारण करेगा । नियम 12(3) की योजना में सम्बद्ध बालक का मैट्रीकुलेशन (या समकक्ष) प्रमाणपत्र उच्चतम मूल्यांकित विकल्प होता है । यदि उक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध होता है, तो किसी अन्य साक्ष्य का अवलंब नहीं किया जा सकता । नियम 12(3) केवल उक्त प्रमाणपत्र के उपलब्ध न होने की स्थिति में ही उस विद्यालय में, जहां बालक सर्वप्रथम प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट की गई जन्म की तारीख पर विचार किया जाना परिकल्पित करता है । यदि जन्म की तारीख की इस प्रकार की प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शित जन्म की तारीख अंतिम और निश्चायक प्रतीत किए जाने योग्य होती है और किसी अन्य सामग्री का अवलंब नहीं लिया जा सकता । केवल इस प्रकार की प्रविष्टि के अभाव में ही नियम 12(3) किसी निगम या किसी नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पंचायत द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र का अवलंब लिया जाना अभिधारित करता है । पुनः यदि ऐसा कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध होता है तो किसी अन्य सामग्री, चाहे वह कुछ भी हो, पर सम्बद्ध बालक की आयु के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता, चूंकि उक्त प्रमाणपत्र बालक

---

[1] (2013) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 302 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3467.

की आयु का विनिर्धारण निश्चायक रूप से कर देगा । पूर्वोक्त में से किसी की भी अनुपस्थिति में यह होता है कि नियम 12(3) सम्बद्ध बालक की आयु का विनिर्धारण चिकित्सीय राय के आधार पर अभिधारित करता है ।"

22. **अबूजर हुसैन** उर्फ **गुलाम हुसैन** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7-क को दृष्टि में रखते हुए दोषसिद्धि के पश्चात्वर्ती प्रक्रम को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही के विलंबित प्रक्रम पर किशोरवयता का अभिवाक् उठाए जाने के विवाद्यक पर विचार किया । उक्त रिपोर्ट में न्यायालय ने दोहराया कि अधिनियम के अंतर्गत आयु विनिर्धारण जांच में तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए । माननीय न्यायालय ने जो अभिनिर्धारित किया, वह इस प्रकार है :–

"395. न्यायालय जहां, किशोरवयता का अभिवाक् सर्वप्रथम उठाया जाता है, को सदैव 2000 के अधिनियम के उद्देश्यों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए और इस स्थिति से भिज्ञ होना चाहिए कि 2000 के अधिनियम में समाविष्ट परोपकारी हितकर उपबंध अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाए जाने के द्वारा विफल न हो जाएं और वे व्यक्ति जो 2000 के अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, उन लाभों को प्राप्त करें । न्यायालयों को किसी सार्वजनिक प्रभाव द्वारा अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए क्योंकि विद्यालयों में पिता-माता/संरक्षक उनके बच्चों की आयु भविष्य में होने वाले लाभों को दृष्टि में रखते हुए एक या दो वर्ष तक कम बताते हैं या चिकित्सीय परीक्षण द्वारा आयु विनिर्धारण अत्यधिक प्रमित नहीं होता । मामले पर अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर प्रथमदृष्ट्या विचार नहीं किया जा सकता ।"

23. विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त हितकारी विधि सिद्धांत का पूर्णतया अनदेखा किया है और विद्यालय प्रमाणपत्र/प्रवेश रजिस्टर को याची की आयु के सबूत के रूप में अवैध रूप से अस्वीकृत किया है और चिकित्सीय राय का अवलंब लिया है यद्यपि उक्त चिकित्सीय प्रमाणपत्र को नियम 12 को दृष्टि में रखते हुए चिकित्सीय राय, जैसा कि ऊपरवर्णित हैं, को अधिमानता प्रदान की जानी चाहिए थी ।

---

[1] (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 83 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1020.

24. विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में **ओम प्रकाश** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब दृढ़तापूर्वक लिया । उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 22 और 23 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

> "22. यह निःसंदेह रूप से सत्य है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से कोई मामला बनता है कि घटना की तारीख पर वह 18 वर्ष की आयु से कम का अवयस्क था और दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर कम से कम प्रथमदृष्ट्या यह बात साबित हो जाती है, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष संरक्षण का हकदार होगा । किंतु जब कोई (किशोर) अभियुक्त कोई घोर और जघन्य अपराध कारित करता है और तत्पश्चात् एक अवयस्क होने के बहाने के अंतर्गत कानूनी प्रश्रय लेने का प्रयास करता है, तो इस बात को अभिलिखित किए जाते समय कि अभियुक्त किशोर है या नहीं, एक असावधान या बेपरवाह दृष्टिकोण अपनाए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती चूंकि न्यायालय न्याय प्रशासन के द्वारा सुपुर्द किए गए कार्य में जनसामान्य के विश्वास को संरक्षित किए जाने के उद्देश्य के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए जाने के लिए बाध्य हैं ।
>
> 23. इसलिए यद्यपि न्यायालयों को उस किशोर जो गंभीर प्रकृति के मामलों जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, हत्या और अनेक अन्य अपराधों में अंतर्वलित है, पर विचार करते हुए संवेदनशील होना चाहिए, फिर भी अभियुक्त को स्वयं को अवयस्क साबित करने का प्रयास करने के द्वारा जब उसकी अवयस्कता को साबित करने वाले दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर, उसकी अवयस्कता के प्रकथन के बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह उत्पन्न होता हो, कानूनी संरक्षण का दुरुपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जानी चाहिए । इन परिस्थितियों के अधीन वैज्ञानिक अन्वेषण पर आधारित चिकित्सीय साक्ष्य को विद्यालय प्रशासन के अभिलेखों, जो अभियुक्त की आयु के बारे में कल्पना और पूर्वानुमान को बढ़ावा देते हैं, के ऊपर सम्यक् रूप से महत्व और अधिमानता प्रदान की जाएगी । तथापि, यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रों और विद्यालय अभिलेखों को

---

[1] (2012) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 666 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1608.

जानबूझकर अंतरस्थ हेतु के साथ दबाकर रख लिया गया है और चिकित्सीय साक्ष्य की प्रमाणिकता को अभियोजन द्वारा चुनौती दी गई है तो मामले की स्थिति भिन्न होगी ।"

25. न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया :–

"27. अतः किशोर न्याय अधिनियम के साथ संलग्न कल्याणकारी विधान के सिद्धांत का लाभ केवल उन मामलों पर लागू होगा जिनमें अभियुक्त को उसकी अवयस्कता के संबंध में कम से कम प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर किशोर अभिनिर्धारित किया गया है चूंकि अभिकथित अभियुक्त जो घोर और गंभीर अपराध में अंतर्वलित है जिसको उसने कारित किया है और जो उसकी मासूमियत के बजाय उसके परिपक्व मस्तिष्क को परावर्तित करने वाला है और यह उपदर्शित करने वाला है कि किशोरावस्था का उसका अभिवाक् विधि के लंबे हाथों को चकमा देने या धोखेबाजी करने के प्रयोजनार्थ अधिकांशतः ढाल की प्रकृति का है, बचाव करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । इसलिए, यदि किशोरवयता का अभिवाक् या यह तथ्य कि उसने समझबूझ की आयु प्राप्त नहीं की थी जिससे कि वह अपने द्वारा किए जा रहे जघन्य कार्य के परिणामों को समझ पाता, अस्पष्टता या संदेह से परे नहीं है, तो इस अभिवाक् को मात्र संदेहास्पद विद्यालय प्रवेश अभिलेख के आधार पर उठाए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती और जिस स्थिति में यह संदेहास्पद हो जाता है, अभियुक्त की आयु के विनिर्धारण के समय चिकित्सीय साक्ष्य का उचित महत्व दिया जाना होगा ।"

26. **ओम प्रकाश** (उपरोक्त) वाले मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से सारभूत रूप से भिन्न हैं । उक्त मामले में अभियुक्त ने लगभग साढ़े तेरह वर्ष की अवयस्क लड़की के साथ बलात्संग कारित किया था । शैक्षिक अभिलेख जिनका अवलंब यह साबित करने के प्रयोजनार्थ लिया गया कि वह विजय कुमार नामक एक व्यक्ति से सम्बद्ध अवयस्क था जबकि मामले के अभिलेखों में उसके नाम का प्रकटीकरण विजय **उर्फ** भंवरलाल के रूप में हुआ । साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विजय कुमार नामक व्यक्ति की जन्म की तारीख की प्रविष्टि याची, जो भिन्न व्यक्ति था, से संबंधित नहीं थी और तद्नुसार उक्त शैक्षिक अभिलेखों पर विश्वास नहीं किया गया ।

27. इसके विपरीत हमारे समक्ष उपस्थित मामले में प्रवेश रजिस्टर में ऐसी कोई असंगतता से ग्रस्त नहीं है । इसको सम्बद्ध विद्यालय द्वारा पेश किया गया है और अभि. सा. 1 द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया गया है । याची की जन्म की तारीख से संबंधित सुसंगत प्रविष्टि को 2006 के रजिस्टर, में जिसको किताब के रूप में तैयार किया गया है और जिसमें 2000 से 2010 तक के पृष्ठ समाविष्ट हैं में अभिलिखित किया गया है । उक्त रजिस्टर की प्रति को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है । इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव स्पष्टतः बेतुका है कि ऐसे शासकीय अभिलेख जिसको शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में बनाया गया है, एक बनाया गया, गढ़ा हुआ या छलयोजित दस्तावेज़ होता है । इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त रजिस्टर में की गई सुसंगत प्रविष्टि से संबंधित सूचना के स्रोत को भी अभि. सा. 5 जो याची का मामा है और जिसने याची को विद्यालय में प्रवेश दिलाया था, के मौखिक वृत्तांत द्वारा साबित किया गया है । उसके साक्ष्य का पुष्टिकरण अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य द्वारा किया गया है । वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति **ओम प्रकाश** (उपरोक्त) वाले मामले, जिसमें किसी भिन्न व्यक्ति से संबंधित एक संदिग्ध प्रविष्टि की ईप्सा अभियुक्त की किशोरवयता के दावे पर बल दिए जाने के प्रयोजनार्थ की गई थी, से स्पष्टतया प्रभेदनीय है । विचारण न्यायालय ने **ओम प्रकाश** (उपरोक्त) वाले मामले, जो बिल्कुल भिन्न स्थिति को चित्रित करता है, में अधिकथित विनिश्चयानुपात को इस मामले के तथ्यों पर अशुद्धतः लागू कर दिया है ।

28. यहां पर यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि **सलिल बाली** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने 2000 के अधिनियम की संवैधानिक विधिमान्यता को मान्य ठहराते हुए अभिनिर्धारित किया कि विधि टकराव में किशोर की आयु 18 वर्ष अभिनिर्धारित किए जाने के कारण किशोर अपराध में बढ़ोतरी के अभिकथित अभिवाक् या सीमा रेखा वाले मामलों में किशोर की वयस्कता और समझदारी की सीमा के आधार पर मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "58. इस संबंध में अनेक विचारों में से एक जो 18 वर्ष की समझदारी की आयु निर्धारित किए जाने में विधान को सशक्त करता

---

[1] (2013) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 686 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3746.

है, वैज्ञानिक आंकड़ों के कारण है जो उपदर्शित करते हैं कि मस्तिष्क का विकास निरंतर होता रहता है और बालक का विकास तब तक होता रहता है जब तक वह कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और यही वह समय होता है जब उसके कार्यों के लिए पूर्णतः उत्तरदाई ठहराया जा सकता है । 18 वर्ष की आयु से नीचे के किसी व्यक्ति की परिपक्वता का निर्धारण करते समय शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण होता है । इस संबंध में श्री कामथ द्वारा उपलब्ध कराई गई तालिका को निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें बालकों से संबंधित विभिन्न विधियां सामान्यतया के दांडिक अपराधों को समाविष्ट करते हुए 18 वर्ष की आयु को किसी व्यक्ति की आयु की गणना किशोर बालक के रूप में किए जाने को मान्यता प्रदान करती है ।"

29. निःसंदेह रूप से प्रस्तुत मामला एक घोर अपराध को चित्रित करता है जिसमें नौ लोगों की मृत्यु हो गई थी । फिर भी, किसी नौजवान अपराधी, जो अपराध के परिणामों के संबंध में किशोरवयता का दावा करता है, की मानसिक परिपक्वता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ न केवल अपराध की घोरता बल्कि उसकी सहभागिता को स्पष्ट करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए । इस मामले में याची अपर्याप्त अवसरों और अल्प सशक्तिकरण की दरिद्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है । इस द्वेषपूर्ण नाटक में वास्तविक खिलाड़ियों (जिनमें से अधिकांश फरार हैं,) ने उसकी अभागी सामाजिक आर्थिक दशाओं का लाभ लेकर उसको एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनी हिंसक लड़ाई में भर्ती किया । वह अपने "राजनैतिक स्वामियों" के हाथों में एक कठपुतली था और शायद योजना में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद से भी अधिक अनावश्यक । क्या याची, जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण पृष्ठभूमि का अति संवेदनशील किशोर था, उन परिस्थितियों, जिनको अभियोजन के पक्षकथन में चित्रित किया गया है, को वास्तव में उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के प्रभाव का निर्धारण किए जाने के प्रयोजनार्थ उसकी अपेक्षित परिपक्वता को विशेषित किया जा सकता है ? यह अभिकथित नहीं किया गया है कि उसने व्यक्तिगत वासना, लालच या बदले की भावना के साथ अपराध कारित किया गया है बल्कि यह अभिकथित किया है कि उसने अपराध अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनके आदेश मानने से इनकार करने पर उसकी जान भी जा सकती थी,

के हाथों का अभिकर्ता बन कर कारित किया है । वह विवाहितों को गोद में जन्मा आनंद में डूबा हुआ नौजवान जिसने विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि और विधि के निर्लज्ज अनादर का घोर दुरुपयोग करते हुए अपराध का मार्ग चुन लिया हो, भी नहीं है । वह दृढ़निश्चयी भृतक सैनिक भी नहीं है जो लाभ के लिए किसी की हत्या करता है बल्कि वह एक नौजवान है जिसको अभिकथित रूप से उसकी अशक्त (कंगाल) पृष्ठभूमि और युवावस्था का लाभ लेकर बहकाने वाली ताकतों द्वारा अपराध में घसीट लिया गया है ।

30. न्यायमूर्ति ठाकुर ने **अबूजर हुसैन** (उपरोक्त) वाले मामले में सहमति व्यक्त करने वाली राय व्यक्त करते हुए सुबोधता, निर्धनता और किशोर अपराध के मध्य निकट कड़ी को उजागर किया और किशोर विधि के लाभकारी प्रभावों के मना करने वाले इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण और हठधर्मी अपराधियों की निंदा की । माननीय न्यायाधीश ने गम्भीरतापूर्वक निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

> "47. इस प्रकार की वास्तविकताओं में से एक वास्तविकता यह है कि अशिक्षा और अपराध में निकट अंतर्बंधन होता है यद्यपि ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक दूसरे के प्रत्यक्षतः अनुपात में न हो । जैसा कि संसार के अन्य देशों में भी है, इस देश में किशोर अपराध अन्य कारणों के मुकाबले गरीबी और बेरोज़गारी के कारण अधिक फूलते हैं । आपराधिक क्रियाकलापों में अंतर्वलित किशोरों में से बड़ी संख्या में किशोर ऐसे हैं जिन्हें विद्यालय जाने का अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होता । राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा संचालित अध्ययन से प्रकट होता है कि अपर्याप्त शिक्षा और अपर्याप्त आर्थिक संसाधन सामान्यतः किशोर अपराधों में मुख्य सहायक होते हैं । 2011 के अध्ययन के परिणाम आगे दर्शित करते हैं कि 2011 में गिरफ्तार किए गए 33887 में से 55.87% (6122 किशोर) या तो अशिक्षित थे या मात्र प्राथमिक स्तर तक ही (कुल 12803 किशोर) शिक्षित थे । पुनः गिरफ्तार किए गए कुल किशोरों में से 56.7% न्यूनतम आय श्रेणी के हैं । इसी प्रकार का एक अन्य अध्ययन बी. एन. मिश्रा द्वारा किया गया और उनकी पुस्तक ज्यूवेनाइल डिलिंक्वैंसी एण्ड जस्टिस सिस्टम में प्रकाशित किया गया जिसमें लेखक ने जो अभिलिखित किया है वह निम्नलिखित है –
>
> > 'किसी अपराधी के मुख्य लक्षणों में से एक लक्षण यह होता है कि वह अल्प शैक्षणिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता

है । अपराधियों में से 63 प्रतिशत से भी अधिक अशिक्षित होते हैं । उनकी अशिक्षा का मुख्य कारण गरीबी होता है । वे गरीब आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ श्रम बाजार में प्रविष्ट हो जाने के लिए विवश हो जाते हैं । यह भी महसूस किया जाता है कि कमजोर शैक्षणिक उपलब्धि का मुख्य कारण बौद्धिक स्तर की कमी नहीं बल्कि अवसर की कमी है । यद्यपि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी अपचारी की प्रत्याशाओं का स्तर अत्यधिक न्यून होता है और उनके भविष्य के संबंध में प्रत्याशाओं की कमी जो प्रोत्साहन की कमी और उनके पिता-माता की अनभिज्ञता के कारणवश होती हैं, उनके पिछड़ेपन में भूमिका का निर्वाह करती है ।'

तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसे मामले में क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ? क्या ऐसे दुर्भाग्यशाली और निरंकुश अपचारियों को हितप्रद विधान के लाभ प्रदान किए जाने से इनकार किया जा सकता है ? क्या अभियुक्त, जो जीवन में कभी भी विद्यालय न जा सका, को वह लाभ प्रदान किए जाने के द्वारा उन जिनको विधान सुस्पष्ट निबंधनों में उपलब्ध कराता है – जिनके अंतर्गत अंतिम न्यायालय द्वारा अपील के निस्तारण हों और उसकी दोषसिद्धि को मान्य ठहराए जाने के बाद भी जांच की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, दुर्भाग्य को उसका पीछा करने दिया जा सकता है या उसके दुर्भाग्य को संयोजित किया जा सकता है ।"

31. इस मामले में तथ्यों पर उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए जिनके अंतर्गत किशोर आयु की सीमारेखा वाले अपचारी को अभिकथित रूप से हावी हो जाने वाली अपकारी ताकतों, जो उसके (किशोर अपचारी के) नियंत्रण के परे हैं, गरीबी की परिस्थितियों और सामाजिक सशक्तीकरण की कमी के कारण अपराध कारित करने के लिए विवश किया जाता है, उसको किशोर विधि का कल्याणकारी उपचार प्रदान किए जाने से इनकार किया जाना न्याय की त्रासदी होगा ।

32. पूर्वोक्त कारणोंवश मैं यह निष्कर्ष निकालने के लिए आनत हूं कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश याची की आयु के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर उचित परिप्रेक्ष्य विचार करने में विफल रहे और 2007 के नियम के नियम 12 के उप-नियम (3) के निबंधनों के अंतर्गत अत्यंत

महत्वपूर्ण और सुसंगत साक्ष्य, अर्थात् विद्यालय जहां याची का पहली बार प्रवेश हुआ था, प्रमाणपत्र और विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर को अवैध रूप से अस्वीकृत कर दिया और निष्कर्ष निकाले जाने के प्रयोजनार्थ चिकित्सीय विशेषज्ञ की राय का अवलंब लिया । विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण अत्यधिक तकनीकी था और आयु विनिर्धारण को स्थापित विधि, जैसा कि 2000 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है के विपरीत था ।

33. तद्नुसार आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । याची को विधि विरोध में किशोर घोषित किया गया है । विचारण न्यायालय को मामले को पृथक् करने और उसको विधि अनुसार निस्तारणार्थ सम्बद्ध बोर्ड के समक्ष अग्रेषित किए जाने के लिए निदेशित किया जाता है ।

34. आवेदन तद्नुसार स्वीकार किया जाता है ।

35. याची इस न्यायालय की शासकीय वेबसाइट से इस आदेश की प्रति डाउनलोड करने और उस पर उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

याचिका मंजूर की गई ।

शु.

(2014) 2 दा. नि. प. 221 **केरल**

श्रीधरीयम आयुर्वेद मेडिसिन प्राइवेट लि., एर्नाकुलम और एक अन्य

बनाम

केरल राज्य

तारीख 10 मार्च, 2014

न्यायमूर्ति पी. डी. राजन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 [सपठित ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 10 तथा ओषधि और चमत्कारिक (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम, 1955 का नियम 3] – उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता – ओषधि के संबंध में भ्रामक विज्ञापन करना – जहां ओषधि निरीक्षक को कतिपय ओषधियों के भ्रामक विज्ञापन की जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा

परिसर की तलाशी ली गई और कतिपय ओषधियों और विज्ञापन दस्तावेज अभिगृहीत की गईं तथा न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल किया गया वहां ओषधि निरीक्षक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अवैध न होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर परिवाद को अभिखंडित किए जाने की अपेक्षा नहीं है ।

प्रथम याची एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आयुर्वेदिक साम्पत्तिक दवाइयों के विनिर्माण में लगी हुई है और द्वितीय याची प्रथम याची का प्रबंध निदेशक है जिसने 1940 के ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयुर्वेद ओषधि नियंत्रक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार सुनेत्र सीनियर आई ड्राप्स का विनिर्माण किया । तारीख 12 सितंबर, 2011 के कोझीकोड के सिविल स्टेशन के सहायक ओषधि नियंत्रक के कार्यालय के ओषधि निरीक्षक ने कोझीकोड के बिग बाजार स्थित मैसर्स लाइफा मार्केटिंग, जो प्रथम याची का प्राधिकृत फुटकर विक्रेता है, के परिसर का दौरा किया और तलाशी ली । उस समय उसने ओषधि के लेबल और डिस्पले पोस्टर, जो जन सामान्य को गुमराह करने वाला और उनको स्वयं दवा और उपचार की ओर प्रोत्साहित करने वाला था, में समाविष्ट कथन पर ध्यान दिया । ओषधि निरीक्षक ने संलग्नक-ग महाजर के अनुसार ओषधियों के सम्पूर्ण स्टाक को अभिगृहीत कर लिया और तत्पश्चात् संलग्नक-क को कोझीकोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1 के समक्ष फाइल कर दिया । अतः, याचियों ने उपरोक्त याचिका फाइल करते हुए इस न्यायालय की शरण इस आधार पर ली कि नियमों के आज्ञापक उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है और यदि अभियोजन जारी रहने दिया गया, तो इससे न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग ही होगा । यह याचिका कोझीकोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1954 के ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम की धारा 10 के अधीन फाइल किए गए परिवाद संलग्नक-क को अभिखण्डित किए जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लेते हुए फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – धारा 4 को सूक्ष्मतापूर्वक पढ़े जाने पर दर्शित होता है कि कोई व्यक्ति किसी ओषधि के संबंध में कोई किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि उस विज्ञापन में कोई ऐसी बात है जिससे उस ओषधि की वास्तविक प्रकृति के बारे में कोई मिथ्या धारण प्रत्यक्षतः या

अप्रत्यक्षतः बनती है अथवा जिसमें उस ओषधि के लिए कोई मिथ्या दावा किया गया है अथवा जो अन्यथा किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक है, और उसको 1955 के ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम के नियम 3 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करना होगा । नियम 3 कहता है कि यदि अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस बाबत संतुष्ट हो जाता है कि यदि किसी ओषधि से संबंधित कोई विज्ञापन धारा 4 के उपबंधों का अतिलंघन कारित करता है, तो वह आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ओषधि के विनिर्माता, पैकर, वितरक या विक्रेता से आदेश द्वारा या इस बाबत आगे प्रदान किए गए समय के भीतर ओषधि के सम्मिश्रण या उसके संघटकों या उस ओषधि के संबंध में कोई अन्य सूचना, जैसा कि विज्ञापन की संवीक्षा किए जाने के बाबत आवश्यक प्रतीत करता है, के संबंध में सूचना प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करेगा । जहां ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो ओषधि जिससे विज्ञापन संबंधित है, का विनिर्माता, पैकर, वितरक या विक्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 7 के प्रयोजनों के लिए पारित प्रत्येक आदेश, जिसको धारा 4 के उपबंधों का भी अति उल्लंघन करने वाला प्रतीत किया जाएगा, का पालन करें । परंतु यह तब जबकि कोई प्रकाशक या किसी ओषधि से संबंधित किसी विज्ञापन के प्रकाशन के लिए किसी माध्यम के विज्ञापन अभिकरण को मात्र इस कारणवश कि उसके द्वारा किया गया प्रसारण या ऐसा कोई विज्ञापन जब तक कि वह प्रकाशक या विज्ञापन अभिकरण इस बाबत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विवेकाधिकार का अनुपालन करने में विफल न हो गया हो, उल्लंघन करने वाला प्रतीत नहीं किया जाएगा । इसलिए विनिर्माता, पैकर, वितरक, विक्रेता या विज्ञापन अभिकरण धारा 4 के अतिक्रमण का दाई होगा । न्यायालय ने इस संदर्भ में, अभिलेखों का सत्यापन कराया । ओषधि निरीक्षक द्वारा किया गया अभिकथन यह था कि उसको यह सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रथम याची ने कतिपय ओषधियों के संबंध में कतिपय प्रकाशन कराए थे । उसने धारा 3(घ) के अधीन संलग्नक-क में एक परिवाद फाइल किया जब वस्तुतः परिवादी ने धारा 3 (घ) के अधीन परिवाद फाइल किया न्यायालय का मत है कि नियम 3 लागू नहीं होता । इन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ओषधि निरीक्षक ने परिसर की तलाशी ली थी और उसने कतिपय ओषधियां और विज्ञापन दस्तावेज अभिगृहीत किए थे जिनके आधार पर उसने कोझीकोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1 के समक्ष परिवाद फाइल किया था । न्यायलय का यह विचार है कि उक्त प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं है

यद्यपि संलग्नक-क से ग याचियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित करते हैं । यदि ऐसी स्थिति है तो इस मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अन्तर्निहित शक्ति का अवलंब लिया जाना अपेक्षित नहीं है । (पैरा 6 और 7)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1992]	(1992) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 426 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 : **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल** ।	8

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक प्रकीर्ण सं. 660.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री पी. दीपक

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आसिफ अली (अभियोजन महानिदेशक)

न्यायमूर्ति पी. डी. राजन – यह याचिका कोझीकोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1954 के ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम की धारा 10 के अधीन फाइल किए गए परिवाद संलग्नक-क को अभिखण्डित किए जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लेते हुए फाइल की गई है । यह अभिकथन कि प्रथम याची एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आयुर्वेदिक सांपत्तिक दवाइयों के विनिर्माण में लगी हुई है और द्वितीय याची प्रथम याची का प्रबंध निदेशक है जिसने 1940 के ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयुर्वेद ओषधि नियंत्रक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार सुनेत्र सीनियर आई ड्राप्स का विनिर्माण किया । तारीख 12 सितंबर, 2011 के कोझीकोड के सिविल स्टेशन के सहायक ओषधि नियंत्रक के कार्यालय के ओषधि निरीक्षक ने कोझीकोड के बिग बाजार स्थित मैसर्स लाइफा मार्केटिंग, जो प्रथम याची का प्राधिकृत फुटकर विक्रेता है, के परिसर का दौरा किया और तलाशी ली । उस समय उसने ओषधि के लेबल और डिस्पले पोस्टर, जो जन सामान्य को गुमराह करने वाला और उनको स्वयं दवा और उपचार की ओर प्रोत्साहित करने वाला

था, में समाविष्ट कथन पर ध्यान दिया । ओषधि निरीक्षक ने संलग्नक-ग महाजर के अनुसार ओषधियों के सम्पूर्ण स्टाक को अभिगृहीत कर लिया और तत्पश्चात् संलग्नक-क को कोझीकोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1 के समक्ष फाइल कर दिया । अतः, याचियों ने उपरोक्त-याचिका फाइल करते हुए इस न्यायालय की शरण इस आधार पर ली कि नियमों के आज्ञापक उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है और यदि अभियोजन जारी रहने दिया गया, तो इससे न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग ही होगा ।

2. याचियों के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि 1955 के ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम के नियम 3 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना संलग्नक-क के आधार पर किसी अपराध का प्रकटीकरण नहीं होता, जैसा कि अभिकथित किया गया है और ओषधि निरीक्षक मामले में आगे की कार्यवाही में अग्रसर नहीं हो सकता । धारा 8 ओषधि निरीक्षक को नियम 3 का अतिक्रमण करके स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती ।

3. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अभियोजन महानिदेशक ने उक्त दलील का दृढ़तापूर्वक विरोध किया कि नियम 3 का अतिक्रमण नहीं हुआ है । संलग्नक-क को अधिनियम की धारा 3(घ) के अधीन अधिमान प्रदान किया गया था । अधिनियम की धारा 3(घ) का अवलंब लिए जाने पर नियम 3 लागू नहीं होता । यदि कोई अभियोजन धारा 4 के अधीन आरंभ किया जाता है तो केवल धारा 3 का अतिक्रमण क्रियान्वयन में आएगा । याचियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और इसलिए इस मामले में किसी प्रकार का मध्यक्षेप किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता ।

4. 1954 के ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम की धारा 3 और 4 इस प्रकार है :–

> "3. कुछ रोगों और विकारों की चिकित्सा के लिए कुछ ओषधियों के विज्ञापन का प्रतिषेध – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा जिसमें किसी ओषधि के प्रतिनिर्देश ऐसे शब्दों में किया गया है जिनसे यह धारणा बनती है या यह प्रकल्पित है कि वह ओषधि निम्नलिखित के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, –

(क) स्त्रियों का गर्भपात कराना अथवा स्त्रियों में गर्भधारण का निवारण; अथवा

(ख) लैंगिक आनन्द के लिए मनुष्यों की क्षमता बनाए रखना या उसे बढ़ाना; अथवा

(ग) स्त्रियों के ऋतुविकारों को ठीक करना; अथवा

(घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग, विकार या दशा का, अथवा किसी ऐसे अन्य रोग, विकार या दशा (उसे चाहे जो कहा जाए) का, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, निदान, रोगमुक्ति, उसमें कमी करना या उसकी चिकित्सा या निवारण :

परंतु ऐसा कोई नियम, –

(i) किसी ऐसे रोग, विकार या दशा के संबंध में ही बनाया जाएगा, जिसके लिए, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के परामर्श से, समय पर चिकित्सा अपेक्षित है या जिसके लिए सामान्यतः कोई मान्य उपचार नहीं है;

(ii) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन गठित ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड, से और यदि केन्द्रीय सरकार समझे तो, आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें सरकार ठीक समझे, परामर्श करने के पश्चात् ही बनाया जाएगा ।

4. **ओषधियों के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों का प्रतिषेध** – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति किसी ओषधि के संबंध में किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि उस विज्ञापन में कोई ऐसी बात है, –

(क) जिससे उस ओषधि की वास्तविक प्रकृति के बारे में कोई मिथ्या धारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बनती है; अथवा

(ख) जिसमें उस ओषधि के लिए कोई मिथ्या दावा किया गया है; अथवा

(ग) जो अन्यथा किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक है ।"

5. अधिनियम के मुख्य उद्देश्य ओषधियों और उनके द्वारा दी जाने वाली राहत के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करना है । इसलिए जब किसी विनिर्माता द्वारा ऐसे उपबंधों का अतिक्रमण किया जाता है, तो अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित अधिकारी अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है । अधिनियम की धारा 8 क्षेत्र की उन स्थानीय सीमाओं जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है के भीतर किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रवेश किए जाने और तलाशी लिए जाने के लिए सशक्त अधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है । धारा 8 के अनुसार इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए उसको नियुक्त किया गया है, को किसी ऐसे स्थान जिसके बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन वहां कोई अपराध किया गया है, को प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त होगी और वह ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसको प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए ऐसा कोई विज्ञापन अभिगृहीत कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है । उसको धारा 9(क) के अधीन किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज़ या किसी अन्य तात्विक वस्तु जो किसी ऐसे स्थान पर पाई गई हो । जहां वह तलाशी लेने का आशय रखता हो का भी सत्यापन और परीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है । जब वह ऐसे किसी परिसर में प्रवेश करेगा, तो तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को लागू करेगा ।

6. धारा 4 को सूक्ष्मतापूर्वक पढ़े जाने पर दर्शित होता है कि कोई व्यक्ति किसी ओषधि के संबंध किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि उस विज्ञापन में कोई ऐसी बात है जिससे उस ओषधि की वास्तविक प्रकृति के बारे में कोई मिथ्या धारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बनती है अथवा जिसमें उस ओषधि के लिए कोई मिथ्या दावा किया गया है अथवा जो अन्यथा किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक है, और उसको 1955 के ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम के नियम 3 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करना होगा । नियम 3 कहता है कि यदि अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस बाबत संतुष्ट हो जाता है कि यदि किसी ओषधि से संबंधित कोई विज्ञापन धारा 4 के उपबंधों का अतिलंघन कारित करता है, तो वह आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ओषधि के विनिर्माता, पैकर, वितरक या विक्रेता

से आदेश द्वारा या इस बाबत आगे प्रदान किए गए समय के भीतर ओषधि के सम्मिश्रण या उसके संघटकों या उस ओषधि के संबंध में कोई अन्य सूचना, जैसा कि विज्ञापन की संवीक्षा किए जाने के बाबत आवश्यक प्रतीत होता है, के संबंध में सूचना प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करेगा । जहां ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो ओषधि जिससे विज्ञापन संबंधित है, का विनिर्माता, पैकर, वितरक या विक्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 7 के प्रयोजनों के लिए पारित प्रत्येक आदेश, जिसको धारा 4 के उपबंधों का भी अति उल्लंघन करने वाला प्रतीत किया जाएगा, का पालन करें । परंतु यह तब जबकि कोई प्रकाशक या किसी ओषधि से संबंधित किसी विज्ञापन के प्रकाशन के लिए किसी माध्यम के विज्ञापन अभिकरण को मात्र इस कारणवश कि उसके द्वारा किया गया प्रसारण या ऐसा कोई विज्ञापन जब तक कि वह प्रकाशक या विज्ञापन अभिकरण इस बाबत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विवेकाधिकार का अनुपालन करने में विफल न हो गया हो, उल्लंघन करने वाला प्रतीत नहीं किया जाएगा । इसलिए विनिर्माता, पैकर, वितरक, विक्रेता या विज्ञापन अभिकरण धारा 4 के अतिक्रमण का दायी होगा ।

7. मैंने इस संदर्भ में, अभिलेखों का सत्यापन कराया । ओषधि निरीक्षक द्वारा किया गया अभिकथन यह था कि उसको यह सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रथम याची ने कतिपय ओषधियों के संबंध में कतिपय प्रकाशन कराए थे । उसने धारा 3(घ) के अधीन संलग्नक-क में एक परिवाद फाइल किया जब वस्तुतः परिवादी ने धारा 3(घ) के अधीन परिवाद फाइल किया मेरा विचार है कि नियम 3 लागू नहीं होता । कानून इन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ओषधि निरीक्षक ने परिसर की तलाशी ली थी और उसने कतिपय ओषधियां और विज्ञापन दस्तावेज अभिगृहीत किए थे जिनके आधार पर उसने कोझीकोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1 के समक्ष परिवाद फाइल किया था । मेरा विचार है कि उक्त प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं है यद्यपि संलग्नक-क से ग याचियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित करते हैं । यदि ऐसी स्थिति है तो इस मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अन्तर्निहित शक्ति का अवलंब लिया जाना अपेक्षित नहीं है ।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[1] वाले मामले में कहा है :–

---

[1] (1992) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 426 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604.

"जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/परिवाद में अभिकथन किए गए हैं, यदि उनकी सपाट भाषा पर विचार किया जाता है और फिर भी अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध नहीं बनता । (2) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अन्य सामग्रियों के आधार पर किए गए अभिकथनों के आधार पर कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता जिसके आधार पर संहिता की धारा 156(1) के अधीन पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने को न्यायानुमत ठहराया जा सकता है, सिवाय धारा 155(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्तर्गत किए जाने वाले अन्वेषण के । (3) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/परिवाद में किए गए अभिकथन अखंडित हों और उनके आधार पर एकत्रित साक्ष्य किसी अपराध के कारण का प्रकटीकरण नहीं करते । (4) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/परिवाद में किए गए अभिकथनों के आधार पर कोई संज्ञेय अपराध गठित नहीं होता किंतु मात्र असंज्ञेय अपराध गठित होता है जिसके लिए धारा 155(2) के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस द्वारा अन्वेषण अनुज्ञेय है । (5) जहां अन्वेषण अत्यधिक बेतुका है और सारगर्भित रूप से अधिसंभाव्य नहीं है जिसके आधार पर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति किसी निष्पक्ष निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के पर्याप्त आधार हैं । (6) जहां कार्यवही के संस्थित किए जाने और उसके जारी रहने में अभिव्यक्त से विधिक वर्जन है, जिसको संहिता या सम्बद्ध कानून (जिसके अधीन कार्यवाही को संस्थित किया जाता है) के उपबंधों में से किसी से भी उपबंधित किया गया है और या जहां संहिता या सम्बद्ध कानून में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध है जो व्यथित पक्ष की शिकायत के प्रभावी निस्तारण के लिए उपबंधित करता है । (7) जहां किसी दांडिक कार्यवाही में प्रकट रूप से असद्भावपूर्ण आशय के साथ भाग लिया जाता है और या जहां कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लिए जाने के लिए निजी और व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण उसको परेशान किए जाने के प्रयोजनार्थ अंतरस्थ हेतु के साथ संस्थित किया जाता है ।"

9. यह याचिका सार रहित है और खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

बंशीलाल

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

तारीख 12 अगस्त, 2013

न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 7, 13(1)(घ) और 20 – अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन हेतु धन की मांग की और स्वीकार किया जो अभियुक्त के विरुद्ध बिछाए गए जाल में धन लेते हुए पकड़े जाने से सिद्ध होता है, वहां यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/ अभियुक्त बंशीलाल पटवारी हलका सं. 16 भागरा राजस्व, सर्किल कुंडा में पटवारी के पद पर तैनात था । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा ने पुलिस उप-अधीक्षक, लोकायुक्त, विलासपुर को लिखित शिकायत की थी कि उसने निरंजन सिंह ठाकुर से 5 डिसमिल भूमि क्रय की थी और उसके पिता गोरेलाल शर्मा ने वेद प्रसाद से 52 डिसमिल भूमि क्रय की थी तथा स्टाम्प कागजातों (विक्रय विलेखों) सहित दस्तावेज शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा और पिता गोरेलाल शर्मा के नाम दाखिल खारिज के लिए अपीलार्थी को दिए गए थे । तारीख 22 जनवरी, 1992 को अपीलार्थी ने भूमि के दाखिल खारिज के लिए 1,200/- रुपए की मांग की थी । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा ने अपीलार्थी को 500/- रुपए दिए और उसने अपीलार्थी से कहा कि दाखिल खारिज कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् शेष रकम उसे देगा । तारीख 18 फरवरी, 1992 को शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा अपीलार्थी के पास गया । अपीलार्थी ने पुनः बाकी रकम 700/- रुपए की मांग की थी चूंकि शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा अपीलार्थी द्वारा बाकी मांगी गई रकम देना नहीं चाहता था । उसने लिखित शिकायत की । शिकायत आवश्यक कार्यवाही हेतु निरीक्षक हेमन्त खरे को भेजी गई थी ।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी सुरेश चन्द्र सिंह सहायक वेटनरी सर्जन डा. आर. के. मित्रा पंच साक्षियों के रूप में बुलाए गए थे । शिकायत पंच साक्षियों को उनके परिशीलन के लिए दी गई थी । उन्होंने शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा से शिकायत के बारे में पूछताछ की । प्रदर्श पी/2 के माध्यम से पूर्व जाल बिछाने के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी जिसमें 1 गिलास में सोडियम कारबोनेट का घोल तैयार किया गया था । घोल में सादा कागज डुबाया गया, घोल का रंग बदला नहीं । इसके पश्चात्, कागज का 1 अन्य टुकड़ा जिसमें फिनाइल पैथोलीन का चूर्ण रखा गया और उसे घोल में डुबाया गया था । घोल का रंग गुलाबी रंग में बदल गया । प्रदर्शन करने के पश्चात् शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा से 700/- रुपए के करेंसी नोट पेश करने के लिए कहा गया । उसने प्रदर्शन के लिए 700/- रुपए के करेंसी नोट पेश किए जो अलग-अलग 100-100 रुपए के थे । पूर्व जाल पंचनामा तैयार किया गया था । करेंसी नोटों की संख्या उसमें अभिलिखित की गई थी और इसके पश्चात् फिनाइल पैथोलीन चूर्ण करेंसी नोटों पर लगाया गया था और उन करेंसी नोटों को शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा द्वारा पहने गए कुर्ते की जेब में रखा गया था । उसे इस बारे में बताया गया और उसका मार्ग निर्देशन किया गया कि कैसे जाल बिछाने की व्यवस्था की जाएगी और उसकी भूमिका जो उसे जाल बिछाने की कार्यवाहियों में अपेक्षित थी उस भूमिका के बारे में उसे बताया गया । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा को यह भी अनुदेश दिया गया कि वह अपीलार्थी द्वारा केवल मांगे जाने पर करेंसी नोट उसे देगा । पूर्व जाल पंचनामा तैयार करने के पश्चात् पूर्व जाल बिछाने की कार्यवाही की व्यवस्था की गई । जाल बिछाने वाला दल अपीलार्थी के मकान की ओर अग्रसर हुआ जो ग्राम भागरा पर स्थित है । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा अपीलार्थी के मकान के अंदर गया और जाल बिछाने वाले दल के अन्य सदस्य अपीलार्थी के मकान के चारों ओर खड़े थे । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा ने दूषित करेंसी नोट अपीलार्थी को दिए । करेंसी नोट देने के पश्चात् शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा को पहले ही दिशानिर्देश दिए गए थे कि वह जाल बिछाने वाले दल को संकेत भेजेगा । संकेत प्राप्त करने के पश्चात् जाल बिछाने वाले दल के सदस्य तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने अपीलार्थी को हाथों से पकड़ लिया और जाल बिछाने वाले दल ने अपीलार्थी से करेंसी नोट अभिगृहीत कर लिए । सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया था जिसमें अपीलार्थी के दोनों हाथों की अंगुलियों को डुबाया गया था, घोल का रंग गुलाबी हो गया । घोल को पृथक् बोतल में रखा गया था और मोहरबंद

किया गया था । अपीलार्थी के कहने पर करेंसी नोट बरामद किए गए थे । करेंसी नोटों की संख्या पूर्व जाल पंचनामा में उल्लिखित संख्याओं से तुलना की गई थी जो वही पाए गए थे । एक अन्य सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया था तथा बरामद किए गए करेंसी नोटों को उसमें डुबाया गया था । घोल का रंग गुलाबी हो गया था । उक्त घोल को एक अन्य बोतल में रखा गया और मोहरबंद किया गया । जाल पंचनामा के माध्यम से तैयार किया गया था । बिना संख्या नालिसी अभिलिखित किया गया था और इसके पश्चात् नियमित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विशेष पुलिस स्थापन्न भोपाल में अभिलिखित की गई थी । अभिगृहीत वस्तुओं को रासायनिक परीक्षा के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । रिपोर्ट वहां से प्राप्त की गई थी । फिनाइल पैथोलिन की परीक्षा सकारात्मक पाई गई थी । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा अनुमति के माध्यम से प्राप्त की गई थी और अधिनियम, 1988 के अधीन प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, विलासपुर में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । विचारण न्यायालय ने अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया । जैसाकि ऊपर उल्लिखित है । अभियुक्त ने प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा, सुरेश चन्द सिंह, डा. आर. के. मित्रा, सी. पी. मिश्रा, राम बहादुर सिंह, चन्द्रभान सिंह, परमेश्वर सिंह और अन्वेषक अधिकारी, हेमन्त खरे के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह साबित किया गया है कि 700/- रुपए की रकम अपीलार्थी के कहने पर उसके मकान के छज्जा (आगे बढ़ाया हुआ हिस्सा) से बरामद की गई थी और बरामद किए गए करेंसी नोटों की संख्याओं का पूर्व जाल पंचनामा में उल्लिखित संख्याओं से तुलना करने के पश्चात् वे एक समान पाए गए थे । यह अभिनिर्धारित करना गलत है कि अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन अपराध का सार यह है कि लोकसेवक को अपने कर्तव्यों के संबंध में कोई कार्य करता हो और तदुपरि कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय फायदे प्राप्त करता हो । यह

अभिनिर्धारित करना भी गलत है कि अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन अपराध का सार यह है कि लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करना चाहिए और तदुपरि कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय फायदे प्राप्त करता हो । यह आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं अवचार करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाना चाहिए । तदुपरि कोई धनीय फायदे प्राप्त करना चाहिए । अपीलार्थी पटवारी हलका सं. 16 में पटवारी के पद पर तैनात था और शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा ने उसे दाखिल खारिज के लिए विक्रय विलेख दिए थे । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा दाखिल खारिज की कार्यवाही करवाने के लिए अपीलार्थी से मिला था । इसके पश्चात् भी अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के पिता और शिकायतकर्ता के नाम में दाखिल खारिज की कार्यवाही नहीं की । इसलिए शिकायतकर्ता के कथन कि अपीलार्थी ने अवैध परितोषण के रूप में उससे 1,200/- रुपए की रकम मांगी थी, यह बात विश्वसनीय और स्वीकार योग्य है । यदि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि पैसा रिश्वत के रूप में मांगा गया था और उसे अभि. सा. 2 से प्राप्त किया गया था । धारा 20 पी. सी. अधिनियम प्रवर्तन में आएगा जब कभी ऐसी कोई उपधारणा जैसाकि धारा 20 के अधीन अनुज्ञात है इस पर अपीलार्थी के लिए यह है कि वह यह सिद्ध करे कि पैसा रिश्वत के रूप में नहीं लिया गया था । यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी कुछ समय के लिए अपने कमरे में अकेला था और अभि. सा. 26 के समक्ष करेंसी नोट पकड़े हुए था । अन्य अधिकारी घर में घुसा था अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा सही रूप से यह मत व्यक्त किया गया कि यह संभावना कि अपीलार्थी दाहिने हाथ की सहायता से पैसा गिन रहा था इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । वर्तमान मामले में 700/- रुपए के करेंसी नोट अपीलार्थी से बरामद किए गए थे जिसकी संख्याओं का पूर्व जाल पंचनामा में उन संख्याओं का उल्लेख किया गया था जो समान पाए गए थे । अपीलार्थी ने अपने से बरामद किए गए पैसे का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है । यह साबित है कि दूषित पैसा अपीलार्थी से बरामद किया गया था अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसके विरुद्ध यह उपधारणा की जा सकती है कि उसने अवैध परितोषण की मांग की और उसे स्वीकार किया था । ऐसी स्थिति में यह न्यायालय विधिक बाध्यता के अधीन है कि विधिक उपधारणा का निष्कर्ष निकालें ऐसा परितोषण लोक कर्तव्य करने के लिए इनाम के रूप में स्वीकार किया गया था । (पैरा 13, 15, 17 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 1 सीजीएलजे 158 : **रमेश प्रसाद अहिरवार** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)** ;	4
[2013]	(2013) 1 सीजीएलजे 332 : **लीला बाई** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)** ;	4
[2013]	(2013) 1 सीजीएलजे 411 : **हरप्रसाद मारवी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)** ;	4
[2012]	(2012) 1 सीजीएलआरडब्ल्यू 166 : **मोतीलाल बनावाला** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)** ;	4
[2012]	(2012) 1 एमपीएचटी 87 (डीबी) : **चरन लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	4
[2012]	(2012) 2 सीजीएलआरडब्ल्यू 360 : **वीरचन्द** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ;	4
[2011]	(2011) 2 एमपीएचटी 137 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 1836 (डीबी) : **जिया लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	4
[2011]	(2011) 2 एमपीएचटी 385 (डीबी) : **श्रवण एस. बाबूलाल मालविया** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	4
[2011]	(2011) 2 सीजीएलआर 23 : **अशोक कुमार चन्द्राकर** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ;	4
[2011]	(2011) 2 सीजीएलजे 374 : **आशा वर्मा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)** ;	4
[2011]	2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 297 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 975 : **सी. एम. शर्मा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य टी. एच. आई. पी.** ;	16

[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. 398 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 793 : **राज्य प्रतिनिधित्व** मार्फत **सी. बी. आई. हैदराबाद** बनाम **जी प्रेम राज** ;	20
[2010]	(2010) 4 एस. सी. सी. 450 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 2419 : **बनारसी दास** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	4
[2009]	(2009) 6 एस. सी. सी. 462 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 3433 : **शुब्बु सिंह** बनाम **राज्य** मार्फत **लोक अभियोजक** ;	21
[2009]	(2009) 3 एस. सी. सी. 779 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2022 : **सी. एम. गिरीश बाबू** बनाम **सी. बी. आई. कोचीन, केरल उच्च न्यायालय** ;	4
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 35 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4648 : **के. आर. पुरुशोथमन** बनाम **केरल राज्य** ;	4
[2006]	(2006) 1 एस. सी. सी. 407 = 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 794 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **रशीद बी. मुलानी** ;	4
[2005]	(2005) 1 एस. सी. सी. 401 : **टी. सुब्रामनियम** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	4
[2004]	(2004) 3 एस. सी. सी. 753 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 884 : **टी. शंकर प्रसाद** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	19
[2001]	(2001) 1 एस. सी. सी. 691 = 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 515 : **एम. नरसिंगाराव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	18
[1969]	ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 17 = 1969 क्रिमिनल ला जर्नल 262 : **दलपत सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** ।	14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1997 की दांडिक अपील सं. 42.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सीवेन्दु पंडया, काउंसेल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनन्त बाजपेई, पैनल वकील

न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा – यह अपील विशेष दांडिक मामला सं. 7/94 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसे इसमें "अधिनियम, 1988" कहा गया है) प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश, विलासपुर द्वारा तारीख 1 जनवरी, 1997 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी बंशीलाल को अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(घ)/13(2) के अधीन दोषसिद्ध किया गया और 2 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 2 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया तथा 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने की रकम के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 2 मास का कठोर कारावास भोगने का दंड क्रमशः साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था ।

2. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

"अपीलार्थी/अभियुक्त बंशीलाल पटवारी हलका सं. 16 भागरा राजस्व, सर्किल कुंडा में पटवारी के पद पर तैनात था । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने पुलिस उप-अधीक्षक, लोकायुक्त, विलासपुर को लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/1) की थी कि उसने निरंजन सिंह ठाकुर से 5 डिसमिल भूमि क्रय की थी और उसके पिता गोरेलाल शर्मा ने वेद प्रसाद से 52 डिसमिल भूमि क्रय की थी तथा स्टाम्प कागजातों (विक्रय विलेखों) सहित दस्तावेज शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि .सा. 1) और पिता गोरेलाल शर्मा के नाम दाखिल खारिज के लिए अपीलार्थी को दिए गए थे । तारीख 22 जनवरी, 1992 को अपीलार्थी ने भूमि के दाखिल खारिज के लिए 1,200/- रुपए की मांग की थी । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने अपीलार्थी को 500/- रुपए दिए और उसने अपीलार्थी से कहा कि दाखिल खारिज कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् शेष रकम उसे देगा । तारीख 18 फरवरी, 1992 को शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) अपीलार्थी के पास गया । अपीलार्थी ने

पुनः बाकी रकम 700/- रुपए की मांग की थी चूंकि शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) अपीलार्थी द्वारा बाकी मांगी गई रकम देना नहीं चाहता था । उसने लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/1) की । शिकायत (प्रदर्श पी/1) आवश्यक कार्यवाही हेतु निरीक्षक हेमन्त खरे को भेजी गई थी । सहायक सांख्यिकी अधिकारी सुरेश चन्द्र सिंह (अभि. सा. 2) सहायक वेटनरी सर्जन डा. आर. के. मित्रा (अभि. सा. 3) पंच साक्षियों के रूप में बुलाए गए थे ।

शिकायत (प्रदर्श पी/1) पंच साक्षियों को उनके परिशीलन के लिए दी गई थी । उन्होंने शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) से शिकायत (प्रदर्श पी/1) के बारे में पूछताछ की । प्रदर्श पी/2 के माध्यम से पूर्व जाल बिछाने के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी जिसमें 1 गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया था । घोल में सादा कागज डुबाया गया, घोल का रंग बदला नहीं । इसके पश्चात्, कागज का 1 अन्य टुकड़ा जिसमें फिनाइल पैथोलीन का चूर्ण रखा गया और उसे घोल में डुबाया गया था । घोल का रंग गुलाबी रंग में बदल गया । प्रदर्शन करने के पश्चात् शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) से 700/- रुपए के करेंसी नोट पेश करने के लिए कहा गया । उसने प्रदर्शन के लिए 700/- रुपए के करेंसी नोट पेश किए जो अलग-अलग 100-100 रुपए के थे । पूर्व जाल पंचनामा (प्रदर्श पी/2) तैयार किया गया था । करेंसी नोटों की संख्या उसमें अभिलिखित की गई थी और इसके पश्चात् फिनाइल पैथोलीन चूर्ण करेंसी नोटों पर लगाया गया था और उन करेंसी नोटों को शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) द्वारा पहने गए कुर्ते की जेब में रखा गया था । उसे इस बारे में बताया गया और उसका मार्ग निर्देशन किया गया कि कैसे जाल बिछाने की व्यवस्था की जाएगी और उसकी भूमिका जो उसे जाल बिछाने की कार्यवाहियों में अपेक्षित थी उस भूमिका के बारे में उसे बताया गया । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) को यह भी अनुदेश दिया गया कि वह अपीलार्थी द्वारा केवल मांगे जाने पर करेंसी नोट उसे देगा ।

पूर्व जाल पंचनामा (प्रदर्श पी/2) तैयार करने के पश्चात् पूर्व जाल बिछाने की कार्यवाही की व्यवस्था की गई । जाल बिछाने वाला दल अपीलार्थी के मकान की ओर अग्रसर हुआ जो ग्राम भागरा पर स्थित है । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) अपीलार्थी के

मकान के अंदर गया और जाल बिछाने वाले दल के अन्य सदस्य अपीलार्थी के मकान के चारों ओर खड़े थे । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने दूषित करेंसी नोट अपीलार्थी को दिए । करेंसी नोट देने के पश्चात् शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) को पहले ही दिशानिर्देश दिए गए थे कि वह जाल बिछाने वाले दल को संकेत भेजेगा । संकेत प्राप्त करने के पश्चात् जाल बिछाने वाले दल के सदस्य तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने अपीलार्थी को हाथों से पकड़ लिया और जाल बिछाने वाले दल ने अपीलार्थी से करेंसी नोट अभिगृहीत कर लिए ।

सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया था जिसमें अपीलार्थी के दोनों हाथों की अंगुलियों को डुबाया गया था, घोल का रंग गुलाबी हो गया । घोल को पृथक् बोतल में रखा गया था और मोहरबंद किया गया था । अपीलार्थी के कहने पर करेंसी नोट बरामद किए गए थे । करेंसी नोटों की संख्या पूर्व जाल पंचनामा (प्रदर्श पी/2) में उल्लिखित संख्याओं से तुलना की गई थी जो वही पाए गए थे । एक अन्य सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया था तथा बरामद किए गए करेंसी नोटों को उसमें डुबाया गया था । घोल का रंग गुलाबी हो गया था । उक्त घोल को एक अन्य बोतल में रखा गया और मोहरबंद किया गया । जाल पंचनामा प्रदर्श पी/7 के माध्यम से तैयार किया गया था । बिना संख्या नालिसी प्रदर्श पी/17 अभिलिखित किया गया था और इसके पश्चात् नियमित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/18 विशेष पुलिस स्थापन्न भोपाल में अभिलिखित की गई थी । अभिगृहीत वस्तुओं को रासायनिक परीक्षा प्रदर्श पी/21 के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । रिपोर्ट (प्रदर्श पी/22) वहां से प्राप्त की गई थी । प्रदर्श पी/22 फिनाइल पैथोलिन की परीक्षा सकारात्मक पाई गई थी ।

अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा अनुमति प्रदर्श पी/13 के माध्यम से प्राप्त की गई थी और अधिनियम, 1988 के अधीन प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, बिलासपुर में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था ।

विचारण न्यायालय ने अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध

आरोप विरचित किए । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया । जैसाकि ऊपर उल्लिखित है ।"

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1), सुरेश चन्द सिंह (अभि. सा. 2), डा. आर. के. मित्रा (अभि. सा. 3), सी. पी. मिश्रा (अभि. सा. 4), राम बहादुर सिंह (अभि. सा. 5), चन्द्र भान सिंह (अभि. सा. 6), परमेश्वर सिंह (अभि. सा. 7) और अन्वेषक अधिकारी हेमन्त खरे (अभि. सा. 8) की परीक्षा की । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई ।

4. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सीवेन्दु पांडया ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य द्वारा अवैध परितोषण की मांग को साबित करने में विफल हुआ है । पंच साक्षियों ने शिकायतकर्ता से अपीलार्थी को स्वयं पैसा मांगने की बात को नहीं सुना था । अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि उसे इस बात का समाधान करना चाहिए था और यह सिद्ध करना चाहिए कि अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(घ) के संघटकों को अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के पूर्व साबित करना चाहिए था परंतु अभियोजन पक्ष अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(घ) के संघटकों को साबित करने में सफल नहीं हुआ है । उन्होंने यह भी दलील दी कि यद्यपि यदि अधिनियम, 1988 की धारा 20 के अनुसार यदि कोई उपधारणा कर ली जाती है तब अभियुक्त को अपने पक्षकथन को साबित करना चाहिए कि उसने कोई अवैध परितोषण स्वीकार नहीं किया था । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में पूर्ण विभेद हैं । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । उसके परिसाक्ष्य के आधार पर उसकी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । इसलिए, आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में कायम रखने योग्य नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **बनारसी दास** बनाम **हरियाणा राज्य**[1], **सी. एम. गिरीश बाबू** बनाम **सी. बी. आई. कोचीन, केरल उच्च न्यायालय**[2], **के. आर. पुरुशोथमन** बनाम

---

[1] (2010) 4 एस. सी. सी. 450 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 2419.

[2] (2009) 3 एस. सी. सी. 779 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2022.

केरल राज्य[1], **टी. सुब्रामनियम** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2], **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **रशीद बी. मुलानी**[3], **चरन लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[4], **जिया लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[5], **श्रवण एस. बाबूलाल मालविया** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[6], **रमेश प्रसाद अहिरवार** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)**[7], **लीला बाई** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)**[8], **हरप्रसाद मारवी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)**[9], **मोतीलाल बनावाला** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)**[10], **वीरचन्द** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[11], **अशोक कुमार चन्द्राकर** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[12] और **आशा वर्मा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य (अब सीजी)**[13] वाले मामलों का अवलंब लिया ।

5. दूसरी ओर श्री अनन्त बाजपेई राज्य प्रत्यर्थी के विद्वान् पैनल वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और उपरोक्त दलीलों का खंडन किया है और यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य दिया है । रिश्वत की रकम अपीलार्थी से बरामद की गई थी । जब अपीलार्थी की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाया गया था तब घोल का रंग गुलाबी हो गया था । इसलिए, अपीलार्थी के विरुद्ध यह उपधारणा की जाती है और अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. मैंने विस्तार से पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और विशेष दांडिक मामला सं. 7/94 अत्यन्त एहतियात के साथ अभिलेख का भी

---

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 35 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4648.
[2] (2005) 1 एस. सी. सी. 401.
[3] (2006) 1 एस. सी. सी. 407 = 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 794.
[4] (2012) 1 एमपीएचटी 87 (डीबी).
[5] (2011) 2 एमपीएचटी 137 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 1836 (डीबी).
[6] (2011) 2 एमपीएचटी 385 (डीबी).
[7] (2013) 1 सीजीएलजे 158.
[8] (2013) 1 सीजीएलजे 332.
[9] (2013) 1 सीजीएलजे 411.
[10] (2012) 1 सीजीएलआरडब्ल्यू 166.
[11] (2012) 2 सीजीएलआरडब्ल्यू 360.
[12] (2011) 2 सीजीएलआर 23.
[13] (2011) 2 सीजीएलजे 374.

परिशीलन किया ।

7. शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पिता ने विक्रय विलेख रजिस्टर करवा कर वेद प्रसाद से 52 डिसिमल भूमि क्रय की थी और उसने निरंजन ठाकुर से 5 डिसिमल भूमि क्रय की थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दाखिल खारिज के लिए अपीलार्थी को उक्त विक्रय विलेख दिए थे । अपीलार्थी ने दाखिल खारिज की कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए 1,200/- रुपए की रकम मांगी थी । उसने 500/- रुपए की रकम उसको दी और यह वचन दिया कि दाखिल खारिज की कार्यवाही पूरा होने के पश्चात् वह उसे बाकी रकम देगा । तारीख 20 फरवरी, 1992 को वह लोकायुक्त कार्यालय, बिलासपुर गया तथा लिखित शिकायत प्रदर्श पी/1 दी । उसने यह भी निवेदन किया है कि उसने 700/- रुपए के करेंसी नोट प्रत्येक 100/- रुपए मूल्य का था, जाल बिछाने वाले दल को प्रस्तुत किए थे । फिनाइल पैथोलिन चूर्ण उन करेंसी नोटों पर लगाया गया था तथा आवश्यक कार्यवाहियां अभिलिखित की गईं थीं ।

8. सुरेश चन्द्र सिंह (अभि. सा. 2), डा. आर. के. मित्रा (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 20 फरवरी, 1992 को उन्हें लोकायुक्त कार्यालय, बिलासपुर द्वारा बुलाया गया था । वे वहां गए और उप-पुलिस अधीक्षक श्री वर्मा से मिले । उप-पुलिस अधीक्षक ने उन्हें निरीक्षक हेमन्त खरे के पास भेजा जिसने उन्हें राम स्नेही शर्मा शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के बारे में बताया । निरीक्षक हेमंत खरे (अभि. सा. 8) ने उन्हें उनके परिशीलन के लिए शिकायत प्रदर्श पी/1 दी । उन्होंने शिकायतकर्ता राम स्नेही (अभि. सा. 1) से शिकायत प्रदर्श पी/1 के बारे में पूछताछ की । शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 ने उनके समक्ष यह कथन किया कि शिकायत प्रदर्श पी/1 की अंतर्वस्तु सही है तब उन्होंने शिकायत प्रदर्श पी/1 पर अपने हस्ताक्षर किए । उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पूर्व जाल प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने 700/- रुपए करेंसी नोट जो अलग-अलग 100-100 रुपए के थे पेश किए । पूर्व जाल पंचनामा (प्रदर्श पी/2) तैयार किया गया था । करेंसी नोटों की संख्याएं उसमें अभिलिखित की गई थीं । फिनाइल पैथोलिन चूर्ण करेंसी नोटों पर लगाया गया था और उन करेंसी नोटों को शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) की जेब में रख दिया गया था ।

9. निरीक्षक हेमन्त खरे (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि

शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत प्रदर्श पी/1 की । उसने पूर्व जाल प्रदर्श की व्यवस्था की । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने 700/- रुपए की संख्या के करेंसी नोट प्रस्तुत किए गए जिनकी संख्याएं पूर्व जाल पंचनामा प्रदर्श पी/2 में अभिलिखित किए गए थे । फिनाइल पैथोलिन चूर्ण करेंसी नोटों पर लगाया गया था और शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) द्वारा पहने गए कुर्ते के दाहिनी जेब में उन्हें रखा गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) को इस बारे में अनुदेश और दिशा निर्देश दिए गए थे कि कैसे जाल की व्यवस्था की जाएगी और उसकी भूमिका जिसे जाल कार्यवाहियों में उसके द्वारा निभाई जानी अपेक्षित है ।

10. निरीक्षक हेमन्त खरे (अभि. सा. 8), शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1), सुरेश चन्द सिंह (अभि. सा. 2), डा. आर. के मित्रा (अभि. सा. 3) और राम बहादुर सिंह (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वे ग्राम बगारा पर लगभग 2.30 बजे अपराह्न अग्रसर हुए थे और अपीलार्थी के मकान के नजदीक लगभग 4.30 बजे अपराह्न पहुंचे । वे अपीलार्थी के मकान के नजदीक रुके और शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी के घर भेजा गया था । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने उन्हें यह सूचित किया कि अपीलार्थी बस स्टैंड के नजदीक मौजूद है । कुछ समय पश्चात् शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने अपीलार्थी से बातचीत की और इसके पश्चात् वे अपीलार्थी के मकान पर वापस आए तथा शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने अपीलार्थी को दूषित पैसा दिया गया । उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने उनको संकेत प्रेषित किया । संकेत प्राप्त करने के पश्चात् जाल दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और अपीलार्थी के दोनों हाथ पकड़ लिए ।

11. निरीक्षक हेमन्त खरे (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया था जिसमें अपीलार्थी के दोनों हांथों की अंगुलियों को डुबाया गया था, घोल का रंग गुलाबी हो गया । उक्त घोल को पृथक् बोतल में रखा गया और उसे मोहरबंद कर दिया गया । करेंसी नोट अपीलार्थी के कहने पर बरामद किए गए थे । करेंसी नोटों की संख्याओं का पूर्व जाल पंचनामा प्रदर्श पी/2 में उल्लिखित संख्याओं से तुलना की गई थी जो समान पाए गए थे । सोडियम कार्बोनेट का एक

और घोल तैयार किया गया था जिसमें बरामद किए गए करेंसी नोटों को उसमें डुबाया गया था । घोल का रंग गुलाबी हो गया था । उक्त घोल को एक दूसरी बोतल में रखा गया और उसे मोहरबंद कर दिया गया । सोडियम कार्बोनेट का एक अन्य घोल तैयार किया गया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा पहनी गई कमीज की जेब को डुबोया गया था । घोल का रंग गुलाबी हो गया था । उक्त घोल को एक अन्य बोतल में रखा गया और उसे मोहरबंद किया गया । अपीलार्थी की कमीज और बरामद किए गए करेंसी नोट अभिगृहीत किए गए थे ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया था ।

13. शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1), सुरेश चन्द सिंह (अभि. सा. 2), डा. आर. के. मित्रा (अभि. सा. 3), सी. पी. मिश्रा (अभि. सा. 4), राम बहादुर सिंह (अभि. सा. 5), चन्द्रभान सिंह (अभि. सा. 6), परमेश्वर सिंह (अभि. सा. 7) और अन्वेषक अधिकारी, हेमन्त खरे (अभि. सा. 8) के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह साबित किया गया है कि 700/- रुपए की रकम अपीलार्थी के कहने पर उसके मकान के छज्जा (आगे बढ़ाया हुआ हिस्सा) से बरामद की गई थी और बरामद किए गए करेंसी नोटों की संख्याओं का पूर्व जाल पंचनामा प्रदर्श पी/2 में उल्लिखित संख्याओं से तुलना करने के पश्चात् वे एक समान पाए गए थे ।

14. **दलपत सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) में प्रकट "अपने कर्तव्य के निर्वहन में" शब्द से अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के अधीन अपराध के आवश्यक संघटक गठित नहीं होते हैं । धारा 5(1)(घ) के अधीन अपराध के संघटक इस प्रकार हैं; (1) कि अभियुक्त लोकसेवक होना चाहिए, (2) उसके द्वारा कुछ भ्रष्टाचार या अवैध संसाधन या अन्यथा लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करना होना चाहिए, (3) कि उसे मूल्यवान वस्तु धनीय फायदे प्राप्त करना होना चाहिए और (4) स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा होना चाहिए । अतः धारा 5(1)(घ) के अधीन अपराध को सिद्ध करने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कार्य जिनके बारे में

---

[1] ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 17 = 1969 क्रिमिनल ला जर्नल 262.

शिकायत की गई है अभियुक्त द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था । इसलिए, यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने अवैध साधनों द्वारा या अन्यथा लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके स्वयं कोई धन या अन्य मूल्यवान वस्तु प्राप्त की गई है तब उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में आपराधिक अवचार का अपराध किया है ।

15. उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में यह अभिनिर्धारित करना गलत है कि अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन अपराध का सार यह है कि लोकसेवक को अपने कर्तव्यों के संबंध में कोई कार्य करता हो और तदुपरि कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय फायदे प्राप्त करता हो । यह अभिनिर्धारित करना भी गलत है कि अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन अपराध का सार यह है कि लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करना चाहिए और तदुपरि कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय फायदे प्राप्त करता हो । यह आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं अवचार करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाना चाहिए । तदुपरि कोई धनीय फायदे प्राप्त करना चाहिए । वर्तमान मामले में अपीलार्थी पटवारी हलका सं. 16 में पटवारी के पद पर तैनात था और शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने उसे दाखिल खारिज के लिए विक्रय विलेख दिए थे । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) दाखिल खारिज की कार्यवाही करवाने के लिए अपीलार्थी से मिला था । इसके पश्चात् भी अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के पिता और शिकायतकर्ता के नाम में दाखिल खारिज की कार्यवाही नहीं की । इसलिए शिकायतकर्ता के कथन कि अपीलार्थी ने अवैध परितोषण के रूप में उससे 1,200/- रुपए की रकम मांगी थी, यह बात विश्वसनीय और स्वीकार योग्य है ।

16. **सी. एम. शर्मा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य टी. एच. आई. पी.**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है जो इस प्रकार है :–

> "12. जब किसी साक्षी का साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है तब उसके साक्ष्य की आगे सम्पुष्टि अपेक्षित है । साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर साक्षियों को तीन प्रवर्गों में यानी अविश्वसनीय भागतः

---

[1] 2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 297 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 975.

विश्वसनीय और पूर्णतया विश्वसनीय के रूप में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है । भागतः विश्वसनीय साक्षी के मामले में न्यायालय को अन्य साक्ष्य के तात्विक विशिष्टियों में सम्पुष्टि की ईप्सा करना चाहिए । तथापि, ऐसे किसी मामले में जिसमें कोई साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय है तब किसी सम्पुष्टि की आवश्यकता नहीं है । किसी साक्षी के साक्ष्य की सभी परिस्थितियों में सम्पुष्टि चाहने के लिए रिश्वत देने के लिए दबाव देने से बेतुका परिणाम निकल सकते हैं । लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रिश्वत नहीं ली जाती है और इसलिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो रिश्वत को लेते और देते हुए देख सके जैसाकि वर्तमान मामले में किसी साक्षी की प्रतिछाया उस संविदा करने वाले के साथ नहीं चलती है परंतु अपीलार्थी से उसे चैंबर में मौजूद होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया । अमूर्त रूप में इस निवेदन की स्वीकारोक्ति व्यक्तिगत रूप से अवैध परितोषण प्राप्त करने के लिए रिश्वत लेने वाले को प्रोत्साहित करेगा और तब अभियोजन के मामले में संपुष्टि के लिए बल देगा । विधि ऐसी स्थिति की गणना नहीं कर सकती है । हमारी यह राय है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी विश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य पर किसी दूसरे साक्षी से सम्पुष्टि की जानी आवश्यक हो । न केवल किसी साक्षी के साक्ष्य की ऐसी सम्पुष्टि अभिलेख पर अन्य सामग्रियों से पाई जा सकती है । यहां पर वर्तमान मामले में कोई ऐसा कारण प्रतीत नहीं होता है कि संविदा करने वाले के साक्ष्य को अस्वीकार कर लिया जाए .....।

15. हमें श्री राय की व्यापक दलील को स्वीकार करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि अवैध परितोषण की मांग अधिनियम के अधीन अपराध को गठित करने के लिए अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त करेंसी नोटों की मात्र बरामदगी अधिनियम के अधीन अपराध का गठन नहीं करती है जब तक कि सभी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं हो जाता है कि अभियुक्त ने पैसा रिश्वत के रूप में जानते हुए स्वैच्छिक रूप में स्वीकार किया । वर्तमान मामले के तथ्यों में हमारी यह राय है कि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संघटक अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ)(ii) रिष्टि के अंतर्गत है और इस बात का समाधान होता है । अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि अपीलार्थी ने संविदा करने वाले

से पैसे की मांग की थी क्योंकि उसने उसके बिलों को पास किया था । यह भी साक्ष्य है कि जब संविदा करने वाला प्रतिछाया साक्षी के साथ गया था तब अपीलार्थी द्वारा उस तारीख को रिश्वत के देने की बात कही गई थी । अपीलार्थी ने प्रतिछाया साक्षी से चैंबर छोड़ने के लिए कहा था और इसके पश्चात् अवैध परितोषण के संदाय की मांग की गई थी और उसका संदाय किया गया । अपीलार्थियों की अंगुलियों का दाहिने पैजामे की जेब का सकारात्मक सोडियम कार्बोनेट टेस्ट से यह दर्शित होता है कि उसने स्वैच्छयापूर्वक रिश्वत स्वीकार की थी । इस प्रकार, अवैध परितोषण की मांग का साक्ष्य है तथा जिसे स्वैच्छिक रूप से स्वीकार किया गया ।"

17. वर्तमान मामले में, यह सुस्पष्ट है कि शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) अपीलार्थी के मकान पर गया था । शिकायतकर्ता राम स्नेही शर्मा (अभि. सा. 1) ने अपीलार्थी को पैसे दिए थे । अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से दूषित पैसा प्राप्त किया था । शिकायतकर्ता ने इंतजार में खड़ी जाल टीम को संकेत भेजा था और जाल दल संकेत को प्राप्त करने पर तत्काल घटनास्थल की ओर गया और अपीलार्थी के हाथों को पकड़ लिया । अपीलार्थी की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल से धोने के पश्चात् फिनाइल पैथोलिन की परीक्षा सकारात्मक पाई गई थी । अपीलार्थी के कहने पर करेंसी नोट भी बरामद किए गए थे और उनकी संख्याओं का पूर्व जाल पंचनामा प्रदर्श पी/2 में उल्लिखित संख्याओं के साथ तुलना की गई थी जो एक समान पाई गईं थीं ।

18. **एम. नरसिंगाराव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :–

"22. रघुवीर सिंह **बनाम** हरियाणा राज्य, (1974) 4 एस. सी. सी. 560 = 1974 क्रिमिनल ला जर्नल 1062 वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने यह मत व्यक्त किया है कि यह तथ्य है कि सहायक स्टेशन मास्टर के कब्जे में चिह्नित करेंसी नोट पाए गए थे जिसके विरुद्ध यह अभिकथन किया गया कि उसने मांगने पर उक्त रकम प्राप्त की थी जो 'स्वयं प्रमाण' है । इस संदर्भ में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ का विनिश्चय (न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारी और न्यायमूर्ति

[1] (2001) 1 एस. सी. सी. 691 = 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 515.

ओ. चिन्नप्पा रेड्डी) तथा हजारी लाल **बनाम** राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1980) 2 एस. सी. सी. 390 = 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 564 का उल्लेख किया जाना लाभदायक हो सकता है । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) के अधीन पुलिस कांस्टेबल को दोषसिद्ध किया गया था जिस पर यह अभिकथन किया गया कि उसने श्रीराम नामक व्यक्ति से 60/- रुपए की मांग की थी और उसे प्राप्त किया था, श्रीराम की उस मामले में अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई थी । विचारण न्यायालय में अभि. सा. 3 ने अपने पूर्ववर्ती कथन से पीछे हट गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । अभि. सा. 8 सहित शासकीय साक्षियों ने अभियोजन वृत्तांत के बारे में बताया । न्यायालय ने यह पाया कि फिनाइल पैथोलिन करेंसी नोटों पर लगाया गया था जिन्हें पुलिस कांस्टेबल की जेब से बरामद किया गया था । उक्त मामले में यह दलील दी गई थी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में यह दर्शित होता है कि पुलिस कांस्टेबल ने रिश्वत की मांग की थी और उसे स्वीकार किया था, अधिनियम, 1947 की धारा 4 के अधीन कोई उपधारणा नहीं की जाती है, जिन्हें उक्त पुलिस कांस्टेबल से चिह्नित करेंसी नोट की बरामदगी के बल पर अनुमान निकाला जा सकता हो ।उक्त दलील पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी (जिन्होंने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया ; (एस. सी. सी. पृष्ठ 396 पैरा 10) –

> यह आवश्यक नहीं है कि पैसे को दिए जाने के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए । इस बात को पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है । यह दशाएं जो वर्तमान मामले में एक के बाद एक प्रकट हुई हैं उनसे केवल यह अनुमान निकलता है कि अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 3 से पैसा प्राप्त किया गया । साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन न्यायालय किसी तथ्य की विद्यमानता की उपधारणा कर सकता है जिसके बारे में संभवतः यह सोचा गया है कि ऐसा तथ्य घटित हुआ था जो प्राकृतिक दशाओं के सामान्य अनुक्रम, मानव आचरण और लोक और निजी कारोबार के बारे में है । यह विशिष्ट मामलों के तथ्यों के संबंध में है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 144 के दृष्टांतों में से एक यह है कि

न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में चोरी के तत्काल पश्चात् चुराई हुई वस्तु है या तो वह वस्तु चुराई गई है या यह जानते हुए कि वस्तु चुराई गई है प्राप्त की गई है जब तक कि उसके कब्जे में उसके होने का कोई कारण न हो । इस तरह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि अभियुक्त जिसने अपनी जेब से करेंसी नोट निकाले और दीवार के उस पार फेंक दिए जिन्हें अभि. सा. 3 से उन्हें प्राप्त किया गया जिसने कुछ समय पूर्व जो नोट उसके कब्जे में देखे थे । यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियुक्त ने अभि. सा. 3 से पैसे प्राप्त किए थे तब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन उपधारणा तुरंत लागू हो जाती है । उपधारणा जो खंडनीय है परंतु वर्तमान मामले में उपधारणा को खंडित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है इसलिए, निचले न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को सिद्धदोष करके ठीक ही किया गया था ।

25. अतः, हम विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि अपीलार्थी ने अभि. सा. 1 से परितोषण प्राप्त किया था । ऐसी स्थिति में न्यायालय विधिक उपधारणा निकालने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है कि ऐसा परितोषण लोक कर्तव्य का कार्य करते हुए पुरस्कार या ईनाम के रूप में स्वीकार किया गया था । निःसंदेह, अपीलार्थी ने दो रीतियों के माध्यम से उक्त उपधारणा को खंडित करने का गंभीर प्रयास किया था । उनमें से एक अभि. सा. 1 को करना है और अभि. सा. 2 ने अपीलार्थी के वृत्तांत के बारे में बोला है तथा दूसरा प्रतिरक्षा की ओर से दो साक्षियों की परीक्षा कराई गई । यह बात सही है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपीलार्थी को विवश किया था । दो प्रतिरक्षा साक्षी ने इस आशय का साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी उस तारीख को स्टेशन पर मौजूद नहीं था जब अभि. सा. 1 द्वारा अभिकथित मांग की गई थी । परंतु विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया है और ऐसे निष्कर्ष का ठोस तर्क द्वारा समर्थन किया गया है । दो न्यायालयों द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्ष पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।"

19. **टी. शंकर प्रसाद** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

"8. परस्पर विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करते हुए यह उचित होगा कि अधिनियम की धारा 20(1) को उत्कथित किया जाए जो पूर्व अधिनियम, 1947 की धारा 4(1) के रूप में उसका सार है जिसका परिशीलन करने पर निम्न प्रकार है –

4(1). उपधारणा जहां लोकसेवक विधिक पारिश्रमिक की अपेक्षा परितोषण स्वीकार करता है – (1) जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण किया गया है या इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) खंड क या खंड ख में उल्लिखित अपराध है जो उपधारा (2) के अधीन दंडनीय है जिसपर यह साबित किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने कोई परितोषण (विधिक पारिश्रमिक से भिन्न) या किसी व्यक्ति से कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या उसे स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या किसी अन्य व्यक्ति से उसे स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक कि इसके विपरीत यह साबित न हो जाए कि उसने ऐसे परितोषण या मूल्यवान वस्तु को स्वीकार किया है या प्राप्त किया है या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, यथास्थिति जो हेतु के साथ या किसी नाम के साथ जो उक्त धारा 161 में उल्लिखित है या यथास्थिति प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है ;

9. आगे कार्यवाही करने के पूर्व हम इस ओर इंगित कर सकते हैं कि 'उपधारणा की जा सकती है' और 'उपधारणा की जाएगी' भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 में परिभाषित किया गया है । पूर्ववर्ती प्रवर्ग के अधीन उपधारणाएं आती हैं और जिसे सारभूत रूप में 'तथ्यात्मक उपधारणाओं' या 'विवेकशील उपधारणाओं' के रूप में जाना जाता है और उन्हें 'वैध उपधारणाओं' या 'अनिवार्य उपधारणाओं' के अंतर्गत

---

[1] (2004) 3 एस. सी. सी. 753 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 884.

आती हैं । 'उपधारणा की जाएगी' शब्द की अभिव्यक्ति अधिनियम, 1947 की धारा 4(1) में नियोजित है और अधिनियम की धारा 20 बाध्यता से आयात की गई होगी ।

10. जब उपधारा विधिक उपधारणा पर विचार करती है तो इसे समादेश की भाषा के रूप में समझा जाना चाहिए कि इससे यह उपधारणा की जानी चाहिए कि अभियुक्त ने शासकीय कार्य आदि करने के लिए इनाम या कार्य से दूर रहने इनाम के रूप में परितोषण स्वीकार किया है । यदि धारा के औपचारिक भाग में परिकल्पित दशा का समाधान हो जाता है । अधिनियम, 1947 की धारा 4 के अधीन ऐसी विधिक उपधारणा कराने के लिए दशा विचारण के दौरान है, इसे साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने कोई परितोषण स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ हो । धारा यह नहीं कहती है कि उक्त दशा का प्रत्यक्ष साक्ष्य से समाधान होना चाहिए । केवल यह आवश्यकता है कि यह साबित होना चाहिए कि अभियुक्त ने परितोषण प्राप्त करना स्वीकार किया हो या सहमत हुआ हो । प्रत्यक्ष साक्ष्य एक ऐसी रीति है जिसके माध्यम से इस तथ्य को साबित किया जा सकता है । परंतु यह केवल साक्ष्य अधिनियम में परिकल्पित रीति नहीं है । [देखिए एम. नरसिंगाराव **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य, (2001) 1 एस. सी. सी. 691]"

20. **राज्य प्रतिनिधित्व** मार्फत **सी. बी. आई. हैदराबाद** बनाम **जी प्रेम राज**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :–

"20. इस प्रक्रम पर, हम इस बारे में यह भी अभिव्यक्त करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा उपधारणा की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है । अधिनियम की धारा 20 में यह उपबंध किया गया है – जहां लोक-सेवक वैध पारिश्रामिक से निम्न परितोषण प्रतिगृहीत करता है, वहां उपधारणा – (1) जहां धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन दंड अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 398 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 793.

या अभिप्राप्त की है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है ; वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थित उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है या यथास्थित प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका पर्याप्त होना वह जानता है ; प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है ।

(2) (सुसंगत नहीं है)

(3) उप-धारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय उक्त उप-धाराओं में से किसी में विनिर्दिष्ट उपधारणा करने से इनकार कर सकेगा यदि पूर्वोक्त परितोषण या चीज उसकी राय में इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता ।

यह दलील दी गई थी कि उपधारणा मामले में नहीं की जा सकती है क्योंकि इस मामले में आरोप अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ख) के अधीन था ।

21. प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि धारा 13(1)(ख) अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा पर लागू नहीं होता है । प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा जिसकी उपेक्षा की गई है कि धारा 13(1)(ख) के अधीन न केवल आरोप लगाया गया था बल्कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन भी ऐसा था । अधिनियम की धारा 7 निम्न प्रकार है –

> '7. लोकसेवक द्वारा शासकीय कार्य के बारे में वैध पारिश्रमिक के अलावा परितोषण प्राप्त करना – जो कोई भी लोकसेवक रहते हुए स्वयं अपने लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए कोई परितोषण स्वीकार करता है या अभिप्राप्त करता है या स्वीकार करने से सहमत होता है चाहे वह वैध पारिश्रमिक से भिन्न हो और ऐसा करने के लिए ऐसे किसी शासकीय कार्य को करने या उससे दूर रहने के लिए उसका कोई हेतु या इनाम पाता हो या अपने शासकीय कृत्यों में ऐसा करने से अपने को दूर रखना दर्शित करता है । किसी व्यक्ति के पक्ष या बिना पक्ष के

या किसी व्यक्ति को सेवा देने का प्रयास करता है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल या किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कंपनी जिसका धारा (2) के खंड (ग) में उल्लेख किया गया है लोक-सेवक होते हुए कारावास से दंडनीय होगा जो 6 माह से कम नहीं होगा परंतु जो 5 वर्ष भी हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित होगा ।"

21. **शुब्बु सिंह** बनाम **राज्य** मार्फत **लोक अभियोजक**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि पैसा रिश्वत के रूप में मांगा गया था और उसे अभि. सा. 2 से प्राप्त किया गया था । धारा 20 पी. सी. अधिनियम प्रवर्तन में आएगा जब कभी ऐसी कोई उपधारणा जैसाकि धारा 20 के अधीन अनुज्ञात है इस पर अपीलार्थी के लिए यह है कि वह यह सिद्ध करे कि पैसा रिश्वत के रूप में नहीं लिया गया था । यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी कुछ समय के लिए अपने कमरे में अकेला था और अभि. सा. 26 के समक्ष करेंसी नोट पकड़े हुए था । अन्य अधिकारी घर में घुसा था अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा सही रूप से यह मत व्यक्त किया गया कि यह संभावना कि अपीलार्थी दाहिने हाथ की सहायता से पैसा गिन रहा था इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

22. वर्तमान मामले में 700/- रुपए के करेंसी नोट अपीलार्थी से बरामद किए गए थे जिसकी संख्याओं का पूर्व जाल पंचनामा प्रदर्श पी/2 में उन संख्याओं का उल्लेख किया गया था जो समान पाए गए थे । अपीलार्थी ने अपने से बरामद किए गए पैसे का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है । यह साबित है कि दूषित पैसा अपीलार्थी से बरामद किया गया था अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसके विरुद्ध यह उपधारणा की जा सकती है कि उसने अवैध परितोषण की मांग की और उसे स्वीकार किया था । ऐसी स्थिति में यह न्यायालय विधिक बाध्यता के अधीन है कि विधिक उपधारणा का निष्कर्ष निकालें ऐसा परितोषण लोक कर्तव्य करने के लिए इनाम के रूप में स्वीकार किया गया था ।

23. पूर्वगामी कारणों से मेरी विचारित राय यह है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है । मैं आक्षेपित निर्णय में कोई

---

[1] (2009) 6 एस. सी. सी. 462 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 3433.

अवैधानिकता या अनियमितता नहीं पाता हूं ।

24. परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय की अभिपुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2014) 2 दा. नि. प. 253 **जम्मू-कश्मीर**

जम्मू और कश्मीर राज्य

बनाम

मोहम्मद अकरम सुलेमानी

तारीख 4 सितम्बर, 2013

न्यायमूर्ति वीरेन्दर सिंह और न्यायमूर्ति बंशीलाल भट्ट

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 8 और 20 – विनिषिद्ध माल का कब्जा – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विनिषिद्ध माल के अभिग्रहण मेमो, विनिषिद्ध माल के मुहरबंद किए जाने और नमूने को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने में हेरफेर किए जाने के कारण यह साबित होता है कि विनिषिद्ध माल की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से नहीं की गई थी वहां अभियुक्त को उक्त अपराध से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

अभियोजन के पक्षकथनानुसार प्रत्यर्थी को तारीख 10 जनवरी, 2006 को रात्रि 2:40 बजे जम्मू रेलवे स्टेशन पर अपने कंधों पर बिस्तरबंद ढो कर लाते हुए पाया गया था । जब बिस्तरबंद का एक्सरे किया गया, तो वह प्लेटफार्म की ओर भागने लगा । उसका पीछा किया गया और पकड़ लिया गया । बिस्तरबंद के एक्सरे से प्रकट हुआ कि एक पॉलीथीन बैग में चरस भरी हुई मक्के के छिलकों की पत्तियां भरी हुई थीं । हेड कांस्टेबल रतन लाल जो जम्मू रेलवे स्टेशन के वी. आई. पी. द्वार पर नियुक्त था, ने सूची तैयार की और उसको जम्मू स्थित रेलवे संरक्षण पुलिस थाना भेज दिया जिसके परिणामस्वरूप 2006 की इत्तिला रिपोर्ट संख्या 2 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया । अन्वेषण आरंभ हुई । सम्बद्ध थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का

दौरा किया, स्थल मानचित्र तैयार किया और मक्के के छिलके की पत्तियां अभिगृहीत कीं जिनमें 4 किलो 500 ग्राम के भार वाला मादक पदार्थ समाविष्ट था । साथ में चादर, कंबल और एक रजाई भी अभिगृहीत की गई । पत्ती का नमूना लिया गया । बंडल तैयार किए गए, उनको मुहरबंद किया गया और तत्पश्चात् उस नमूने को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने के पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः मुहरबंद किया गया । नमूनों की अंतर्वस्तुओं को चरस के रूप में प्रमाणित करने वाली अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किए जाने के साथ समाप्त हुआ । विचारण प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति के साथ समाप्त हुआ, जैसा कि पहले अभिकथित किया गया है । राज्य सरकार ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए ।

अभिनिर्धारित – विद्वान् विचारण न्यायालय ने बरामद पदार्थ जो अभिकथित रूप से चरस था, की तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित तात्विक विवरणों के आधार पर असंगतताएं खोजने के अतिरिक्त प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति मुख्यतः इस तथ्य से प्रभावित होकर अभिलिखित की कि नमूना मात्र एक मक्के के छिलके की पत्ती से निकाला गया था जिसके आधार पर यह निष्कर्ष न्यायानुमत हो गया कि प्रश्नगत नमूने को सभी 151 मक्के के छिलके की पत्ती में पाए गए पदार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जा सकता । 35 ग्राम के भार वाली एक मक्के के छिलके की पत्ती का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्वस्तु को यदि चरस पाया भी जाता है, तो भी इससे अभियोजन का यह अभिकथन आधारभूत नहीं होता कि प्रत्यर्थी को अभिकथित विनिषिद्ध वाणिज्यिक प्रमात्रा के कब्जे में पाया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा न्यायतः मताभिव्यक्ति की है कि उक्त प्रमात्रा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार लघु प्रमात्रा के विनिर्देश के अंतर्गत आती है, जिसका कब्जा पाए जाने पर अधिकतम छः माह का दंड भोगना पड़ता है जबकि प्रत्यर्थी ने पांच वर्ष से अधिक का कारावास भोग लिया है । इसके अतिरिक्त विद्वान् विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन के वृत्तांत के आधार पर दो पक्षकथन सामने आते हैं । अभि. सा. रतन सिंह ने अपनी सूची के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है । अतः मामले के रजिस्ट्रीकरण का एकमात्र आधार रहस्य से घिरा हुआ है । विद्वान्

विचारण न्यायाधीश ने भी घटनास्थल पर उस पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष के पहुंचने के पूर्व अभि. सा. रतन सिंह द्वारा विनिषिद्ध की बरामदगी और तौल के बारे में असंगतता का उल्लेख किया है । यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण होगा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभि. सा. रतन सिंह द्वारा बरामदगी पहले ही कर ली गई थी और घटनास्थल पर उप पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष के पहुंचने के पहले ही विनिषिद्ध की तौल कर ली गई थी जो कि एक ऐसा तथ्य है जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है । तीन स्वतंत्र साक्षियों में से दो ने अभियोजन का समर्थन करने से मना कर दिया है जबकि अभि. सा. अशोक कुमार ने उप पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष से प्रकट होने वाले पक्षकथनों में से एक पक्षकथन का समर्थन किया है जो अभि. सा. रतन सिंह के पक्षकथन के समानांतर कथन है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने परस्पर विनिषिद्ध के माल अभिग्रहण मेमों के तैयार किए जाने, विनिषिद्ध के मुहरबंद किए जाने और नमूने के न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में तात्विक परस्पर विरोधों का उल्लेख किया है । ऐसे विरोध जो विशिष्टतया अभिग्रहण मेमों से संबंधित हैं, तात्विक हैं और खोज और अभिग्रहण की कार्यवाही के आधार हैं । नमूने को पुनः मुहरबंद किए जाने में चार दिनों का विलंब और उसको अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में जमा किए जाने में दो दिनों का पुनः विलंब, जिसके साथ उस अवधि के दौरान प्रतिनिधिक नमूने की अभिरक्षा के संबंध में रक्षोपाय का अवलोकन किए जाने का कोई सबूत संलग्न नहीं है, पर विचारण न्यायालय द्वारा संदेह के साथ विचार किया गया जिसने यह मत व्यक्त किया कि नमूने में हेरफेर किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता । (पैरा 4)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 78.

विद्वान् तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) जम्मू द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री गगन बसोबा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री हरी हरतार सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट ने दिया ।

न्या. भट्ट – प्रत्यर्थी का विचारण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम के अधीन विरचित आरोपों के बाबत

किया गया । विचारण जम्मू के विद्वान् तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) द्वारा संचालित किया गया जिसकी समाप्ति प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के साबित कर पाने में अभियोजन के विफल रहने के कारण उसकी दोषमुक्ति के साथ हुई । राज्य ने दोषमुक्ति के निर्णय को इस अपील में चुनौती दी है ।

2. अभियोजन के पक्षकथनानुसार प्रत्यर्थी को तारीख 10 जनवरी, 2006 को रात्रि 2:40 बजे जम्मू रेलवे स्टेशन पर अपने कंधों पर बिस्तरबंद ढो कर लाते हुए पाया गया था । जब बिस्तरबंद का एक्सरे किया गया, तो वह प्लेटफार्म की ओर भागने लगा । उसका पीछा किया गया और पकड़ लिया गया । बिस्तरबंद के एक्सरे से प्रकट हुआ कि एक पॉलीथीन बैग में चरस भरी हुई मक्के के छिलकों की पत्तियां भरी हुई थीं । हेड कांस्टेबल रतन लाल जो जम्मू रेलवे स्टेशन के वी. आई. पी. द्वार पर नियुक्त था, ने सूची तैयार की और उसको जम्मू स्थित रेलवे संरक्षण पुलिस थाना भेज दिया जिसके परिणामस्वरूप 2006 की इत्तिला रिपोर्ट संख्या 2 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया । अन्वेषण आरंभ हुई । सम्बद्ध थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा किया, स्थल मानचित्र तैयार किया और मक्के के छिलके की पत्तियां अभिगृहीत की जिनमें 4 किलो 500 ग्राम के भार वाला मादक पदार्थ समाविष्ट था । साथ में चादर, कंबल और एक रजाई भी अभिगृहीत की गई । पत्ती का नमूना लिया गया । बंडल तैयार किए गए, उनको मुहरबंद किया गया और तत्पश्चात् उस नमूने को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने के पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः मुहरबंद किया गया । नमूनों की अंतर्वस्तुओं को चरस के रूप में प्रमाणित करने वाली अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किए जाने के साथ समाप्त हुआ । विचारण प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति के साथ समाप्त हुआ, जैसा कि पहले अभिकथित किया गया है ।

3. विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने बरामद पदार्थ जो अभिकथित रूप से चरस था, की तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित तात्विक विवरणों के आधार पर असंगतताएं खोजने के अतिरिक्त प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति मुख्यतः इस तथ्य से प्रभावित होकर अभिलिखित की कि नमूना मात्र एक मक्के के

छिलके की पत्ती से निकाला गया था जिसके आधार पर यह निष्कर्ष न्यायानुमत हो गया कि प्रश्नगत नमूने को सभी 151 मक्के के छिलके की पत्ती में पाए गए पदार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जा सकता । 35 ग्राम के भार वाली एक मक्के के छिलके की पत्ती का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्वस्तु को यदि चरस पाया भी जाता है, तो भी इससे अभियोजन का यह अभिकथन आधारभूत नहीं होता कि प्रत्यर्थी को अभिकथित विनिषिद्ध वाणिज्यिक प्रमात्रा के कब्जे में पाया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा न्यायतः मताभिव्यक्ति की है कि उक्त प्रमात्रा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार लघु प्रमात्रा के विनिर्देश के अंतर्गत आती है, जिसका कब्जा पाए जाने पर अधिकतम छः माह का दंड भोगना पड़ता है जबकि प्रत्यर्थी ने पांच वर्ष से अधिक का कारावास भोग लिया है । इसके अतिरिक्त विद्वान् विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन के वृत्तांत के आधार पर दो पक्षकथन सामने आते हैं । अभि. सा. रतन सिंह ने अपनी सूची के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है । अतः मामले के रजिस्ट्रीकरण का एकमात्र आधार रहस्य से घिरा हुआ है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने भी घटनास्थल पर उस पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष के पहुंचने के पूर्व अभि. सा. रतन सिंह द्वारा विनिषिद्ध की बरामदगी और तौल के बारे में असंगतता का उल्लेख किया है । यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण होगा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभि. सा. रतन सिंह द्वारा बरामदगी पहले ही कर ली गई थी और घटनास्थल पर उप पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष के पहुंचने के पहले ही विनिषिद्ध की तौल कर ली गई थी जो कि एक ऐसा तथ्य है जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है । तीन स्वतंत्र साक्षियों में से दो ने अभियोजन का समर्थन करने से मना कर दिया है जबकि अभि. सा. अशोक कुमार ने उप पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष से प्रकट होने वाले पक्षकथनों में से एक पक्षकथन का समर्थन किया है जो अभि. सा. रतन सिंह के पक्षकथन के समानांतर कथन है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने परस्पर विनिषिद्ध के माल अभिग्रहण मेमों के तैयार किए जाने, विनिषिद्ध के मुहरबंद किए जाने और नमूने के न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में तात्विक परस्पर विरोधों का उल्लेख किया है । ऐसे विरोध जो विशिष्टतया अभिग्रहण मेमों से संबंधित हैं, तात्विक हैं और खोज और अभिग्रहण की कार्यवाही के आधार हैं । नमूने को पुनः मुहरबंद किए जाने में चार दिनों का विलंब और उसको

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में जमा किए जाने में दो दिनों का पुनः विलंब, जिसके साथ उस अवधि के दौरान प्रतिनिधिक नमूने की अभिरक्षा के संबंध में रक्षोपाय का अवलोकन किए जाने का कोई सबूत संलग्न नहीं है, पर विचारण न्यायालय द्वारा संदेह के साथ विचार किया गया जिसने यह मत व्यक्त किया कि नमूने में हेरफेर किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता ।

5. हम अभिलेख का परिशीलन करने पर और साक्ष्य का अधिमूल्यन करने पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से भिन्न मत व्यक्त करने का कोई विवशकारी या सारवान् कारण नहीं पाते । यह अपील गुणागुण से रहित है और खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

(2014) 2 दा. नि. प. 258 **पंजाब-हरियाणा**

अनिल

बनाम

सुदेश

तारीख 15 मई, 2013

न्यायमूर्ति एल. एन. मित्तल

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12(1) – भूतलक्षी प्रभाव – जहां पत्नी उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के काफी पहले अर्थात् वर्ष 1999 से अपने पति से पृथक् होकर अपने माता-पिता के घर में रह रही थी, वहां उक्त अधिनियम के वर्ष 2008 से प्रवृत्त होने के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव का अभिवाक् मान्य नहीं होगा क्योंकि वह (पत्नी) भावी अनुतोष की मांग कर रही है अतः अधिनियम के उपबंध के अधीन फाइल आवेदन संधार्य है ।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12 – घरेलू हिंसा – संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से घरेलू हिंसा की कोई रिपोर्ट अभिप्राप्त न होने पर भी मजिस्ट्रेट को व्यथित महिला को उचित और युक्तियुक्त अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता होगी, अतः पत्नी के पक्ष में पारित निवास आदेश अनुचित नहीं है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सुदेश ने 2005 के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन याची अनिल और उसके पिता धर्मपाल के विरुद्ध आवेदन अनेक अनुतोषों की ईप्सा करते हुए यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि वह अनिल की पत्नी और धर्मपाल की पुत्रवधु है, वह तारीख 1 जनवरी, 1999 को मायके चली गई थी, उसके पति ने उसके विरुद्ध एक असत्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 389 और 506 के अधीन तारीख 18 सितंबर, 1999 को दर्ज कराई जो रद्द कर दी गई । तत्पश्चात् उसके पति ने एक याचिका विवाह-विच्छेद के लिए भी फाइल की जो विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई । उसने अपने पति और ससुर के साथ साझा घर में रहने का प्रयास किया किंतु उन्होंने उसको वहां भी रहने नहीं दिया । उसने अपने पति और ससुर-सास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 498क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उसके पति ने द्वितीय विवाह भी किया जिसके लिए उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन एक परिवाद पृथक् रूप से फाइल किया । उसने अपने पति, ससुर-सास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 सपठित धारा 109 के अधीन एक अन्य परिवाद भी फाइल किया । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 10 जुलाई, 2008 के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि पत्नी साझा गृहस्थी में निवास करने की हकदार है । परिणामस्वरूप पति को गृहस्थी में पत्नी को आवास उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया और पति और उसके पिता को पत्नी के निवास में बाधा पहुंचाने से निषिद्ध कर दिया गया । पति और उसके पिता ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की जिसे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 मार्च, 2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । इससे व्यथित होकर पति ने यह पुनरीक्षण याचिका फाइल की । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सत्य है कि अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता । फिर भी, याची ने अधिनियम के अधीन भविष्यलक्षी प्रभाव से अनुतोष की मांग की है और न कि भूतलक्षी प्रभाव से । परिणामस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किया गया आवेदन पोषणीय नहीं है । (पैरा 7)

जहां तक घरेलू घटना की रिपोर्ट का संबंध है, उस पर केवल तभी विचार किया जा सकता है यदि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हो । फिर भी

इसका यह अर्थ नहीं होगा कि यदि घरेलू घटना की कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त नहीं की गई है, तो अधिनियम की धारा 12 के अधीन फाइल किया गया आवेदन पोषणीय नहीं होगा । (पैरा 8)

उपस्थित मामले में दोनों निचले न्यायालयों ने याची के साझा गृहस्थी में जिसमें साक्ष्य में पेश किए गए स्थल मानचित्र के अनुसार अनेक कमरे हैं, में निवास करने के अधिकार को अभिनिर्धारित किया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मताभिव्यक्ति की कि प्रत्यर्थी के निवास के लिए पर्याप्त एक कमरा जो उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसकी रिहाइश के लिए युक्तिसंगत रूप से पर्याप्त है याची द्वारा उसको आबंटित कर दिया जाना चाहिए और उक्त कमरे के साथ समस्त सुविधाएं संलग्न होनी चाहिएं या याची द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए । मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान किया गया उक्त अनुतोष जिसको सेशन न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया, मामले में पेश किए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । निचले न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों में कोई विप्रतीपता अवैधता या अधिकारिता संबंधी रीति जैसा कोई शैथिल्य नहीं है जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा सीमित पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप अपेक्षित हो । (पैरा 9)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1411.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 मार्च, 2009 को पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका ।

अपीलार्थी की ओर से श्री दुर्गा दत्त शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राहुल वत्स

न्यायमूर्ति एल. एन. मित्तल – याची अनिल जो प्रत्यर्थी श्रीमती सुदेश का पति है, ने विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2008 को और विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 मार्च, 2009 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण याचिका फाइल की है ।

2. प्रत्यर्थी सुदेश ने 2005 के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 12 के अधीन याची अनिल और

उसके पिता धर्मपाल के विरुद्ध आवेदन यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि वह याची अनिल की पत्नी और धर्मपाल की पुत्रवधु है और उनके विरुद्ध विभिन्न अनुतोषों की ईप्सा की । वह तारीख 1 जनवरी, 1999 को अपने मायके गई थी । तारीख 18 सितम्बर, 1999 को याची द्वारा उसके विरुद्ध एक असत्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 और 506 के अधीन दर्ज कराई गई थी किंतु उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रदद् कर दी गई थी । याची द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद के लिए फाइल की गई याचिका भी विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी । प्रत्यर्थी पत्नी ने याची और उसके पिता के साझा उसके साथ घर में रहने का प्रयास किया किंतु उन्होंने उसको वहां पर रहने नहीं दिया । उसने याची और उसके पिता-माता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 498क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज कराई । याची ने द्वितीय विवाह भी किया जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन पृथक् परिवाद फाइल किया गया । याची और उसके पिता-माता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 सपठित धारा 109 के अधीन एक अन्य परिवाद भी फाइल किया गया ।,

3. याची और उसके पिता ने अपने उत्तर में पक्षों के मध्य संबंधों को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के प्रकथनों से इनकार किया । फिर भी विभिन्न मामले दर्ज कराए जाने को विवादित नहीं किया गया । प्रत्यर्थी के दावे का खंडन किया गया ।

4. विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 10 जुलाई, 2008 के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी पत्नी साझा गृहस्थी में निवास करने की हकदार है । परिणामस्वरूप याची को गृहस्थी में प्रत्यर्थी को आवास उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया था और याची और उसके पिता को प्रत्यर्थी के निवास में कोई बाधा पहुंचाने से निषिद्ध कर दिया गया था । याची और उसके पिता द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 मार्च, 2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी ।

5. इससे व्यथित होकर याची अनिल ने यह पुनरीक्षण याचिका फाइल की है ।

6. याची के काउंसेल ने दलील दी कि प्रत्यर्थी अपने पैतृक घर में तारीख 1 जनवरी, 1999 से पृथक् रूप से रह रही थी जबकि अधिनियम

तारीख 26 अक्तूबर, 2006 को प्रभावी हुआ और अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव का नहीं है और इसलिए प्रत्यर्थी अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की हकदार नहीं है और उसके द्वारा फाइल किया गया आवेदन पोषणीय नहीं है । उन्होंने यह दलील भी दी कि मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 12(1) के परंतुक के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए, किंतु वर्तमान मामले में ऐसी किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई और इस प्रकार घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित नहीं हुई ।

7. मैंने उक्त दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया किंतु वे स्वीकार नहीं की जा सकतीं । यह सत्य है कि अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता । फिर भी, याची ने अधिनियम के अधीन भविष्यलक्षी प्रभाव से अनुतोष की मांग की है और न कि भूतलक्षी प्रभाव से । परिणामस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किया गया आवेदन पोषणीय नहीं है ।

8. जहां तक घरेलू घटना की रिपोर्ट का संबंध है, उस पर केवल तभी विचार किया जा सकता है यदि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हो । फिर भी इसका यह अर्थ नहीं होगा कि यदि घरेलू घटना की कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त नहीं की गई है, तो अधिनियम की धारा 12 के अधीन फाइल किया गया आवेदन पोषणीय नहीं होगा ।

9. उपस्थित मामले में दोनों निचले न्यायालयों ने याची के साझा गृहस्थी में जिसमें साक्ष्य में पेश किए गए स्थल मानचित्र के अनुसार अनेक कमरे हैं, में निवास करने के अधिकार को अभिनिर्धारित किया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मताभिव्यक्ति की कि प्रत्यर्थी के निवास के लिए पर्याप्त एक कमरा जो उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसकी रिहाइश के लिए युक्तिसंगत रूप से पर्याप्त है याची द्वारा उसको आबंटित कर दिया जाना चाहिए और उक्त कमरे के साथ समस्त सुविधाएं संलग्न होनी चाहिएं या याची द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए । मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान किया गया उक्त अनुतोष जिसको सेशन न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया, मामले में पेश किए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । निचले न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों में कोई विप्रतीपता अवैधता

या अधिकरिता संबंधी रीति जैसा कोई शैथिल्य नहीं है जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा सीमित पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप अपेक्षित हो ।

10. पुनरीक्षण याचिका विषयवस्तु विहीन है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

(2014) 2 दा. नि. प. 263 **मद्रास**

राजेन्द्रन

बनाम

तमिलनाडु राज्य और एक अन्य

तारीख 13 नवम्बर, 2013

न्यायमूर्ति वी. धनपालन और न्यायमूर्ति आर. करुप्पिया

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 22(5) और 32 [सपठित तमिलनाडु मादक तस्कर, ओषधि अपराधी, वन अपराधी, अनैतिक व्यापार अपराधी, रेत अपराधी, मलिन बस्ती कब्जाधारक और वीडियो चोर खतरनाक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 4] – बंदी प्रत्यक्षीकरण – निवारक निरोध – संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र संभव प्राधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन पर विचार किए जाने का अधिकार है, अतः निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने में 6 दिनों का विलंब होने पर निरोध दोषपूर्ण और असंवैधानिक होने के कारण निरुद्ध व्यक्ति निरोध से मुक्त होने का हकदार है ।

याची ऐसे कैदी, जिसका निरोध 1982 के तमिलनाडु तस्करों ओषधि, अपराधी, वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी, रेत अपराधी, मलिन बस्ती कब्जाधारक और वीडियो चोर खतरनाक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (तमिलनाडु का 1982 का अधिनियम सं. 14) के उपबंधों के अंतर्गत तारीख 3 जुलाई, 2013 को दांडिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 18/गुंडा/2013

में पारित द्वितीय प्रत्यर्थी के आदेश के अधीन किया गया, की पत्नी है जो द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा पारित निरोधादेश अभिखंडित किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है । कैदी के विरुद्ध अभिकथित आधारी मामला तारीख 16 जून, 2013 को इमानेश्वरम पुलिस थाना द्वारा 2013 के अपराध संख्या 67 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया था । निरोधादेश से व्यथित होकर वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फाइल की गई है । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सत्यापन पर यह देखा गया है कि याची ने प्रत्यर्थी के समक्ष तारीख 15 जुलाई, 2013 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया । यह प्रत्यावेदन प्रत्यर्थियों द्वारा तारीख 19 जुलाई, 2013 को प्राप्त किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 22 जुलाई, 2013 को टिप्पणी मांगी गई थी किंतु टिप्पणी तारीख 26 जुलाई, 2013 को ही प्राप्त हो सकी । तत्पश्चात् सरकार के अवर सचिव और उप सचिव ने तारीख 29 जुलाई, 2013 को और बिजली मंत्री ने तारीख 2 अगस्त, 2013 को फाइल पर विचार किया और अंततः, प्रत्यावेदन तारीख 5 अगस्त, 2013 को अस्वीकृत कर दिया गया और कैदी को तारीख 6 अगस्त, 2013 को अस्वीकरण आदेश भेज दिया गया । उपरोक्त स्थिति का परीक्षण किए जाने पर यह साबित हो जाता है कि याची के प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने में आन्तरायिक शनिवार और रविवार की रियायत दिए जाने के बाद भी छः दिनों का विलंब है, जिसे आक्षेपित निरोधादेश को दूषित कर देगा । यह सुस्थापित है कि किसी व्यक्ति, जिसको कोई प्रत्यावेदन देने से निरोधात्मक रूप से निरुद्ध किया गया है जिससे कि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उस पर यथासंभव शीघ्रतापूर्वक विचार न किया जा सके, का अधिकार अनुच्छेद 22(5) के अधीन संवैधानिक अधिकार होता है । प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने में अयुक्तियुक्त और अस्पष्ट विलंब उस कैदी के निरंतर निरोध के लिए घातक होता है । यह प्रतिपादना इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों की लंबी, शृंखला में सुस्थापित है । न्यायालय यह आवश्यक नहीं समझता कि प्राधिकारियों का इस पहलू पर परीक्षण किया जाए न्यायालय कुछ निर्णयों का अवलंब लेता है जिनमें इस सिद्धांत की चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है । इसलिए, न्यायालय के समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है सिवाय इसके कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि निरोधादेश को इस आधार पर मान्य नहीं ठहराया जा सकता कि प्रत्यर्थियों ने ही याची के प्रत्यावेदन का उत्तर देने में अनुचित रूप से कुछ दिनों का विलंब किया और

इसको अपास्त किया जाता है । (पैरा 7 और 8)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 11 एस. सी. सी. 745 : **रशीद कपाड़िया** बनाम **मेघा गाडगिल और अन्य** ।	8

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सं. 792.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ।

याची की ओर से श्री एम. सर्वानम

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सी. मेलवाहना राजेंद्रन, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. धनपालन ने दिया ।

न्या. धनपालन – याची कैदी, जिसको "गुंडा" के रूप में चिन्हित किया गया है, जैसा कि 1982 के तमिलनाडु मादक तस्कर, अपराधी, वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी, रेत अपराधी, मलिन बस्ती कब्जाधारक और वीडियो साहित्यिक के खतरनाक क्रियाकलाप अधिनियम (तमिलनाडु का 1982 का अधिनियम सं. 14) के उपबंधों के अंतर्गत अनुध्यात है और जिसका निरोध तारीख 3 जुलाई, 2013 को दांडिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 18/गुंडा/2013 में धारित द्वितीय प्रत्यर्थी के आदेश के अधीन किया गया है, की पत्नी है जो द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा पारित निरोधादेश को अभिखंडित किए जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई हैं ।

2. कैदी को निम्नलिखित मामलों में जारी प्रतिकूल नोटिस के परिणामस्वरूप निरोधित किया गया है :–

क्रं.	पुलिस थाना	अपराध संख्या	धाराएं
1.	परमकुडी कस्बा पुलिस थाना	204/07	भारतीय दंड संहिता की धाराएं 294(ख), 323, 427 और 506

2.	परमकुडी कस्बा पुलिस थाना	128/10	भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 341, 294(ख), 324, 307 सपठित धारा 34
3.	परमकुडी कस्बा पुलिस थाना	220/10	तमिलनाडु विरूपण का खुले स्थानों पर निवारण अधिनियम (Tamilnadu open places prevention of Disfigurement Act).
4.	परमकुडी कस्बा पुलिस थाना	13/12	भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सपठित 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,4,5 और 1984 के टी. एन. पी. पी. डी. एल. अधिनियम की धारा 4
5.	इमानेश्वरम पुलिस थाना	147/12	भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 323, 324, 307 और 302 सपठित टी. एन. पी. पी. डी. एल. अधिनियम
6.	परमकुडी कस्बा पुलिस थाना	449/12	भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 294(ख), 307, 302 सपठित टी. एन. पी. पी. डी. एल. अधिनियम की धारा 3
7.	इमानेश्वरम पुलिस थाना	58/12	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 294(ख), 323, 324 और 506(ii)

3. कैदी के विरुद्ध अभिकथित आधारी मामला तारीख 16 जून, 2013 को इमानेश्वरम पुलिस थाना द्वारा 2013 के अपराध संख्या 67 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अधीन दर्ज किया गया था । वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरोधादेश से व्यथित होकर फाइल की गई है ।

4. यद्यपि याची के विद्वान् काउंसेल ने निरोधादेश पर अनेक आधारों पर आक्रमण किया है, उन्होंने अपनी दलीलों को मुख्यतः इन आधारों पर केंद्रित किया है कि याची के तारीख 15 जुलाई, 2013 के प्रत्यावेदन पर

विचार किए जाने में असामान्य और अस्पष्ट विलंब है जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का हनन हुआ और इस प्रकार आक्षेपित आदेश विलंब के आधार पर दूषित हैं ।

*(Tamil nadu Prevention of Dengerous Activities of Bootleggers, Drugs, offenders, forest offenerors, Goondas, Immoral Traffic offenerors, sand offenders, slum Grappers am Video Birates Act, 1982).

5. हमने याची के विद्वान् काउंसेल और विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री सी. माइलावाहना राजेंद्रन को उपरोक्त निवेदनों पर सुना और अभिलेख का सतर्कतापूर्वक परिशीलन किया ।

6. निरोध के आधारों के पैरा 5 में निम्नलिखित रूप से अभिकथित किया गया है :–

> "5. मैं इस बात से अवगत हूं कि थिरू संपथ, आयु 27/13, पुत्र राजेंद्रन, निवासी अन्ना नगर, परमकुडी, रामनाथपुरम जिला ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अधीन परमकुडी कस्बा पुलिस थाना में फाइल किए गए 2013 के दांडिक मामला संख्या 67 के संबंध में रामनाथपुरम के सेशन न्यायाधीश ने 2013 के दांडिक मामला याचिका संख्या 1637 में अग्रिम जमानत याचिका फाइल की है जो विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त याची ने भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 294(ख) 341, 324, 307 और 34 के अधीन 2010 के प्रतिकूल मामला जो दांडिक मामला संख्या 128 है, में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 और 1984 के टी. एन. पी. पी. डी. एल. अधिनियम की धारा 4 के अधीन परमकुडी पुलिस थाना में दर्ज कराए गए 2012 के अपराध संख्या 13, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 341, 294(ख), 307, 302 सपठित टी. एन. पी. पी. डी. एल. अधिनियम की धारा 3 के अधीन परमकुडी पुलिस थाना में दर्ज कराए गए 2012 के अपराध संख्या 449, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 323, 324, 307 और 302 सपठित टी. एन. पी. पी. डी. एल. अधिनियम की धारा 3 के अधीन परमकुडी पुलिस थाना में दर्ज कराए गए 2012 के अपराध संख्या 147, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 294(ख), 323, 324, 506(ii) के अंतर्गत 2013 की

दांडिक सं. 58 में इमानेश्वरम के न्यायालयों में जमानत मंजूर की गई । एक अन्य प्रतिकूल मामले में अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 294(ख), 323, 325, 427, 506(ii) और 34 के अधीन 2007 की दांडिक सं. 204 के संबंध में जमानत याचिकाएं फाइल कीं और दंड संहिता की धारा 294(ख), 353, 506(ii) और 1959 के तमिलनाडु खुले स्थानों का विरूपण अधिनियम की धारा 2(ख) के अधीन दर्ज कराए गए 2010 के अपराध संख्या 220 के संबंध में जमानत याचिकाएं फाइल कीं जिनमें परमकुडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अलग-अलग दर्ज किए गए 2010 के दांडिक मामला याचिका संख्या 4588 और 2007 के दांडिक मामला याचिका संख्या 323 में अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी गई थी । यदि उसको 1982 के तमिलनाडु अधिनियम संख्या 14 के अंतर्गत निरुद्ध नहीं किया जाता, तो वह ऐसे क्रियाकलापों में पुनः संलिप्त होता जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिकूल क्रियाकलाप होता । इसके अतिरिक्त सामान्य दांडिक विधि का आश्रय लिए जाने से उसको ऐसे क्रियाकलापों, जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिकूल हैं, में संलिप्त होने से प्रभावी ढंग से प्रवारित किए जाने के इच्छित परिणाम प्राप्त न होते । मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं कि उक्त थिरू सम्पथ, आयु 27/13, पुत्र राजेंद्रन निवासी अन्ना नगर परमकुडी, जिला रामनाथपुरम एक गुंडा है और इस बात की विवशकारी आवश्यकता है कि भविष्य में पुनः ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त होने से प्रवारित किए जाने के प्रयोजनार्थ उसको 1982 के तमिलनाडु अधिनियम संख्या 14 की धारा 2(च) के उपबंध के अधीन लोक व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से प्रतिकूल क्रियाकलाप है; में संलिप्त होने से प्रवारित किए जाने के प्रयोजनार्थ निरुद्ध किया जाए ।

7. सत्यापन पर यह देखा गया है कि याची ने प्रत्यर्थी के समक्ष तारीख 15 जुलाई, 2013 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया । यह प्रत्यावेदन प्रत्यर्थियों द्वारा तारीख 19 जुलाई, 2013 को प्राप्त किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 22 जुलाई, 2013 को टिप्पणी मांगी गई थी किंतु टिप्पणी तारीख 26 जुलाई, 2013 को ही प्राप्त हो सकी । तत्पश्चात् सरकार के अवर सचिव और उप सचिव ने तारीख 29 जुलाई, 2013 को विचार किया और बिजली मंत्री ने तारीख 2 अगस्त, 2013 को फाइल पर विचार किया और अंततः, प्रत्यावेदन तारीख 5 अगस्त, 2013 को अस्वीकृत कर दिया और कैदी को तारीख 6 अगस्त, 2013 को अस्वीकरण आदेश भेज दिया । उपरोक्त स्थिति का परीक्षण

किए जाने पर यह साबित हो जाता है कि याची के प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने में आन्तरायिक शनिवार और रविवार की रियायत दिए जाने के बाद भी छः दिनों का विलंब है, जो आक्षेपित निरोधादेश को दूषित कर देगा ।

8. समान परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रशीद कपाड़िया** बनाम **मेघा गाडगिल और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "12. ऊपर उद्धृत स्थिति के आधार पर यह देखा जा सकता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने तारीख 9 अगस्त, 2011 को प्रायोजक प्राधिकारी (सीमाशुल्क प्राधिकारी) से पैरावार टिप्पण मंगाए थे । फिर भी प्रयोजक प्राधिकारी ने प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा की गई जांच के पन्द्रह दिनों के विलम्ब के पश्चात् तारीख 26 अगस्त, 2011 को उत्तर दिया । ऐसे विलंब के कारण का स्पष्टीकरण प्रयोजक प्राधिकारी, जिसका प्रतिनिधित्व इस मामले के तृतीय प्रत्यर्थी द्वारा किया गया, द्वारा नहीं दिया गया है । हमारे समक्ष अभिलेख पर ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर तृतीय प्रत्यर्थी के विभाग द्वारा ऊपरवर्णित विलंब का स्पष्टीकरण दिया जा सके ।
>
> 13. यह बात सुस्थापित है कि किसी व्यक्ति, जिसको कोई प्रत्यावेदन देने से निरोधात्मक रूप से निरुद्ध किया गया है जिससे कि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उस पर यथासंभव शीघ्रतापूर्वक विचार न किया जा सके, का अधिकार अनुच्छेद 22(5) के अधीन संवैधानिक अधिकार होता है । प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने में अयुक्तियुक्त और अस्पष्ट विलंब उस कैदी के निरंतर निरोध के लिए घातक होता है । यह प्रतिपादना इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों की लंबी, शृंखला में सुस्थापित है । हम यह आवश्यक नहीं समझते कि प्राधिकारियों का इस पहलू पर परीक्षण किया जाए और हम मात्र कुछ निर्णयों का अवलंब लेते हैं जिनमें इस सिद्धांत की चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है ।
>
> 14. इसलिए, हमारे समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है सिवाय इसके कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि निरोधादेश मात्र ऊपरवर्णित आधार पर मान्य नहीं ठहराया जा सकता और इसको तद्नुसार अपास्त किया जाता है ।"

9. उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विनिश्चयानुपात का अवलंब लेते हुए और मामले के तथ्यों पर विचार करते

---

[1] (2012) 11 एस. सी. सी. 745.

हुए द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित निरोधादेश, जिसके अंतर्गत कैदी को 2013 की दांडिक मामला याचिका संख्या 18 में तारीख 3 जुलाई, 2013 को पारित आदेश में निरुद्ध किया गया, अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

10. परिणामस्वरूप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की जाती है और 2013 के दांडिक मामला याचिका संख्या 18 में तृतीय प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 3 जुलाई, 2013 को पारित आक्षेपित निरोधादेश अभिखंडित किया जाता है । उपरोक्त कैदी को तुरंत स्वतंत्र किए जाने के लिए आदेशित किया जाता है, यदि किसी अन्य मामले के संबंध में उसको अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित न हो । फिर भी हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपराध की घोरता को ध्यान में रखा जाना प्रत्यर्थियों का कार्य है और वे इस आदेश से प्रभावित हुए बिना विचारण न्यायालय के समक्ष मामले का अभियोजन चलाएंगे । इसी प्रकार कैदी किसी अन्य नियमित कार्यवाही में इस आदेश का लाभ नहीं लेगा ।

याचिका मंजूर की गई ।

शु.

(2014) 2 दा. नि. प. 270 **सिक्किम**

पसांग लेपचा

बनाम

सिक्किम राज्य

तारीख 17 अप्रैल, 2014

न्यायमूर्ति एस. पी. वांगडी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, 511 और 342 – बलात्संग – पीड़िता लड़की का अप्राप्तवय होना – यदि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि पीड़िता बलात्संग का विरोध नहीं करती और पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो बलात्संग का कार्य पूरा हो जाता, अतः अभियुक्त के बारे में बलात्संग का अपराध किया जाना कहा जा सकता है न कि किसी स्त्री का शीलभंग किया जाना, इसलिए, दंड संहिता की धारा 376, 354 और 342 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन की यह शिकायत है कि तारीख 9 जनवरी, 2011 को लगभग 7.45 बजे अपराह्न में नामची पुलिस थाने के सादी वर्दी के कर्मचारिवृंद ने दूरभाष से यह सूचना प्राप्त की जिसमें यह कहा गया है कि एक लड़की की सिसकियां राहगीर द्वारा राक गार्डन नामची दक्षिणी सिक्किम में सुनी गई । इस मामले की रिपोर्ट करने पर उप-निरीक्षक, समीर प्रधान और अन्य कर्मचारिवृंद को ओ/सी, नामची पुलिस थाना द्वारा घटनास्थल पर तैनात किया गया था । अभि. सा. 1 जो बाद में अप्राप्तवय लड़की मिंगमा लेकी शेरपा पीड़िता को लाया था और अपीलार्थी/अभियुक्त पसांग लेपचा को गाड़ी सं. एसके-04/9150 के साथ पुलिस थाने पर लाया गया था और यह रिपोर्ट दी गई थी कि लड़की गाड़ी में अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी और अपीलार्थी उस गाड़ी का ड्राइवर था जिसने गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश की जब पुलिस गाड़ी द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश की जिसमें वे यात्रा कर रहे थे । भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन उक्त पसांग लेपचा के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और जिसे पृष्ठांकन करके अभि. सा. 8 उप-निरीक्षक रेनुका क्षेत्री को अन्वेषण के लिए भेजा गया था । मामले के अन्वेषण से यह प्रकट है कि पीड़िता लड़की फालिदरा विद्यालय, दक्षिणी सिक्किम की छात्रा थी और वह तारीख 19 जनवरी, 2011 की सायं में नामची पहुंची थी, उसे नामची अस्पताल पर अपने नातेदार को देखने के लिए जाना था और उससे मिलने के पश्चात् वह घर वापस लौटने के लिए गाड़ी ढूंढ रही थी । अपीलार्थी द्वारा उसे रोका गया और उसने उसको सहायता देने का प्रस्ताव किया । जब पीड़िता ने मना किया तो अपीलार्थी उसे बलपूर्वक अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा ले गया जिसे वह चला रहा था । राक गार्डन के रास्ते पर उसने उसके कपड़े उतार दिए और उससे बलात्संग करने की कोशिश की । तथापि, उसने मुक्के से अपीलार्थी पर प्रहार किया तथा उस दुष्कर्म का विरोध किया और वह मदद के लिए चीखी-चिल्लाई जिसे एक राहगीर द्वारा सुना गया जिसने डब्ल्यू/सी पुष्पा लाल शर्मा को सूचित किया जिसने पुलिस थाने पर यह सूचना दी और तत्पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण किए जाने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश, दक्षिणी और पश्चिमी, नामची के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया था जिसने अभिलेख की सामग्री पर विचार किया तथा अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 342 और 376/511 के अधीन आरोप पत्र विरचित किया और उसे यह आरोप सुनाया गया । उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अन्ततोगत्वा इस मामले को त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा सुना गया । विद्वान् न्यायाधीश

(त्वरित निपटान) न्यायालय ने अभिलेख के साक्ष्य पर विचार किया और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन आरोपों से दोषी ठहराया और तद्नुसार उसे 3-1/2 वर्ष का कारावास भोगने का दंड दिया तथा 1,000 रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे उक्त अपराध के लिए 1 मास का कारावास भी भोगने का निदेश दिया और दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अपराध के लिए 6 मास का कारावास तथा 500 रुपए का जुर्माना तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे 15 दिन का कारावास भोगने का भी निदेश दिया गया था । दोनों दंडादेश समवर्ती चलेंगे और उसके द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में पहले भोगी गई निरोध की अवधि को दंड से कम किया जाएगा । अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – किसी अपराधी का अपराध कारित करने का प्रथम आशय होना चाहिए तब इसे करने के लिए तैयारी किया जाना चाहिए और इसके पश्चात् अपराध कारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए । यदि प्रयास सफल हो जाता है तो उसने अपराध किया है; यदि अपने नियंत्रण के परे कारणों से वह विफल हो जाता है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने अपराध किए जाने का प्रयास किया । अपराध किए जाने के प्रयास को तब आरंभ होना कहा जा सकता है जब तैयारी पूरी कर ली जाती है और अपराधी अपराध किए जाने के आशय से कुछ करना प्रारंभ करता है जो अपराध किए जाने की ओर एक कदम है । जब वह क्षण जब वह आशय के साथ अपराध करना प्रारंभ करता है तब वह अपराध करने का अपना प्रयास प्रारंभ करता है । यह "प्रयत्न" शब्द स्वतः परिभाषित नहीं है और इसलिए, इसका साधारण अर्थ लिया जाना चाहिए । यथावत रूप से धारा 511 के उपबंधों में जो कुछ अपेक्षित है । अपराध कारित करने का प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय तथा इसके कारित करने की तैयारी से विभेद किया गया । अपराध को कारित करने का मात्र आशय का किसी कार्य द्वारा पालन नहीं किया जाता और इससे अपराध गठित नहीं हो सकता है । ऐसे कार्य करने के लिए इच्छा से ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जब तक कि कोई बाहरी कार्य न हो जिससे यह दर्शित होता है कि इस दिशा में कोई उन्नति की गई है या इसको परिपक्व और प्रभावशाली बनाता हो । किसी उद्देश्य के प्रति आशय आचरण की दिशा है जिसे हेतु पर विचार करने के लिए चुना जाता है जो पसंद की ओर इंगित करता है । तैयारी के अंतर्गत अपराध को किए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था या

उपाय अभिप्रेत है । यह प्रयत्न से व्यापक रूप से भिन्न है जो तैयारी किए जाने के पश्चात् अपराध किए जाने की ओर गति की दिशा है । अपराध किए जाने की तैयारी केवल तब दंडनीय है जब धारा 122 के अधीन (भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना) और धारा 399 (डकैती कारित करने की तैयारी करना) के अधीन अपराध किए जाने की तैयारी की जाती है । मात्र तैयारी करना और प्रयत्न के बीच विभाजित रेखा कभी-कभार बहुत पतली होती है और जिस बात का प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विनिश्चय किया जाना चाहिए । तैयारी के साथ तुलना करते हुए प्रयत्न को निर्धारण करने की बड़ी डिग्री है । कोई अपराध किए जाने का प्रयत्न कोई ऐसा कार्य या कार्यों की शृंखला है जो अपरिहार्य रूप से अपराध किए जाने की ओर इंगित करता है जब तक कि कार्य के कर्ता द्वारा न जाना जाता हो और न ही इसको रोकना आशयित हो । प्रयत्न को आपराधिक षड्यंत्र के भाग रूप में निष्पादन किए जाने के कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत केवल तैयारी करना भी आता है परंतु वास्तविक निष्पादन करने की कमी । अपराध को पूरा करने में विफल होने के सिवाय मूलभूत अपराध के सभी तत्व इसके अंतर्गत आते हैं । दूसरे शब्दों में प्रयत्न के अंतर्गत अपराध करने का आशय भी आता है इसके अंतर्गत वास्तविक अपराध किया जाना या उसे पूरा न किया जाना भी आता है । परिणामस्वरूप यह परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्रयत्न किए गए कार्य के पूर्ण निष्पादन के परिणामस्वरूप इसे रोका नहीं गया है । धारा 511 में वर्णित दृष्टांत से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि विधान-मंडल का आशय मात्र तैयारी और प्रयत्न करने के मामलों के बीच भिन्नता प्रकट करना है । बलात्संग किए जाने के आशय से प्रयत्न किए जाने का अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकालने पर न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि अभियुक्त जब उसने अभियोक्त्री को पकड़ा था तब न केवल उसके शरीर से अपनी भूख को मिटाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका आशय सभी बातों को करना होना चाहिए और अभियोक्त्री की ओर से प्रतिरोध होते हुए भी बलात्संग करने के प्रयास में प्रायः हमला भी होना चाहिए । निष्कर्ष निकालने के लिए कि अभियुक्त के आचरण से हर प्रकार से अपने जुनून को संतोष देने के लिए अपनी अवधारणा को उपदर्शित होता है । सभी विरोधों के बावजूद तात्विक सामग्री विद्यमान होनी चाहिए । चारों ओर की परिस्थितियों से इस पहलू पर प्रकाश डाला जा सकता है । उपरोक्त बातों से और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि यदि पीड़िता लड़की प्रतिरोध नहीं

करती और यदि पुलिस सही समय पर नहीं पहुंच पाती तब अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का कार्य पूर्ण हो जाता । इसलिए, निःसंदेह अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 376/511 और 342 के अधीन अपराध का दोषी है । (पैरा 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) क्रिमिनल ला जर्नल 4025 (सिक्किम) : **टीका राम क्षेत्री** बनाम **सिक्किम राज्य** ;	7, 9
[2006]	(2006) 8 एस. सी. सी. 560 : **तारकेश्वर साहू** बनाम **बिहार राज्य** ;	7, 9
[2004]	(2004) 3 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1874 : **कोप्पुला वेंकटराव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ।	8, 9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की एस. बी. दांडिक अपील सं. 12.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जोरगे नमका, अधिवक्ता, (सुश्री) चेंगा डी. भूटिया, जिग्दल जी चंकप्पा, (सुश्री) पेमा भूटिया

प्रत्यर्थी की ओर से श्री कर्मा थिंनले नमग्याल, अपर लोक अभियोजक, श्रीमती पोलिन राय, सहायक लोक अभियोजक, सुश्री प्रथन्ना घताने

न्यायमूर्ति एस. पी. वांगडी – इस अपील में अपीलार्थी ने 2013 के सेशन विचारण सं. 10 में विद्वान् न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय, पूर्वी सिक्किम, गंगटोक द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2013 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित किया गया है । जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में इसे भा. दं. सं. कहा गया है) की धारा 376/511 तथा 342 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन की यह शिकायत है कि तारीख 9 जनवरी,

2011 को लगभग 7.45 बजे अपराह्न में नामची पुलिस थाने के सादी वर्दी के कर्मचारिवृंद ने दूरभाष से यह सूचना प्राप्त की जिसमें यह कहा गया है कि एक लड़की की सिसकियां राहगीर द्वारा राक गार्डन नामची दक्षिणी सिक्किम में सुनी गई । इस मामले की रिपोर्ट करने पर उप-निरीक्षक, समीर प्रधान (अभि. सा. 3) और अन्य कर्मचारिवृंद को ओ/सी, नामची पुलिस थाना द्वारा घटनास्थल पर तैनात किया गया था । अभि. सा. 1 जो बाद में अप्राप्तवय लड़की मिंगमा लेकी शेरपा पीड़िता को लाया था और अपीलार्थी/अभियुक्त पसांग लेपचा को गाड़ी सं. एसके-04/9150 के साथ पुलिस थाने पर लाया गया था और यह रिपोर्ट दी गई थी कि लड़की गाड़ी में अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी और अपीलार्थी उस गाड़ी का ड्राइवर था जिसने गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश की जब पुलिस गाड़ी द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश की जिसमें वे यात्रा कर रहे थे ।

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन उक्त पसांग लेपचा के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और जिसे पृष्ठांकन करके अभि. सा. 8 उप-निरीक्षक रेनुका क्षेत्री को अन्वेषण के लिए भेजा गया था ।

4. मामले के अन्वेषण से यह प्रकट है कि पीड़िता लड़की फालिदरा विद्यालय, दक्षिणी सिक्किम की छात्रा थी और वह तारीख 19 जनवरी, 2011 की सायं में नामची पहुंची थी, उसे नामची अस्पताल पर अपने नातेदार को देखने के लिए जाना था और उससे मिलने के पश्चात् वह घर वापस लौटने के लिए गाड़ी ढूंढ रही थी । अपीलार्थी द्वारा उसे रोका गया और उसने उसको सहायता देने का प्रस्ताव किया । जब पीड़िता ने मना किया तो अपीलार्थी उसे बलपूर्वक अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा ले गया जिसे वह चला रहा था । राक गार्डन के रास्ते पर उसने उसके कपड़े उतार दिए और उससे बलात्संग करने की कोशिश की । तथापि, उसने मुक्के से अपीलार्थी पर प्रहार किया तथा उस दुष्कर्म का विरोध किया और वह मदद के लिए चीखी-चिल्लाई जिसे एक राहगीर द्वारा सुना गया जिसने डब्ल्यू/सी पुष्पा लाल शर्मा (अभि. सा. 4) को सूचित किया जिसने पुलिस थाने पर यह सूचना दी और तत्पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

5. अन्वेषण किए जाने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश, दक्षिणी और पश्चिमी, नामची के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया था जिसने अभिलेख की सामग्री पर विचार किया तथा अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता

की धारा 342 और 376/511 के अधीन आरोप पत्र विरचित किया और उसे यह आरोप सुनाया गया । उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. अन्ततोगत्वा इस मामले को त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा सुना गया । विद्वान् न्यायाधीश (त्वरित निपटान) न्यायालय ने अभिलेख के साक्ष्य पर विचार किया और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन आरोपों से दोषी ठहराया और तद्नुसार उसे 3-1/2 वर्ष का कारावास भोगने का दंड दिया तथा 1,000 रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे उक्त अपराध के लिए 1 मास का कारावास भी भोगने का निदेश दिया और दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अपराध के लिए 6 मास का कारावास तथा 500 रुपए का जुर्माना तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे 15 दिन का कारावास भोगने का भी निदेश दिया गया था । दोनों दंडादेश समवर्ती चलेंगे और उसके द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में पहले भोगी गई निरोध की अवधि को दंड से कम किया जाएगा ।

7.(i) अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री जोरगे नामका ने मामले के तथ्यों पर त्वरित निपटान न्यायालयों को निष्कर्षों पर कोई दलील नहीं दी और उसने अपनी दलीलों को केवल अपराध की प्रकृति के विरुद्ध जिसपर अपीलार्थी दोषसिद्ध किया गया था, पर सीमित की हैं ।

(ii) **टीका राम क्षेत्री** बनाम **सिक्किम राज्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए उसने यह निवेदन किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता परंतु दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अर्थात् किसी महिला की शील को भंग किए जाने पर दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । उन्होंने अभि. सा. 5 एन/के कुल बहादुर सुनार के साक्ष्य का प्रबल रूप से अवलंब लिया जिसमें यह कहा गया है कि उसके साक्ष्य में यह उपदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि लड़की अर्धनग्न अवस्था में थी और उसके पहने गए कपड़ों के नीचे का भाग हटाया गया था और जब पुलिस ने उनका सामना किया तब अपीलार्थी और पीड़िता गाड़ी के अंदर अलग-अलग बैठे हुए थे । अपनी दलील के समर्थन में उसने अभि. सा. 5 के निम्नलिखित साक्ष्य का उल्लेख किया है तथा निम्नलिखित

---

[1] (2010) क्रिमिनल ला जर्नल 4025 (सिक्किम).

भाग पर जोर दिया है :–

> " .....उक्त गाड़ी के अंदर अभियुक्त और लड़की पाए गए थे । मेरी जानकारी में यह आया कि लड़की ने मेडी (आधी फ्राक की भांति) कपड़ा पहना हुआ था और निचले वस्त्र नहीं थे । हम अभियुक्त और पीड़िता को लाए और उन्हें ओ/सी नामची पुलिस थाना के सुपुर्द कर दिया ।
>
> अभियुक्त व्यक्ति की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री लजारस मुखिया द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई ।
>
> यह बात सही है कि अभियुक्त और पीड़िता गाड़ी के अंदर अलग-अलग बैठे हुए थे ।

(iii) अगली दलील यह दी गई थी कि यद्यपि अभियोजन का मामला यह है कि अन्वेषण राहगीर इत्तिला देने वाले से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर आरंभ किया गया था और उसकी किसी प्रकार परीक्षा नहीं की गई ।

(iv) श्री जोरगे ने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी का मामला **तारकेश्वर साहू** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय के अंतर्गत पूरी तरह आता है जहां उच्चतम न्यायालय के समरूप तथ्यों पर दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध को दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत सम्परिवर्तित कर दिया गया था । यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध के आरोप को दंड संहिता की धारा 354 में परिवर्तित कर दिया जाए और आनुपातिक रूप से दंड को कम कर दिया जाए ।

8.(i) श्री करमा थिंनले नमग्याल विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दूसरी ओर यह दलील दी है कि अभि. सा. 5 का साक्ष्य जिस पर विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने अवलंब लिया है एकमात्र साक्ष्य नहीं है । उसके अनुसार पीड़िता लड़की का साक्ष्य जो अभि. सा. 2 के रूप में प्रकट हुई है और अभि. सा. 3 उप-निरीक्षक समीर प्रधान तथा अभि. सा. 4 डब्ल्यू/सी पुष्पा लाल शर्मा के साक्ष्य के साथ पढ़ने पर यह मामला अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन स्पष्ट मामला बनता है । इन साक्षियों के साक्ष्य के भागों का विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा

---

[1] (2006) 8 एस. सी. सी. 560.

अवलंब लिया गया है जिन्हें क्रमशः नीचे दिया जा रहा है :–

" मिंगमा लेखी शेरपा-अभि. सा. 2

मैं डाक में मौजूद अभियुक्त को जानती हूं । तारीख 19 जनवरी, 2011 को लगभग 3.00 बजे अपराह्न मैं पानीडारा से अपने घर से बाहर आई और जिला अस्पताल, नामची पर अपने चाचा को देखने के लिए गई । उन्हें देखने के पश्चात् मैं जोरेथंग टैक्सी स्टैंड पर पहुंची क्योंकि मेरा भाई चाचा को देखने के लिए अस्पताल जाने के लिए जोरेथंग से आ रहा था । जोरेथंग टैक्सी स्टैंड पर अभियुक्त जो टैक्सी सवारी का ड्राइवर है, मुझसे इस बारे में पूछा कि मैं कहां जा रही हूं । उसने मुझसे यह कहा कि वह अपनी गाड़ी में उसे घर छोड़ने के लिए मदद देना चाहता है परंतु मैंने इनकार किया । जब मेरा भाई टैक्सी स्टैंड पर नहीं पहुंचा मैं टैक्सी स्टैंड से पुनः अस्पताल की ओर चली परंतु अभियुक्त ने अपनी सवारी गाड़ी से मेरा पीछा किया और मुझे बलपूर्वक अपनी टैक्सी में खींच लिया । इसके पश्चात् अभियुक्त जोरेथंग सड़क पर 9 मील की दूरी तक मुझे ले गया । उस समय लगभग 5.30 बजे का समय हो सकता है जब हम 9 मील की दूरी तक पहुंचे । 9 मील की दूरी पर अभियुक्त ने मुझसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा और नजदीक स्थान पर उससे बातचीत करने के लिए कहा जिस पर मैंने इनकार किया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने गाड़ी से मुझे बलपूर्वक उतार दिया और नजदीक किसी स्थान पर खींच कर ले गया तथा बलपूर्वक मेरे कपड़े उतार दिए और मुझ पर मैथुन हमला करने की कोशिश की । मैंने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की और उसके चेहरे पर खरोंच लगा दी । इसके पश्चात् अभियुक्त राक गार्डन, नामची पर मुझे ले गया और वहां पर उसने अपनी गाड़ी के सभी दरवाजे भी बंद कर दिए और मेरे कपड़े उतारने के पश्चात् मुझ पर मैथुन हमला करने की कोशिश की । मैंने उसके चेहरे पर खरोंच लगा दी और मदद के लिए मैं चिल्लाई और एक गाड़ी उस स्थान पर पहुंची और अभियुक्त ने हड़बड़ाकर मुझे छोड़ दिया । उस गाड़ी से एक पुलिस कार्मिक बाहर आया और उसने अभियुक्त को पकड़ लिया तथा उसे पुलिस थाने पर ले गया । मुझे भी पुलिस थाने पर ले जाया गया जहां से मुझे चिकित्सा परीक्षा के लिए नामची अस्पताल भेज दिया गया .....।"

समीर प्रधान - अभि. सा. 3

"तारीख 19 जनवरी, 2011 को लगभग 7.00 बजे मैं नामची पुलिस थाने पर अपनी ड्यूटी पर था जहां पर मेरे ओ/सी, पी. आई. सी. बी. बसनेट ने मुझे यह सूचना दी कि उसने राक गार्डन, नामची के नजदीक एक लड़की की मदद के लिए चिल्लाने की सूचना प्राप्त की है । उसके द्वारा निदेश देने पर मैं घटनास्थल पर गया जहां मैंने यान सं. एसके-04/9150 गाड़ी को रोका जो सड़क के मध्य में खड़ी थी । मैं तत्काल गाड़ी की ओर गया और मैंने गाड़ी के सामने वाली सीट पर एक अप्राप्तवय लड़की जो अर्धनग्न अवस्था में थी, उसे चीखते हुए देखा । मैंने तत्काल ड्राइवर को पकड़ लिया बाद में उसकी पसांग लेपचा के रूप में पहचान हुई जो आज डाक में मौजूद है । वह अगली वाली सीट पर था और उसकी पैंट खुली हुई थी और उसने अपने घुटने से नीचे तक उसको खोल रखा था । मैंने तत्काल वायरलैस सैट के माध्यम से उक्त मामले के बारे में अपने ओ/सी को सूचना दी और बाद में उन दोनों को पुलिस थाने पर पेश किया और उन दोनों को भारसाधक अधिकारी पुलिस को सौंप दिया ।"

डब्ल्यू/सी पुष्पालाल शर्मा - अभि. सा. 4

" ..... लगभग 7.10 बजे मैंने सूचना प्राप्त की जिसमें यह कहा गया था कि एक लड़की राक गार्डन के नजदीक गाड़ी के अंदर चीख-पुकार कर रही है । तद्नुसार मैंने उक्त सूचना ओ/ सी, नामची पुलिस थाने को भेज दी ।"

(मेरे द्वारा अधोरेखांकित किया गया)

(ii) उपरोक्त साक्ष्य के अलावा विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने जिला अस्पताल, नामची के चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट (प्रदर्श-7) का भी उल्लेख किया है जो अपीलार्थी से संबंधित है जिसे निम्नलिखित क्षतियां हुई थीं :–

"एल/ई-1 निचले होंठ पर 0.5 x 0.2 से. मी. खरोंच

(2) टेंटुआ के ऊपर गर्दन के ..... भाग पर खरोंचा हुआ चिह्न और (+) सी नील ।

(3) दाहिने हाथ के पार्श्व पहलू (पृष्ठीय भाग) पर 0.5 x 0.3 नाप की खरोंच का चिह्न ।

(4) गुप्तांग भाग पर कोई क्षतियां नहीं देखी गईं ।"

(iii) इस प्रकार यह निवेदन किया गया कि दंड संहिता की धारा 342 और 376/511 के अंतर्गत आने वाले अपराध में अपेक्षित संघटक पूरी तरह बनते हैं और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था । **कोप्पुला वेंकटराव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई थी कि युक्तियुक्त संदेह के परे साक्ष्य से यह सिद्ध किया गया था कि अपीलार्थी का आशय पीड़िता से बलात्संग करने का था और वह अपने दुष्कर्मों में सफल हो गया होता यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती ।

9.(i) क्रमशः पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों और अभिलेखों पर विचार किया गया । मैंने साक्ष्य पर यह अभिनिर्धारित किया है कि अपील में इन कारणों से कोई गुणवत्ता नहीं है जैसाकि निम्नलिखित रूप में कथन किया गया है :–

(ii) अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी का आशय पीड़िता, अप्राप्तवय से बलात्संग करने का था और उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को सायं में उसे अकेला पाकर फायदा लेना चाहा । मैंने पुलिस निरीक्षक चक्र बहादुर, बसनेट (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को संगत संपुष्ट पाया और उप-निरीक्षक समीर प्रधान (अभि. सा. 3) नायक कुल बहादुर, सुनार (अभि. सा. 5) जिन्हें उस स्थान की जांच-पड़ताल करने के लिए नियोजित किया गया था जहां लड़की के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी गई थी जैसाकि डब्ल्यू/सी पुष्पा लाल शर्मा (अभि. सा. 4) द्वारा रिपोर्ट दी गई । साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध हुआ है कि अपीलार्थी ने बुरे आशय से पीड़िता लड़की (अभि. सा. 2) को घर वापस छोड़ने के लिए मदद का प्रस्ताव किया था और उसके मना करने पर उसे बलपूर्वक गाड़ी में खींच लिया था और रास्ते पर बलपूर्वक उसके कपड़े उतार लिए और वास्तव में उसके शरीर के निचले भाग के कपड़े उतारने में वह सफल रहा और वह उस लड़की से बलात्संग करने के षड्यंत्र में सफल हो जाता यदि पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती । अभि. सा. 3 के साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी को अपने घुटनों से नीचे तक पैंट को उतारते हुए देखा गया था ।

(iii) पीड़िता लड़की (अभि. सा. 2) के साक्ष्य ने स्वयं अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को स्पष्ट किया है जिसने दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिपरीक्षा दी है ।

---

[1] (2004) 3 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1874.

(iv) अपीलार्थी के हाथ पर और चेहरे पर पाई गईं क्षतियां चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श-7 द्वारा प्रकट की गईं हैं । पीड़िता (अभि. सा. 2) के साक्ष्य की सम्पुष्टि हुई है कि उसने अपीलार्थी द्वारा उस पर हमला किए जाने के दौरान उसके चेहरे पर खरोंच लगाकर प्रतिरोध किया था ।

(v) **टीका राम क्षेत्री** (2010 क्रिमिनल ला जर्नल 4025 (एसके) (उपरोक्त) वाले मामले के तथ्य **तारकेश्वर साहू** (उपरोक्त) वाले मामले का अपीलार्थी की ओर से अवलंब लिया गया था जो मामला वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों से बिलकुल भिन्न है ।

(vi) **टीका राम क्षेत्री** (2010 क्रिमिनल ला जर्नल 4025 (एसके) (उपरोक्त) वाले मामले का आधार अभियुक्त के विरुद्ध है जो पैरा 1 में वर्णित है जो निम्न प्रकार है :–

" ....."

"टीका माया क्षेत्री ने मुझे उठा लिया और बलपूर्वक मुझे चारपाई पर लिटा दिया और तब उसने मेरी जांघिया उतार दी और अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया ताकि मैं चिल्ला नहीं सकूं । तब उसने अपना गुप्तांग भाग बाहर निकाला और मेरे जांघों के बीच उसे रगड़ने लगा तथापि, उसने मेरे गुप्तांग भाग में उसे नहीं रखा और कुछ समय के पश्चात् उसने मुझे छोड़ दिया ।"

"....."

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने बलात्संग करने का प्रयास नहीं किया और न उसका ऐसा करने का कोई आशय प्रकट हुआ है और यह कार्य गलत है और उसने पीड़िता पर अश्लील हमला किया था और यह मामला दंड संहिता की धारा 354 की परिधि के अंतर्गत आता है ।

(vii) **तारकेश्वर साहू** (उपरोक्त) वाले मामले के तथ्य जो अपीलार्थी के लिए गलत है क्योंकि निर्णय के पैरा 2 से यह सुव्यक्त है जिसे निम्न प्रकार दिया जा रहा है :–

" ....."

"तारीख 18 फरवरी, 1998 को लगभग 1.30 बजे पूर्वाह्न तारामुनी कुमारी जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष है, शौच करने के लिए अपने घर से बाहर आई और अपीलार्थी उसे मैथुन करने के लिए गुमती स्थान पर बलपूर्वक ले गया था । अपीलार्थी का उक्त गुमती

स्थान अभियोक्त्री के मकान से केवल कुछ फीट दूरी पर था । यह अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने चीख-पुकार की और उसके पश्चात् तत्काल राम चरन बैथा इत्तिला देने वाला अभि. सा. 1 और अभियोक्त्री के पिता सहदेव साहू (अभि. सा. 2), देव नंदन साहू (अभि. सा. 3) गांव का सरपंच, जिवा लाल साहू (अभि. सा. 6) सहित कई व्यक्ति निकट के मकानों से पहुंचे और अपीलार्थी को पीड़िता के साथ बलात्कार करने के प्रयास किए जा सकने से पूर्व पकड़ लिया । अभि. सा. 1 और अन्य गांव वासियों का अभियोक्त्री के चीख-पुकार सुनकर तत्काल पहुंचने पर अपीलार्थी उसके साथ बलात्कार करने में सफल नहीं हो सका । ....."

जैसाकि उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को लड़की के साथ गुमती पर पहुंच कर तत्काल पकड़ा गया था जिससे वह बलात्कार करना चाहता था । तथापि, वर्तमान मामले में उसने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि अपीलार्थी बहुत आगे बढ़ गया था जैसाकि ऊपर चर्चित साक्ष्य से स्पष्ट है ।

(viii) **कोप्पुला वेंकटराव** (ए. आई. आर. 2004 एस. सी.) (उपरोक्त) वाले मामले का विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा अवलंब लिया गया । इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

"8. दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 की प्रयोज्यता के संबंध में अभिवाक् पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना अपेक्षित है । प्रत्येक अपराध में कार्य करने का प्रथम आशय होना चाहिए । दूसरा कार्य करने की तैयारी । तीसरा अपराध करने का प्रयास यदि तीसरे प्रक्रम पर अर्थात् प्रयास सफल हो जाता है तब अपराध पूरा माना जाएगा । यदि प्रयास विफल हो जाता है और अपराध पूरा नहीं होता परंतु विधि के अंतर्गत अपराध करने के प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है । धारा 511 अपराध किए जाने के प्रयास पर साधारण उपबंध के रूप में विचार किया जाता है । इसे अन्य विनिर्दिष्ट धाराओं द्वारा दंडनीय नहीं बनाया गया है । यह धारा अपराध करने के सभी प्रयासों को दंडनीय बनाता है जो कारावास से दंडनीय है जो मृत्यु दंड से संबंधित नहीं है । किसी प्रयास को दंडनीय बनाया जाता है क्योंकि प्रत्येक प्रयास सफलता से कम आंका गया है । इससे एक खतरे का आभास होता है जिससे स्वतः यदि कोई क्षति होती है तो अपराधी का दोषिता का आचरण

वैसा ही है मानों वह सफल हो गया था । दोषिता का आचरण दंड को न्यायसंगत करने के लिए क्षति के साथ देखा जाना चाहिए । यदि क्षति इतनी अधिक नहीं है मानों जिससे अपराध किया गया था तब केवल आधा दंड अधिनिर्णीत किया जाएगा ।

9. किसी अपराधी का अपराध कारित करने का प्रथम आशय होना चाहिए तब इसे करने के लिए तैयारी किया जाना चाहिए और इसके पश्चात् अपराध कारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए । यदि प्रयास सफल हो जाता है तो उसने अपराध किया है ; यदि अपने नियंत्रण के परे कारणों से वह विफल हो जाता है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने अपराध किए जाने का प्रयास किया । अपराध किए जाने का प्रयास को तब आरंभ होना कहा जा सकता है जब तैयारी पूरी कर ली जाती है और अपराधी अपराध किए जाने के आशय से कुछ करना प्रारंभ करता है जो अपराध किए जाने की ओर एक कदम है । जब वह क्षण जब वह आशय के साथ अपराध करना प्रारंभ करता है तब वह अपराध करने का अपना प्रयास प्रारंभ करता है । यह 'प्रयत्न' शब्द स्वतः परिभाषित नहीं है और इसलिए, इसका साधारण अर्थ लिया जाना चाहिए । यथावत रूप से धारा 511 के उपबंधों में जो कुछ अपेक्षित है । अपराध कारित करने का प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय तथा इसके कारित करने की तैयारी से विभेद किया गया । अपराध को कारित करने का मात्र आशय का किसी कार्य द्वारा पालन नहीं किया जाता और इससे अपराध गठित नहीं हो सकता है । ऐसे कार्य करने के लिए इच्छा से ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जब तक कि कोई बाहरी कार्य न हो जिससे यह दर्शित होता है कि इस दिशा में कोई उन्नति की गई है या इसको परिपक्व और प्रभावशाली बनाता हो । किसी उद्देश्य के प्रति आशय आचरण की दिशा है जिसे हेतु पर विचार करने के लिए चुना जाता है जो पसंद की ओर इंगित करता है । तैयारी के अंतर्गत अपराध को किए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था या उपाय अभिप्रेत है । यह प्रयत्न से व्यापक रूप से भिन्न है जो तैयारी किए जाने के पश्चात् अपराध किए जाने की ओर गति की दिशा है । अपराध किए जाने की तैयारी केवल तब दंडनीय है जब धारा 122 के अधीन (भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना) और धारा 399 (डकैती कारित करने की तैयारी करना) के अधीन अपराध किए जाने की तैयारी की जाती है । मात्र तैयारी

करना और प्रयत्न के बीच विभाजित रेखा कभी-कभार बहुत पतली होती है और जिस बात का प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विनिश्चय किया जाना चाहिए । तैयारी के साथ तुलना करते हुए प्रयत्न को निर्धारण करने की बड़ी डिग्री है ।

10. कोई अपराध किए जाने का प्रयत्न कोई ऐसा कार्य या कार्यों की शृंखला है जो अपरिहार्य रूप से अपराध किए जाने की ओर इंगित करता है जब तक कि कार्य के कर्ता द्वारा न जाना जाता हो और न ही इसको रोकना आशयित हो । प्रयत्न को आपराधिक षड्यंत्र के भाग रूप में निष्पादन किए जाने के कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत केवल तैयारी करना भी आता है परंतु वास्तविक निष्पादन करने की कमी । अपराध को पूरा करने में विफल होने के सिवाय मूलभूत अपराध के सभी तत्व इसके अंतर्गत आते हैं । दूसरे शब्दों में प्रयत्न के अंतर्गत अपराध करने का आशय भी आता है इसके अंतर्गत वास्तविक अपराध किया जाना या उसे पूरा न किया जाना भी आता है । परिणामस्वरूप यह परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्रयत्न किए गए कार्य के पूर्ण निष्पादन के परिणामस्वरूप इसे रोका नहीं गया है । धारा 511 में वर्णित दृष्टांत से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि विधान-मंडल का आशय मात्र तैयारी और प्रयत्न करने के मामलों के बीच भिन्नता प्रकट करना है ।

11. बलात्संग किए जाने के आशय से प्रयत्न किए जाने का अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकालने पर न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि अभियुक्त जब उसने अभियोक्त्री को पकड़ा था तब न केवल उसके शरीर से अपनी भूख को मिटाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका आशय सभी बातों को करना होना चाहिए और अभियोक्त्री की ओर से प्रतिरोध होते हुए भी बलात्संग करने के प्रयास में प्रायः हमला भी होना चाहिए । निष्कर्ष निकालने के लिए कि अभियुक्त के आचरण से हर प्रकार से अपने जुनून को संतोष देने के लिए अपनी अवधारणा को उपदर्शित होता है । सभी विरोधों के बावजूद तात्विक सामग्री विद्यमान होनी चाहिए । चारों ओर की परिस्थितियों से इस पहलू पर प्रकाश डाला जा सकता है ।"

(मेरे द्वारा अधोरेखांकित किया गया)

(ix) उपरोक्त बातों से और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट

रूप से यह प्रकट हुआ है कि यदि पीड़िता लड़की प्रतिरोध नहीं करती और यदि पुलिस सही समय पर नहीं पहुंच पाती तब अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का कार्य पूर्ण हो जाता । इसलिए, निःसंदेह अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 376/511 और 342 के अधीन अपराध का दोषी है ।

10. इन परिस्थितियों में मैं इस बारे में कोई कारण नहीं पाता हूं कि इस न्यायालय को क्यों त्वरित निपटान न्यायालय के निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करना चाहिए ।

11. परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है ।

12. खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

13. इस मामले के मूल अभिलेखों के साथ इस निर्णय की प्रति त्वरित निपटान न्यायालय पूर्वी और उत्तरी सिक्किम, गंगटोक को सम्यक् रूप से अनुपालन करने के लिए तत्काल भेजी जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2014) 2 दा. नि. प. 285 **हिमाचल प्रदेश**

मोहिन्दर पाल

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 22 मई, 2014

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 – चरस के ढेर की बरामदगी – यदि अभियोजन पक्षकथन को शासकीय साक्षियों के साक्ष्य से समर्थन नहीं मिलता हो और मामले में बड़े विभेद प्रकट हुए हों तो अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह, भारसाधक सी. आई. ए. स्टाफ, चम्बा अन्य पुलिस पदधारियों के साथ सौन मोड़ स्थान पर मौजूद थे ।

लगभग 9-10 बजे पूर्वाह्न पुलिस दल ने पहाड़ी की ओर से आ रहे दो व्यक्तियों को रोका । ये व्यक्ति पुलिस दल को देखकर परेशान हो गए और भागने की कोशिश की । वे अपने हाथों में पोलिथीन के थैले ला रहे थे । पुलिस दल का मुखिया सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने उन्हें पकड़ लिया और उनके थैलों की जांच की । उसमें स्वापक पदार्थ की भांति कुछ ठोस छड़ें पाई गई थीं । विनिषिद्ध माल चरस के रूप में पाया गया था । बरामद किया गया विनिषिद्ध माल दोनों थैलों में अलग-अलग 1 किलो 500 ग्राम का भार पाया गया था जो अभियुक्त अपने हाथों में ला रहे थे । औपचारिकताएं पूरी की गईं । भारसाधक अधिकारी ने बरामद विनिषिद्ध माल से अलग-अलग 25 ग्राम के दो नमूने पृथक्-पृथक् किए थे । नमूने और विनिषिद्ध माल के ढेर को मोहर "टी" से मोहरबंद किया गया था । मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसे साक्षी रमेश कुमार को सौंप दिया गया था । भारसाधक अधिकारी ने रुक्का तैयार किया और मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाने पर उसे भेज दिया । इसके पश्चात् अभियुक्त के साथ वाद सम्पत्ति को थाना भारसाधक अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था और उसने मोहर "ए" से उसे पुनः मोहरबंद किया और वाद सम्पत्ति को पुलिस मालखाना में रखा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् चालान तैयार किया गया था और विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने मामले को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथनों को अभिलिखित किया गया था । उन्होंने सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और मिथ्या फंसाए जाने की प्रतिरक्षा ली । विशेष न्यायाधीश, चम्बा खंड, चम्बा जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया । अभियुक्तों द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुस्थिर विधि है कि शासकीय साक्षियों के कथनों के आधार पर यदि उनके कथन विश्वास से प्रेरित हैं तो दोषसिद्धि की जा सकती है । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्षकथन का विजय कुमार और रमेश कुमार द्वारा समर्थन नहीं किया गया है । अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों से विनिषिद्ध माल विजय कुमार और रमेश कुमार की मौजूदगी में बरामद किया गया था और मोहर लगाने की कार्यवाही उनकी मौजूदगी

में पूरी की गई थी । तथापि, उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया । मामले में बड़े विभेद प्रकट हुए हैं जैसाकि इसमें ऊपर कथित है । कांस्टेबल सुरिन्दर कुमार, कांस्टेबल मनोहर लाल, रंजीत सिंह तथा कांस्टेबल राज किरन के कथनों में उस रीति का उल्लेख किया गया जिसमें अभियुक्तों को 9-10 बजे पूर्वाह्न सौन मोड़ पर गिरफ्तार किया गया था । तद्नुसार, ऊपर चर्चा को ध्यान में रखते हुए इसमें उपरोक्त बातों का विश्लेषण करके अपीलें मंजूर की जाती हैं । 2008 के सेशन मामला सं. 4 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश, चम्बा खंड, चम्बा द्वारा दिए गए तारीख 31 जुलाई, 2008 का निर्णय अपास्त किया जाता है । अभियुक्तों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि पहले ही कोई जुर्माने की रकम जमा करवाई गई है तो वह अभियुक्तों को वापस लौटाई जाए । अभियुक्त को तत्काल निर्मुक्त किया जाता है । (पैरा 22 और 23)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 519 साथ में 2009 की दांडिक अपील सं. 26.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री अनूप चितकारा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पी. एम. नेगी, उप-महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – 2008 के सेशन मामला सं. 4 में विशेष न्यायाधीश, चम्बा खंड, चम्बा द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2008 को दिए गए एक ही निर्णय के विरुद्ध ये दोनों अपीलें फाइल की गई हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सुविधा के दृष्टिकोण से "अभियुक्त" कहा गया है) जिन्हें स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित किया गया था और उनका विचारण किया गया था, उनमें से प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा साथ ही अलग-अलग एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उन्हें अलग-अलग एक वर्ष के साधारण कारावास भोगने के लिए आदेश दिया गया था ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20

अक्तूबर, 2007 को सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह, भारसाधक सी. आई. ए. स्टाफ, चम्बा अन्य पुलिस पदधारियों के साथ सौन मोड़ स्थान पर मौजूद थे । लगभग 9-10 बजे पूर्वाह्न पुलिस दल ने पहाड़ी की ओर से आ रहे दो व्यक्तियों को रोका । ये व्यक्ति पुलिस दल को देखकर परेशान हो गए और भागने की कोशिश की । वे अपने हाथों में पोलिथीन के थैले ला रहे थे । पुलिस दल का मुखिया सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने उन्हें पकड़ लिया और उनके थैलों की जांच की । उसमें स्वापक पदार्थ की भांति कुछ ठोस छड़ें पाई गई थीं । विनिषिद्ध माल चरस के रूप में पाया गया था । बरामद किया गया विनिषिद्ध माल दोनों थैलों में अलग-अलग 1 किलो 500 ग्राम का भार पाया गया था जो अभियुक्त अपने हाथों में ला रहे थे । औपचारिकताएं पूरी की गईं । भारसाधक अधिकारी ने बरामद विनिषिद्ध माल से अलग-अलग 25 ग्राम के दो नमूने पृथक्-पृथक् किए थे । नमूने और विनिषिद्ध माल के ढेर को मोहर "टी" से मोहरबंद किया गया था । मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसे साक्षी रमेश कुमार को सौंप दिया गया था । भारसाधक अधिकारी ने रुक्का तैयार किया और मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाने पर उसे भेज दिया । इसके पश्चात् अभियुक्त के साथ वाद सम्पत्ति को थाना भारसाधक अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था और उसने मोहर "ए" से उसे पुनः मोहरबंद किया और वाद सम्पत्ति को पुलिस मालखाना में रखा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् चालान तैयार किया गया था और विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने मामले को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथनों को अभिलिखित किया गया था । उन्होंने सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और मिथ्या फंसाए जाने की प्रतिरक्षा ली । विशेष न्यायाधीश, चम्बा खंड, चम्बा जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया ।

4. श्री अनूप चितकारा ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है ।

5. विद्वान् उप-महाधिवक्ता श्री पी. एम. नेगी ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय का समर्थन किया है ।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना तथा अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

7. विजय कुमार (अभि. सा. 1) और रमेश कुमार (अभि. सा. 2) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

8. विजय कुमार (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे तारीख और महीना याद नहीं है परंतु वर्ष 2007 में ऐसा हुआ था । वह गाटे स्थान पर अपनी गाड़ी का पंचर टायर को बदला रहा था । एक पुलिस व्यक्ति उसके पास आया और उसे दुकान पर ले गया तथा उससे खाली कागजातों तथा कपड़ों के सादे टुकड़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा । उसके समक्ष अभियुक्तों से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि न तो उसका कथन अभिलिखित किया गया और न उसने पुलिस के समक्ष कोई कथन किया था । उसने चिह्न "क" की अंतर्वस्तु से इनकार किया है और उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि विनिषिद्ध माल चिह्न "ख" द्वारा कब्जे में लिया गया था । तथापि, उसने लाल रंग के घेरे में अपने हस्ताक्षरों की पहचान की । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि अभियुक्त मोहिन्दर पाल से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी तथा अभियुक्त सुरेन्द्र पाल से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि पुलिस ने चरस के ढेर से नमूने पृथक्-पृथक् किए थे । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि चरस के ढेर और नमूने पार्सल को अलग-अलग मोहर "डी" से मोहरबंद किया गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि विशेष मोहर की छाप कपड़े के टुकड़े पर ली गई थी तथा एनसीबी प्ररूप को भरने के पश्चात् मोहर उसके सुपुर्द कर दी गई थी । पुलिस ने कपड़े के सादे टुकड़ों पर उसके हस्ताक्षर लिए थे । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसके हस्ताक्षर चरस के ढेर तथा नमूने पार्सलों पर भी कराए गए थे । उसने दोनों चरस के ढेरों के पार्सलों पर चिह्न "सी" और "डी" तथा नमूने पार्सल "ई", "एफ", "जी" और "एच" लाल रंग के घेरे पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की थी । उसने लाल रंग के घेरे चिह्न "जे" और "के" पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की थी । पुनः यह दोहराया कि उसने अपने हस्ताक्षर कपड़ों के सादे टुकड़ों पर किए थे । उसने इस बात से भी

इनकार किया है कि अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद थे ।

9. रमेश कुमार (अभि. सा. 2) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि एक वर्ष पूर्व 3-4 पुलिस व्यक्ति उसकी दुकान पर आए थे और उससे खाली कागजातों तथा सादे सफेद कपड़े के टुकड़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने चरस बरामद की थी । अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक को उससे प्रतिपरीक्षा करने के लिए अनुज्ञात किया गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि पुलिस द्वारा उसे सौन मोड़ पर समन किया गया था जहां पुलिस ने चरस को तोला था और दो पृथक् पोलिथीन लिफाफे बरामद किए थे । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि बरामद किया गया विनिषिद्ध माल को उसके समक्ष तोला गया था जो अलग-अलग 1 किलो 500 ग्राम पाया गया था, पोलिथीन थैलों में लपेटा गया था । उसने चिह्न "एल" की अंतर्वस्तु से भी इनकार किया है । उसके अनुसार उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई कथन नहीं किया है । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि 25 ग्राम के अलग-अलग दो नमूने उसकी उपस्थिति में लिए गए थे । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि चरस के ढेर और पार्सलों पर पुलिस द्वारा उसके समक्ष मोहर "टी" से मोहरबंद किया गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि बरामद किया गया विनिषिद्ध माल अभिग्रहण ज्ञापन चिह्न "बी" के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । उसने इस बात से इनकार किया कि चरस के ढेर और नमूनों को उसके समक्ष मोहरबंद किया गया था । उसने चरस के ढेर चिह्न "सी" से "डी" तथा नमूनों पर चिह्न "ई" से "एच" पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की । उसके अनुसार पुलिस द्वारा कपड़ों के टुकड़ों पर हस्ताक्षर लिए गए थे ।

10. सुरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को वह सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह, हेड कांस्टेबल तिलक राज, कांस्टेबल दया सिंह, मनोहर लाल तथा राजकुमार के साथ लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न सौन नाला पर उपस्थित था । उसी बीच में पहाड़ी की ओर से दो व्यक्ति आए । वे अपने हाथों में पोलिथीन थैले ला रहे थे । उन्हें रोका गया था और उनके थैलों की जांच की गई थी । उन्हें उनके द्वारा लाए गए थैलों को खोलने का निदेश दिया गया । सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने थैलों में छड़ों के आकार की चरस पाई थी और प्रत्येक थैले में 1 किलो 500 ग्राम भार की चरस पाई गई थी । 25 ग्राम

के दो अलग-अलग नमूने लिए गए थे । सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने भिन्न-भिन्न पैकेटों में पार्सलों को मोहरबंद किया था । चरस के ढेर को अलग मोहरबंद किया गया था । विनिषिद्ध माल को मोहर "टी" से मोहर-बंद किया गया । एनसीबी प्ररूपों को भरने के पश्चात् मोहर रमेश कुमार को दी गई थी । चरस के ढेर और नमूनों को ज्ञापन चिह्न "बी" के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । इसके पश्चात् सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने रुक्का तैयार किया । उसने उसे इसे सौंप दिया । वह उसे लेकर पुलिस थाना चम्बा गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे 1.00 बजे पूर्वाह्न (मध्य रात्रि) पर चम्बा के लिए चले थे । वे पैदल सुलतानपुर गए और सुलतानपुर से वे गाड़ी में गए थे । उसके अनुसार सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने सबसे पहले अभियुक्त को देखा था और अभियुक्त मोहिन्दर पाल को पहले गिरफ्तार किया गया था । पुलिस को इस बात का कोई संदेह नहीं था कि अभियुक्त चरस ले जा रहे हैं । पुलिस के पास चरस के परिवहन के बारे में पूर्व में कोई सूचना नहीं थी । अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त की तलाशी लेने से पूर्व अभियुक्त या साक्षियों के समक्ष अपनी तलाशी नहीं दी । उसने स्वयं यह कथन किया है कि अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त की तलाशी नहीं ली थी परंतु अभियुक्त मोहिन्दर पाल ने स्वैच्छया से अपने थैले को खोला था । कांस्टेबल बाट माप की व्यवस्था के लिए 9.10 बजे पूर्वाह्न गया था और वह 1/2 घंटे बाद वापस लौटा । उसे समय के बारे में ज्ञात नहीं है जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा रुक्का लिखा गया था । उसने 10.45 बजे पूर्वाह्न रुक्के को लिया और 11.40 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाने पर पहुंचा । उसे वह समय याद नहीं है जब वह वापस सौन नाला पर पहुंचा । वे 6-7 बजे अपराह्न घटनास्थल पर वापस पहुंचे ।

11. मनोहर लाल (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दो व्यक्ति पहाड़ की ओर से घटनास्थल पर पहुंचे । वे अपने हाथों में पोलिथीन थैले ला रहे थे । सहायक उप-निरीक्षक ने अभियुक्त द्वारा लाए गए थैलों की जांच की और उनमें चरस पाई गई और औपचारिकताएं पूरी की गईं । चरस का ढेर और नमूने सम्यक् रूप से मोहरबंद किए गए थे । रुक्का तैयार किया गया था । रुक्के की प्रति सूचना के लिए चम्बा भेजी गई थी । उसने रुक्के को लिया और उसी दिन पुलिस अधीक्षक के रीडर, चम्बा को सौंप दिया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि सहायक उप-निरीक्षक द्वारा सबसे पहले अभियुक्त मोहिन्दर पाल को रोका गया था । उन

दोनों को एकसाथ रोका गया था । अभियुक्त मोहिन्दर पाल को पहले पकड़ा गया था । सहायक उप-निरीक्षक को यह संदेह था कि अभियुक्त का चरस लाना हो सकता है । सहायक उप-निरीक्षक ने अभियुक्त से यह नहीं कहा था कि वे राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट या पुलिस के समक्ष अपनी तलाशी देना चाहते हैं । सहायक उप-निरीक्षक ने अभियुक्तों की तलाशी लेने से पूर्व अभियुक्त तथा साक्षियों के समक्ष अपनी तलाशी दी थी और अभियुक्त मोहिन्दर पाल की पहले तलाशी ली गई । कांस्टेबल 9.15 बजे पूर्वाह्न बाट और माप की व्यवस्था करने के लिए गया था और साक्षियों को बुलाने के लिए गया था । वह 20-25 मिनट में बाट, माप और साक्षियों के साथ पहुंचा । रुक्का 10.45 बजे पूर्वाह्न तैयार किया गया था और उसे 11.40 बजे पूर्वाह्न पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, चम्बा में सौंपा गया था ।

12. दीपक कुमार (अभि. सा. 5) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को सी. आई. ए. स्टाफ से सहायक उप-निरीक्षक ने दो बड़े पार्सल, चार छोटे पार्सल और एनसीबी प्ररूप थाना भारसाधक अधिकारी जितेन्द्र कुमार को पेश किए थे । इन पार्सलों को "टी" मोहर की छाप से सम्यक् रूप से मोहरबंद किया गया था । थाना भारसाधक अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने इन नमूनों तथा चरस के ढेर के पार्सल को मोहर "क" से पुनः मोहरबंद किया था और मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसे सौंप दी गई थी । पुनः मोहर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क तैयार किया गया था । उसने उस पर हस्ताक्षर किए । थाना भारसाधक अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने कपड़े के टुकड़े पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख में मोहर के नमूने की छाप ली थी । उसने उस पर भी हस्ताक्षर किया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने थाना भारसाधक अधिकारी जितेन्द्र कुमार के समक्ष 7.30 बजे अपराह्न वाद सम्पत्ति प्रस्तुत की थी । मोहर "क" लाख से लगाई गई थी । वह उस मोहर को नहीं लाया था जो निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी द्वारा उसे सौंपी गई थी ।

13. कांस्टेबल ओम प्रकाश (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को कांस्टेबल मनोहर लाल 11.40 बजे पूर्वाह्न रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क की प्रति लाया था । उसने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शिव पाल सिंह वर्मा के समक्ष इसे पेश किया था ।

14. रमेश चन्द (अभि. सा. 7) दैनिक डायरी, आरसी और प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर मालखाने पर लाया था । उसके अनुसार सुरिन्दर कुमार रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क पुलिस स्टेशन पर लाया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख रजिस्ट्रीकृत की गई थी । निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने उसके पास दो चरस के ढेर के पार्सल चार छोटे नमूने पार्सल जिस पर सम्यक् रूप से मोहर "टी" और "ए" से मोहरबंद किया गया था, जमा की । एनसीबी प्ररूप, बरामदगी ज्ञापन मोहर छाप का नमूना उसके पास जमा किए गए थे जिन्हें उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर क्रम सं. 473 में दर्ज किया गया था । तारीख 21 अक्तूबर, 2007 को दो नमूने पार्सल, दो मोहर छाप के नमूने, एनसीबी प्ररूप, बरामदगी ज्ञापन, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति उसके द्वारा कांस्टेबल मेहर सिंह सं. 295 आरसी सं. 165/2007 द्वारा भेजे गए थे । उसने उन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ग द्वारा वापस कर दिया ।

15. कांस्टेबल मेहर सिंह (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 21 अक्तूबर, 2007 को उसने उसे दो नमूने पार्सल, एनसीबी प्ररूप, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति, अभिग्रहण ज्ञापन, मोहर छाप का नमूना, न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा में जमा करने के लिए आरसी सं. 165/2007 के माध्यम से भेजा गया था । उसने उन्हें तारीख 23 अक्तूबर, 2007 को जमा कर दिया और मुहर्रिर हेड कांस्टेबल को वापस कर दी ।

16. निरीक्षक जितेन्द्र कुमार (अभि. सा. 9) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को कांस्टेबल सुरिन्दर कुमार रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क लाया था और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख रजिस्ट्रीकृत की थी । इसके पश्चात् उसने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क पर पृष्ठांकन किया था और केस फाइल उसको वापस कर दी थी । उसी दिन 7.30 बजे अपराह्न सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने उसके समक्ष दो चरस के ढेर से पार्सल जिनमें 1 किलो 450 ग्राम चरस थी और चरस को अलग-अलग मोहर "टी" से मोहरबंद किया गया था, चार नमूने पार्सल जिन्हें मोहर "टी" से मोहर बंद किया गया था और आठ मोहर छाप के नमूने और छह एनसीबी प्ररूप पेश किए थे । उसने कांस्टेबल दीपक कुमार के समक्ष अपनी मोहर से सभी पार्सलों को पुनः मोहरबंद किया था, देखिए पुनः मोहर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क । मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसे कांस्टेबल दीपक कुमार को सौंप दिया था । उसने एनसीबी प्ररूपों पर अपनी मोहर की छाप भी लगाई थी और एनसीबी प्ररूप पर पुनः मोहर लगाने के संबंध में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ख के माध्यम से प्रविष्टि भी की

थी । उसने उस पर हस्ताक्षर किया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन पर पुनः मोहर लगाने में 10 मिनट लगे थे । पुनः मोहर लगाने के पश्चात् वाद सम्पत्ति मुहर्रिर हेड कांस्टेबल एमएचसी के पास जमा कर दी थी तथापि, उसे उस समय के बारे में याद नहीं है ।

17. उप-निरीक्षक दीवान चन्द (अभि. सा. 10) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 10 जनवरी, 2008 को सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह द्वारा उसके समक्ष केस फाइल प्रस्तुत की गई थी । उसने चालान तैयार किया और न्यायालय में उसे प्रस्तुत कर दिया ।

18. सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह (अभि. सा. 11) अन्वेषक अधिकारी है । उसके अनुसार तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को वह हेड कांस्टेबल तिलक राज, कांस्टेबल सुरिन्दर कुमार, राज किरन, दया सिंह और मनोहर लाल के साथ गश्त पर था जब वे लगभग 9.10 बजे पूर्वाह्न सौन मोड़ पर पहुंचे दो व्यक्ति जो पहाड़ की तरफ से आ रहे थे उन्हें रोका गया वे अपने हाथों में पोलिथीन थैले ला रहे थे और वे परेशान दिख रहे थे । उसने उन्हें अन्य पुलिस पदधारियों की सहायता से पकड़ लिया । उसने अभियुक्त द्वारा लाए गए थैलों को खोला । उसने छड़ों के आकार में उन थैलों में चरस पाई थी । उसने कांस्टेबल राज किरन को स्थानीय साक्षी तथा बाट और माप की व्यवस्था करने के लिए तैनात किया था । कुछ समय के पश्चात् कांस्टेबल राज किरन स्वतंत्र साक्षी अर्थात् रमेश कुमार और विजय कुमार को अपने साथ लेकर पहुंचा । थैलों में रखा गया विनिषिद्ध माल को अलग-अलग तौला गया था और प्रत्येक का 1-1/2 किलोग्राम भार था । इसके पश्चात् उसने बरामद किए गए विनिषिद्ध माल से अलग-अलग दो नमूने लिए । दोनों चरस के ढेर के पार्सल तथा चार नमूने पार्सल मोहर "टी" से मोहरबंद किए गए थे । उसने कपड़े के टुकड़े पर मोहर की छाप का नमूना भी लगाया था । मोहर को प्रयोग करने के पश्चात् उसे अभि. सा. रमेश कुमार को सौंप दिया । उसने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क तैयार किया था और इसे मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाना, चम्बा भेजा गया था । उसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख भी तैयार किया । अभियुक्तों को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में बताया गया था । उसने कालम सं. 1 से 8 को भरा था और बाकी कालम थाना भारसाधक अधिकारी पुलिस, चम्बा द्वारा कालम सं. 12 को छोड़कर भरे गए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने लगभग 30 फीट की दूरी से अभियुक्त को देखा था । पुलिस दल द्वारा

अभियुक्तों को असामान्य व्यवहार के कारण उन्हें पकड़ा गया था, सबसे पहले पुलिस दल ने अभियुक्त मोहिन्दर पाल को पकड़ा और उसके पश्चात् सुरिन्दर पाल को पकड़ा । अन्वेषण पूरा करने में लगभग 3 घंटे लगे थे और स्वयं यह कथन किया है कि सम्पूर्ण कार्यवाहियां लगभग 12.30 बजे दोपहर में पूरी हुई थीं । पुलिस दल वाद सम्पत्ति और अभियुक्तों सहित 7.30 बजे अपराह्न पुलिस थाना, चम्बा पर वापस लौटी । मोहर "टी" छल्ले के आकार में थी और यह चांदी की बनी हुई थी ।

19. कांस्टेबल राज किरन (अभि. सा. 12) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को वह सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह तथा अन्य पुलिस पदधारियों के साथ गश्त ड्यूटी पर था । लगभग 9.10 बजे पूर्वाह्न दो व्यक्ति पहाड़ी की ओर से आ रहे थे । पुलिस दल द्वारा उन्हें देखा गया और उन्होंने भागने की कोशिश की । वे अपने हाथों में थैला ले जा रहे थे । पुलिस दल ने उन्हें पकड़ लिया । अन्वेषक अधिकारी द्वारा औपचारिकताएं पूरी की गई थीं । बरामद किया गया विनिषिद्ध माल अलग-अलग थैलों में 1 किलो 500 ग्राम था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सहायक उप-निरीक्षक की जानकारी में पहले अभियुक्त आए जब अभियुक्त ने भागने की कोशिश की तब संदेह प्रकट हुआ और अभियुक्त मोहिन्दर पाल को पहले पकड़ा गया । वह बाट और माप की व्यवस्था करने के लिए गया ।

20. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने से जो कुछ भी प्रकट हुआ यह है कि विजय कुमार (अभि. सा. 1) और रमेश कुमार (अभि. सा. 2), स्वतंत्र साक्षियों ने किसी भी प्रकार अभियोजन साक्षियों का समर्थन नहीं किया है । उनके अनुसार पुलिस ने खाली कागजातों और सादे सफेद कपड़े के टुकड़ों पर उनके हस्ताक्षर लिए थे । विजय कुमार (अभि. सा. 1) ने इस बात से इनकार किया है कि विनिषिद्ध माल को ज्ञापन चिह्न "ख" द्वारा कब्जे में लिया गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि पुलिस ने उनकी मौजूदगी में चरस को तोला था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त मोहिन्दर पाल से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी तथा अभियुक्त सुरिन्दर पाल से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि पुलिस ने चरस के ढेर से अलग-अलग नमूने लिए थे । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि चरस के ढेर और नमूने पर उन्हें मोहर "टी" मोहरबंद किया गया था । उसने इस सुझाव से भी इनकार

किया है कि चरस के ढेर और पार्सलों पर पुनः मोहर लगाने के पश्चात् उसने उन पर अपने हस्ताक्षर किए थे । इसी तरह, रमेश कुमार (अभि. सा. 2) ने इस सुझाव से इनकार किया है कि पुलिस द्वारा तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को सौन मोड़ पर उसे बुलाया गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि विनिषिद्ध माल उसके समक्ष तोला गया था और जो अलग-अलग 1 किलो 500 ग्राम पाया गया था जिन्हें पोलिथीन के लिफाफे में लपेटा गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि प्रत्येक चरस के ढेर से पुलिस ने उसके समक्ष अलग-अलग 25 ग्राम के दो नमूने लिए थे । उसने लाल रंग के घेरे बिन्दु ख-1 व चरस के ढेर के "सी" और "डी" और नमूना पार्सल चिह्न "ई" से "एच" पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथापि, दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उनके हस्ताक्षर सादे कागजात और कपड़े के टुकड़ों पर लिया गया था ।

21. कांस्टेबल सुरिन्दर कुमार (अभि. सा. 3) के अनुसार दो व्यक्ति पहाड़ की ओर से पहुंचे । वे अपने हाथों में पोलिथीन के थैले लेकर चल रहे थे । उन्हें रोका गया था और सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह द्वारा उनके थैलों की जांच की गई थी । उन्हें थैले खोलने का निदेश दिया गया था । कांस्टेबल मनोहर लाल (अभि. सा. 4) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि दो व्यक्ति पहाड़ की ओर से पहुंचे और वे अपने हाथों में पोलिथीन के थैले ला रहे थे । सहायक उप-निरीक्षक ने अभियुक्त के थैलों की जांच की । उनमें चरस पाई गई थी । सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पहाड़ की ओर से आ रहे दो व्यक्तियों को रोका गया था वे अपने हाथों में पोलिथीन के थैले ला रहे थे । पुलिस दल को देखकर वे भयभीत हो गए और भागने की कोशिश करने लगे । उसने पुलिस पदधारियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया । सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह (अभि. सा. 11) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने उन्हें लगभग 30 फीट की दूरी से देखा था । पुलिस द्वारा उनके असामान्य व्यवहार के कारण उन्हें पकड़ लिया गया था । सबसे पहले पुलिस ने अभियुक्त मोहिन्दर पाल को पकड़ा और इसके पश्चात् अभियुक्त सुरिन्दर पाल को पकड़ा गया था । कांस्टेबल राज किरन (अभि. सा. 12) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दो व्यक्ति पहाड़ की ओर से आते हुए देखे गए थे । जिन्होंने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशिश की । वे अपने हाथों में पोलिथीन के थैले ला रहे थे । पुलिस दल

ने उन्हें पकड़ लिया था । अभि.सा. 3 और अभि. सा. 4 के अनुसार अभियुक्तों को रोका गया था और सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने उनके थैलों की जांच की । तथापि, अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के कथनों के अनुसार अभियुक्तों ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की परंतु पुलिस कार्मिक द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया । मनोहर लाल (अभि. सा. 4) ने यह स्वीकार किया है कि अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्तों की तलाशी लेने से पूर्व अभियुक्त या साक्षियों के समक्ष अपनी तलाशी नहीं दी थी । यद्यपि, अन्वेषक अधिकारी ने स्वैच्छया से अभियुक्त की तलाशी नहीं ली थी परंतु अभियुक्त मोहिन्दर पाल ने स्वेच्छया से अपना थैला खोल दिया था । कांस्टेबल दीपक कुमार (अभि. सा. 5) के अनुसार पार्सलों पर "टी" मोहर की छाप सम्यक् रूप से लगाई गई थी और थाना भारसाधक अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने मोहर "क" से नमूने और चरस के ढेर के पार्सलों पर पुनः मोहर लगाई थी । मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसको सौंप दी गई थी । पुनः मोहर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क तैयार किया गया । उसने उस पर हस्ताक्षर किए । तथापि, वह मोहर को नहीं लाया था जो उसे थाना भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपी गई थी । कांस्टेबल रमेश चन्द्र (अभि. सा. 7) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2007 को लगभग 8.00 बजे अपराह्न निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने दो चरस के ढेर के पार्सल, चार छोटे नमूने पार्सल जिनमें सम्यक् रूप से मोहर "टी" और "ए" लगाई गई थी । एनसीबी प्ररूप, बरामदगी ज्ञापन मोहर के नमूने छाप उसके पास जमा किए गए थे, उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर की क्रम सं. 473 में उनकी प्रविष्टि की गई थी । निरीक्षक जितेन्द्र कुमार (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि सहायक उप-निरीक्षक रंजीत सिंह ने उसके समक्ष दो चरस के ढेर के पार्सल जिन्हें अलग-अलग 1 किलो 450 ग्राम चरस के रूप में रखा गया था उन पर मोहर "टी" से मोहरबंद करके तथा मोहर "टी" चार नमूने पार्सल सम्यक् रूप से मोहरबंद किए गए, आठ मोहर की छाप के नमूने तथा छह एनसीबी प्ररूप पेश किए गए थे । उसने कांस्टेबल दीपक कुमार के समक्ष अपनी मोहर से सभी पार्सलों को पुनः मोहरबंद कर दिया (देखिए पुनः मोहर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क) । मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसे कांस्टेबल दीपक कुमार को सौंप दिया गया था परंतु इसमें ऊपर जैसा पहले ही उल्लेख किया गया है । कांस्टेबल दीपक कुमार (अभि. सा. 5) ने मोहर पेश नहीं की । निरीक्षक जितेन्द्र कुमार (अभि. सा. 9) ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसने अपनी मोहर "ए" लगाई थी । उसने केवल यह अभिसाक्ष्य दिया

है कि उसने कांस्टेबल दीपक कुमार के समक्ष पार्सलों को पुनः मोहरबंद किया था ।

22. यह सुस्थिर विधि है कि शासकीय साक्षियों के कथनों के आधार पर यदि उनके कथन विश्वास से प्रेरित हैं तो दोषसिद्धि की जा सकती है । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्षकथन का विजय कुमार (अभि. सा. 1) और रमेश कुमार (अभि. सा. 2) द्वारा समर्थन नहीं किया गया है । अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों से विनिषिद्ध माल विजय कुमार (अभि. सा. 1) और रमेश कुमार (अभि. सा. 2) की मौजूदगी में बरामद किया गया था और मोहर लगाने की कार्यवाही उनकी मौजूदगी में पूरी की गई थी । तथापि, उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया । मामले में बड़े विभेद प्रकट हुए हैं जैसाकि इसमें ऊपर कथित है । कांस्टेबल सुरिन्दर कुमार (अभि. सा. 3), कांस्टेबल मनोहर लाल (अभि. सा. 4), रंजीत सिंह (अभि. सा. 11) तथा कांस्टेबल राज किरन (अभि. सा. 12) के कथनों में उस रीति का उल्लेख किया गया जिसमें अभियुक्तों को 9-10 बजे पूर्वाह्न सौन मोड़ पर गिरफ्तार किया गया था ।

23. तद्नुसार, ऊपर चर्चा को ध्यान में रखते हुए इसमें उपरोक्त बातों का विश्लेषण करके अपीलें मंजूर की जाती हैं । 2008 के सेशन मामला सं. 4 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश, चम्बा खंड, चम्बा द्वारा दिए गए तारीख 31 जुलाई, 2008 का निर्णय अपास्त किया जाता है । अभियुक्तों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि पहले ही कोई जुर्माने की रकम जमा करवाई गई है तो वह अभियुक्तों को वापस लौटाई जाए । अभियुक्त को तत्काल निर्मुक्त किया जाता है ।

24. हम श्री अनूप चितकारा, अधिवक्ता द्वारा की गई सहायता की प्रशंसा करते हैं, और अभिलेख पर रखते हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

(1986 का अधिनियम संख्यांक 29)

[23 मई, 1986]

पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून, 1972 में स्टाकहोम में हुआ था और जिसमें भारत ने भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं ;

यह आवश्यक समझा गया है कि पूर्वोक्त निर्णयों को, जहां तक उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण और सुधार से तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और संपत्ति को होने वाले परिसंकट के निवारण से है, लागू किया जाए ;

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "पर्यावरण" के अंतर्गत जल, वायु और भूमि है और वह अंतर-संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है ;

(ख) "पर्यावरण प्रदूषक" से ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है ;

(ग) "पर्यावरण प्रदूषण" से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है ;

(घ) किसी पदार्थ के संबंध में, "हथालना" से अभिप्रेत है ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया ;

(ङ) "परिसंकटमय पदार्थ" से ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक गुणों के या हथालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानि कारित कर सकती है ;

(च) किसी कारखाने या परिसर के संबंध में "अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वह पदार्थ है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

अध्याय 2
केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियां

3. केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए, उपाय करने की शक्ति – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपाय हो सकेंगे, अर्थात् :–

(i) राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों की, –

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन,

कार्रवाइयों का समन्वय ;

(ii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना ;

(iii) पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी क्वालिटी के लिए मानक अधिकथित करना ;

(iv) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के मानक अधिकथित करना :

परन्तु ऐसे स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण की क्वालिटी या सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न स्रोतों से उत्सर्जन या निस्सारण के लिए इस खंड के अधीन भिन्न-भिन्न मानक अधिकथित किए जा सकेंगे ;

(v) उन क्षेत्रों का निर्बन्धन जिनमें कोई उद्योग संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे ;

(vi) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय अधिकथित करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारी उपाय अधिकथित करना ;

(vii) परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय अधिकथित करना ;

(viii) ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थों की परीक्षा करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है ;

(ix) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना ;

(x) किसी परिसर, संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रिया, सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्तियों को, आदेश द्वारा, ऐसे निदेश देना जो वह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे ;

(xi) ऐसे कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण प्रयोग-शालाओं और संस्थाओं की स्थापना करना या उन्हें मान्यता देना, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं को सौंपे जाएं ;

(xii) पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों की बाबत जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना ;

(xiii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथप्रदर्शिकाएं तैयार करना ;

(xiv) ऐसे अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों के (जिनके अंतर्गत धारा 5 के अधीन निदेश देने की शक्ति है) प्रयोग और निर्वहन के प्रयोजनों के लिए और उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे विषयों की बाबत उपाय करने के लिए जो आदेश में उल्लिखित किए जाएं, प्राधिकरण या प्राधिकरणों का ऐसे नाम या नामों से गठन कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं और केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेंगे या ऐसे आदेश में इस प्रकार उल्लिखित उपाय ऐसे कर सकेंगे मानों ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग या उन कृत्यों का निर्वहन करने या ऐसे उपाय करने के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए गए हों ।

4. अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य – (1) धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे पदाभिधानों सहित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सरकार के या यदि उस सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए तो, धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित प्राधिकरण या प्राधिकरणों, यदि कोई हों, के अथवा किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन होंगे ।

5. निदेश देने की शक्ति – केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेश देने की शक्ति के अंतर्गत, –

(क) किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बन्द करने, उसका प्रतिषेध या विनियमन करने का निदेश देने की शक्ति है ; या

(ख) विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने या विनियमन करने का निदेश देने की शक्ति है ।

[1][**5क. राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील** – कोई व्यक्ति जो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 5 के अधीन जारी किन्हीं निदेशों से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अपील फाइल कर सकेगा ।]

6. पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में

---

[1] 2010 के अधिनियम सं. 19 की धारा 36/अनु. द्वारा अंत:स्थापित ।

अधिसूचना द्वारा, धारा 3 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों की बाबत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए वायु, जल या मृदा की क्वालिटी के मानक ;

(ख) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की (जिनके अंतर्गत शोर है) सांद्रता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा ;

(ग) परिसंकटमय पदार्थों के हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ;

(घ) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में परिसंकटमय पदार्थों के हथालने पर प्रतिषेध और निर्बन्धन ;

(ङ) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संक्रियाएं चलाने वाले उद्योगों के अवस्थान पर प्रतिषेध और निर्बन्धन ;

(च) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचार उपायों का उपबंध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ।

अध्याय 3
पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन

7. उद्योग चलाने, संक्रिया, आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना – कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाता है या कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है, ऐसे मानकों से अधिक जो विहित किए जाएं किसी पर्यावरण प्रदूषक का निस्सारण या उत्सर्जन नहीं करेगा अथवा निस्सारण या उत्सर्जन करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

8. परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का पालन किया जाना – कोई व्यक्ति किसी परिसंकटमय पदार्थ को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपायों का अनुपालन करने

के पश्चात् हो, जो विहित किए जाएं, हथालेगा या हथालने देगा, अन्यथा नहीं ।

9. कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना – (1) जहां किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित कार्य या घटना के कारण किसी पर्यावरण प्रदूषक का निस्सारण विहित मानकों से अधिक होता है या होने की आशंका है वहां ऐसे निस्सारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और उस स्थान का, जहां ऐसा निस्सारण होता है या होने की आशंका है, भारसाधक व्यक्ति, ऐसे निस्सारण के परिणामस्वरूप हुए पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आबद्ध होगा, और ऐसे प्राधिकरणों को या अभिकरणों को जो विहित किए जाएं, –

(क) ऐसी घटना के तथ्य की या ऐसी घटना होने की आशंका की जानकारी तुरन्त देगा ; और

(ख) यदि अपेक्षा की जाए तो, सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार की किसी घटना के तथ्य की या उसकी आशंका के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर चाहे ऐसी सूचना उस उपधारा के अधीन जानकारी द्वारा मिले या अन्यथा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अभिकरण, यावत्साध्य शीघ्र, ऐसे उपचारी उपाय कराएंगे जो पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपचारी उपाय करने के संबंध में किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हों, उस तारीख से जब व्ययों के लिए मांग की जाती है उस तारीख तक के लिए जब उनका संदाय कर दिया जाता है ब्याज सहित (ऐसी उचित दर पर जो सरकार आदेश द्वारा, नियत करे) ऐसे प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया या लोक मांग के रूप में वसूल किए जा सकेंगे ।

10. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां – (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जो वह आवश्यक समझे किसी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजन के लिए प्रवेश करे, अर्थात् :–

(क) उसे सौंपे गए केन्द्रीय सरकार के कृत्यों में से किसी का पालन करना ;

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का पालन किया जाना है और यदि हां तो किस रीति से किया जाना है या क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का या इस अधिनियम के अधीन तामील की गई सूचना, निकाले गए आदेश, दिए गए निर्देश या अनुदत्त प्राधिकार का पालन किया जा रहा है या किया गया है ;

(ग) किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान् पदार्थ की जांच या परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए अथवा किसी ऐसे भवन की तलाशी लेने के लिए, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके भीतर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान् पदार्थ का उस दशा में अभिग्रहण करने के लिए, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किए जाने का साक्ष्य दिया जा सकेगा अथवा ऐसा अभिग्रहण पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाता है, कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है, या कोई परिसंकटमय पदार्थ हथालता है, ऐसे व्यक्ति को सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होगा, जिसे उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने उस उपधारा के अधीन कृत्यों को करने के लिए सशक्त किया है और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को, उसके कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलम्ब करेगा या बाधा पहुंचाएगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध या जम्मू-कश्मीर राज्य या किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें वह संहिता प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य या क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन जारी किए गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

11. नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया – (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने ऐसी रीति से लेने की शक्ति होगी, जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन नमूना लेने वाला व्यक्ति –

(क) इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना की ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति पर तुरन्त तामील करेगा ;

(ख) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति की उपस्थिति में विश्लेषण के लिए नमूना लेगा ;

(ग) नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिन्हित और सील बन्द किया जाएगा और उस पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या व्यक्ति दोनों हस्ताक्षर करेंगे ;

(घ) आधान या आधानों को धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को अविलम्ब भेजेगा ।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए कोई नमूना लिया

जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति पर उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की तामील करता है तब –

(क) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता उसका अभिकर्ता या व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए नमूना आधान या आधानों में रखवाने के लिए लेगा, जिसे चिन्हित और सील बन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति भी उस पर हस्ताक्षर करेगा ; और

(ख) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या व्यक्ति उपस्थित रहता है, किन्तु उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अपेक्षित रूप में नमूने के चिन्हित और सील बन्द आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है वहां चिन्हित और सील बन्द आधान या आधानों पर नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा,

और नमूना लेने वाला व्यक्ति आधान और आधानों को धारा 12 के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए अविलम्ब भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 13 के अधीन नियुक्त या मान्यताप्राप्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति के, यथास्थिति, जानबूझकर अनुपस्थित रहने अथवा आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इनकार करने के बारे में लिखित जानकारी देगा ।

12. पर्यावरण प्रयोगशालाएं – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, –

(क) एक या अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दे सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् : –

(क) पर्यावरण प्रयोगशाला के कृत्य ;

(ख) विश्लेषण या परीक्षण के लिए वायु, जल, मृदा या अन्य

पदार्थ के नमूने उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्ररूप और ऐसी रिपोर्ट के लिए संदेय फीस ;

(ग) ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं ।

13. सरकारी विश्लेषक – केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे और जिनके पास विहित अर्हताएं हैं, धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी या मान्यता दे सकेगी ।

14. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्टें – किसी ऐसी दस्तावेज का, जिसका किसी सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्यित हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

15. अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति – (1) जो कोई इस अधिनियमों के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और यदि ऐसी असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

16. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन

कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का सीधे भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

17. सरकारी विभागों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

अध्याय 4
प्रकीर्ण

18. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

19. अपराधों का संज्ञान – कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं, अर्थात् : –

(क) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की, विहित रीति से, कम से कम साठ दिन की सूचना केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत प्राधिकरण या अधिकारी को दे दी है ।

20. जानकारी, रिपोर्टें या विवरणियां – केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संबंध में समय-समय पर किसी व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण से अपने को या किसी विहित प्राधिकरण या अधिकारी से रिपोर्टें, विवरणियां, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण ऐसा करने के लिए आबद्ध होगा ।

21. धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना – धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के, यदि कोई हो ; सभी सदस्य और ऐसे प्राधिकरण के सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दिए गए निदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

22. अधिकारिता का वर्जन – किसी सिविल न्यायालय को केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात, कार्रवाई या निकाले गए आदेश या दिए गए निदेश के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

23. प्रत्यायोजन करने की शक्ति – धारा 3 की उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए ; जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को [उस शक्ति को छोड़कर जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी प्राधिकरण का गठन करने और धारा 25 के अधीन नियम बनाने के लिए है], जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

24. अन्य विधियों का प्रभाव – (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबन्ध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(2) जहां किसी कार्य या लोप से कोई ऐसा अपराध गठित होता है जो इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य अधिनियम के अधीन भी दण्डनीय है वहां ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी अन्य अधिनियम के अधीन, न कि इस अधिनियम के अधीन, दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

25. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम

के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् : –

(क) वे मानक जिनसे अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का धारा 7 के अधीन निस्सारण या उत्सर्जन नहीं किया जाएगा ;

(ख) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार और वे रक्षोपाय जिनके अनुपालन में परिसंकटमय पदार्थों को धारा 8 के अधीन हटाया जाएगा या हटवाया जाएगा ;

(ग) वे प्राधिकरण या अभिकरण जिनको विहित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण होने की या उसके होने की आशंका के तथ्य की सूचना दी जाएगी और जिनको धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सभी सहायता दिया जाना आबद्धकर होगा ।

(घ) वह रीति जिससे विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन लिए जाएंगे ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें किसी नमूने का विश्लेषण कराने के आशय की सूचना धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन दी जाएगी ;

(च) पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कृत्य ; विश्लेषण या परीक्षण के लिए वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूने ऐसी प्रयोगशालाओं को भेजने के लिए प्रक्रिया ; प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्ररूप ; ऐसी रिपोर्ट के लिए संदेय फीस और धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्य करने के लिए प्रयोगशालाओं को समर्थ बनाने के लिए अन्य विषय ;

(छ) धारा 13 के अधीन वायु, जल, मृदा या, अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नियुक्त या मान्यताप्राप्त सरकारी विश्लेषक की अर्हताएं ;

(ज) वह रीति जिससे अपराध की और केन्द्रीय सरकार को परिवाद करने के आशय की सूचना धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन दी जाएगी ;

(झ) वह प्राधिकरण या अधिकारी जिसको रिपोर्टें, विवरणियां, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी धारा 20 के अधीन दी जाएगी ;

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।

26. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना – इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।